SWR/Optg. शुद्धि पर्ची सं0 2 दि0 05.02.21 पीपीगंज

पूर्वोत्तर रेलवे

लखनऊ मंडल

स्टेशन संचालन नियमावली सं0–एल0जे0एन0/209

स्टेशन संचालन नियम जारी होने की तिथि 20.01.2020
स्टेशन संचालन नियम लागू होने की तिथि 23.01.2020

पीपीगंज के स्टेशन संचालन नियम
बी0जी0

टिप्पणीः i) दिनांक 23.01.2020 से लागू स्टेशन संचालन नियम सं0–एल0जे0एन0/209 में शुद्धि पर्ची सं0 2 को समाहित किया जायेगा।

ii) इस स्टेशन संचालन नियम की एक प्रति स्टेशन मास्टर के कार्यालय में संदर्भ के लिए सदैव उपलब्ध रहेगी तथा इनका अध्ययन पूर्वोत्तर रेलवे पर लागू साधारण एवं सहायक नियमों के साथ किया जायेगा यह स्टेशन संचालन नियम किसी भी रुप में साधारण एवं सहायक नियमों का किसी भी स्थिति में अतिक्रमण नहीं करते हैं।

1. **स्टेशन संचालन नियमारेख :**

मुसिदूइं/नि./गोरखपुर/पू.उ.रेलवे के सिगनल अर्न्तपाशन योजना संख्या एनईआर/एल.जे.एन./पी.जे./एस.आई.पी./07/वी.ई.आर.–जीरो/36 संशोधन **'एन'** पर आधारित नियमारेख सं0: **उपमुसिदूइं/आर.ई/ल.जं./2021(आर0डी0)/05 दिनांक 05.02.21** एवं कर्षण आरेख सं0 **RE/GKP/TSWR/PJ/GR-304 दिनांक 09.03.21** संलग्न है, जिसमें इस स्टेशन के कांटों, सिगनलों और लाइनों की सामान्य स्थिति दर्शायी गयी है, दुर्घटना आदि की रिपोर्ट करते समय व संदर्भ के सभी मामलों में इसका उल्लेख करे तथा इसमें दिये कांटों, सिगनलों व लाइनों के नम्बर अवश्य अंकित करें ।

2. **स्टेशन का विवरण :**

2.1 **सामान्य स्थिति :**

पीपीगंज स्टेशन पूर्वोत्तर रेलवे के विद्युतीकृत **गोरखपुर जं0–आनन्दनगर जं0** लूप मार्ग पर इकहरी लाइन **''बी''** श्रेणी का स्टेशन है। यह स्टेशन मानक– **III** अन्तर्पाशित बहुसंकेतीय रंगीन बत्ती वाले सिगनलों सहित डोमिनो टाइप पैनल से सुसज्जित है। यह **गोरखपुर जं0** स्टेशन से **22.30** कि0मी0 की दूरी पर स्थित है।

2.2 **ब्लाक स्टेशन,किसी भी ओर आई.बी.एच., आई.बी.एस. तथा उनकी दूरी और बाहरी साइडिगें** :

2.2.1 **ब्लाक स्टेशनः**

पीपीगंज स्टेशन के **उत्तर** में **कैम्पियरगंज** स्टेशन **10.97** कि0मी0 की दूरी पर एवं **दक्षिण** में **मानीराम** स्टेशन **11.78** कि0मी0 की दूरी पर स्थित है ।

2.2.2 **नान ब्लाक स्टेशन** :

2.2.2.1 **मानीराम छोर** : **कौड़िया जंगल हाल्ट** इस स्टेशन से **6.10** कि0मी0 की दूरी पर स्थित है ।

2.2.2.2 **कैम्पियरगंज छोरः**(क)**रावतगंज हाल्ट** इस स्टेशन से **2.87** कि0मी0 की दूरी पर स्थित है ।

(ख)**महावनखोर हाल्ट** इस स्टेशन से **5.13** कि0मी0 की दूरी पर स्थित है ।

(ग)**रामचौरा हाल्ट** इस स्टेशन से **7.49** कि0मी0 की दूरी पर स्थित है ।

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

उपमुसिदूइं
रे.वि./लखनऊ

मंसिदूइं
पूर्वोत्तर रेलवे/लखनऊ

वमंपरिप्र/सा0
पूर्वोत्तर रेलवे/लखनऊ

2.3 विभिन्न दिशाओं में स्टेशन के किसी भी ओर ब्लाक खंड सीमा :

वह स्थान जहां से ''ब्लाक खंड''शुरु होता है ।	वह स्थान जहां ''ब्लाक खंड'' समाप्त होता है।
पीपीगंज – कैम्पियरगंज	
इस स्टेशन के अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं0 **एस–2** से ।	**कैम्पियरगंज** स्टेशन के डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक ।
पीपीगंज – मानीराम	
इस स्टेशन के डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं0 **एस–11** से ।	**मानीराम** स्टेशन के अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक ।

2.4 ढलान, यदि कोई हो :
इस स्टेशन की मध्य रेखा से **कैम्पियरगंज** छोर की ओर 1000 में 1 की चढ़ाई व समतल का ग्रेडिएण्ट है।

2.5 ले आउट :
इस स्टेशन का ले आउट 3 लाइनों का है, जिसमें लाइन संख्या 1, 2 एवं 3 रनिंग लाइनें हैं। सभी रनिंग लाइने ट्रैक सर्किटेड है।

2.5.1 (क) चालू लाइने, संचलन की दिशा और सी.एस.आर. में वाहन क्षमता :

लाइन संख्या	क्लियर स्टैंडिंग रूम (मीटर में) (सी0एस0आर0)	वाहन क्षमता (कोच)		अभ्युक्तियॉ	विद्युतीकृत अथवा अविद्युतीकृत
		ICF	LHB		
1	733.00 मी0	32	30	लूप लाइन एवं मध्यमतल यात्री प्लेटफार्म सुविधा युक्त है ।	विद्युतीकृत
2	716.00 मी0	32	29	मेन लाइन है ।	
3	733.00 मी0	32	30	लूप लाइन एवं मध्यमतल यात्री प्लेटफार्म सुविधा युक्त है ।	

(ख) रनिंग लाइन सं0 2 मेन लाइन है।
(ग) गाड़ियां किसी भी रनिंग लाइन से/पर किसी भी दिशा में/से ली/भेजी जा सकती है ।

2.5.2 गैर चालू लाइने और सी0एस0आर0 में उनकी क्षमता :–

लाइन संख्या	क्लियर स्टैंडिंग रूम (मीटर में) (सी0एस0आर0)	वाहन क्षमता (कोच)	अभ्युक्तियॉ	विद्युतीकृत अथवा अविद्युतीकृत
– कोई नहीं –				

2.5.3 ले आउट की कोई मुख्य विशेषता :
–कोई नहीं–

2.6 समपार :
2.6.1 स्टेशन सीमा के भीतर स्थित समपार फाटकों की श्रेणी ,स्थिति एवं संचालन के लिए उत्तरदायी कर्मचारियों का विवरण निम्न है :

क्रमशः पृष्ठ 3 पर

फाटक सं0	श्रेणी	स्थिति	सामान्य स्थिति	परिचालन के लिए उत्तरदायी कर्मचारी	अन्त–र्पाशित है या नहीं	संचार साधन	क्या गाड़ी चालित चेतावनी प्रणाली (टी.ए.डब्लू.डी.) उपलब्ध है
13 इन्जी0	सी	अप डिस्टेन्ट सिगनल सं0 ए–12 एवं अप होम सिगनल सं0 एस–12 के मध्य कि0मी0 **20/4–5** पर स्थित है ।	सड़क यातायात के लिए खुला ।	कार्यरत फाटक वाला	नहीं	स्टे. मास्टर कार्यालय से टेलीफोन द्वारा सम्बद्ध है।	नहीं
14 ट्राफिक	सी	कांटा सं0 204ए एवं अप शंट सिगनल सं0 एसएच–32 के मध्य कि0मी0 **21/6–7** पर स्थित है।	सड़क यातायात के लिए खुला ।	कार्यरत फाटक वाला	है	स्टे. मास्टर कार्यालय से टेलीफोन द्वारा सम्बद्ध है।	नहीं
15 ट्राफिक	सी	कांटा सं0 201ए एवं डाउन शंट सिगनल सं0 एसएच–31 के मध्य कि0 मी0 **22/7–8** पर स्थित है ।	सड़क यातायात के लिए खुला।	कार्यरत फाटक वाला	है	स्टे. मास्टर कार्यालय से टेलीफोन द्वारा सम्बद्ध है।	नहीं

2.6.2 स्टेशन सीमा के बाहर स्थित इस स्टेशन से टेलीफोन द्वारा जुड़े समपार फाटकों की श्रेणी, स्थिति एवं संचालन के लिए उत्तरदायी कर्मचारियों का विवरण निम्न है :–

फाटक सं0	श्रेणी	स्थिति	सामान्य स्थिति	परिचालन के लिए उत्तरदायी कर्मचारी	अन्त–र्पाशित है या नहीं	संचार साधन	क्या गाड़ी चालित चेतावनी प्रणाली (टी.ए.डब्लू.डी.) उपलब्ध है
11 इन्जी0	सी	**पीपीगंज** व **मानीराम** के मध्य कि.मी. **17/4–5** पर स्थित है ।	सड़क यातायात के लिए खुला।	कार्यरत फाटक वाला	नहीं	स्टे. मास्टर कार्यालय से टेलीफोन द्वारा सम्बद्ध है।	नहीं
19 इन्जी0	सी	**पीपीगंज** व **कैम्पियरगंज** के मध्य कि.मी. **27/5–6** पर स्थित है ।	सड़क यातायात के लिए बन्द।	कार्यरत फाटक वाला	नहीं	स्टे. मास्टर कार्यालय से टेलीफोन द्वारा सम्बद्ध है।	नहीं

टिप्पणीः समपार फाटक के संचालन की पद्धति हेतु परिशिष्ट ''ए' भाग 1, 2, 3, 4 एवं 5 देखें ।

क्रमशः पृष्ठ 4 पर

3 संचालन की प्रणाली और साधन :

अगल–बगल के स्टेशनों के मध्य **''पूर्ण ब्लाक पद्धति''** लागू है। इस स्टेशन पर लगाये गये ब्लाक उपकरणों का प्रकार निम्नवत् है :

लगे ब्लाक उपकरणों के प्रकार	सहकारी/असहकारी	परिचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	चाभी जिसके पास रखी जाती है	टिप्पणी
इस स्टेशन और स्टेशन मास्टर **कैम्पियरगंज** के कार्यालय में स्थापित समान प्रकार के टेलीफोन युक्त इकहरी लाइन पर बी.पी.ए.सी मय ड्यूल डिटेक्शन (HASSDAC) के साथ यूनिवर्सल फेल सेफ ब्लाक इन्टरफेस (यू.एफ.एस.बी.आई) संयुक्त ब्लाक पैनल द्वारा आपस में सम्बद्व हैं।	असहकारी	कार्यरत स्टेशन मास्टर	कार्यरत स्टेशन मास्टर	एक्सल काउन्टर ब्लाक यंत्र के साथ सम्बन्धित ब्लाक खण्ड के मध्य गाड़ियों के आवागमन को नियंत्रित करता है।
इस स्टेशन और स्टेशन मास्टर **मानीराम** के कार्यालय में स्थापित समान प्रकार के टेलीफोन युक्त इकहरी लाइन पर बी.पी.ए.सी मय ड्यूल डिटेक्शन (HASSDAC) के साथ यूनिवर्सल फेल सेफ ब्लाक इन्टरफेस (यू.एफ.एस.बी.आई) संयुक्त ब्लाक पैनल द्वारा आपस में सम्बद्व हैं।	असहकारी	कार्यरत स्टेशन मास्टर	कार्यरत स्टेशन मास्टर	एक्सल काउन्टर ब्लाक यंत्र के साथ सम्बन्धित ब्लाक खण्ड के मध्य गाड़ियों के आवागमन को नियंत्रित करता है।

टिप्पणी: कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उसके अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति उपर्युक्त विद्युत ब्लाक यंत्र को परिचालित नहीं कर रहा है, विशेष रूप से सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक का अध्याय 14 तथा इस स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट **'बी'**–का अनुलग्नक– **III** व **IV** देखें।

4. सिगनलिंग और अन्तर्पाशन प्रणाली :

4.1 यह स्टेशन मानक–III अन्तर्पाशित बहुसंकेतीय रंगीन बत्ती वाले सिगनलों सहित डोमिनो टाइप पैनल से सुसज्जित है। मोटर चालित कांटों एव सिगनलों को कार्यरत स्टेशन मास्टर के कक्ष में स्थापित डोमिनो पैनल पर प्रदत्त पुश बटनों के द्वारा परिचालित किया जायेगा ।

स्टेशन मास्टर द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि स्टेशन के समस्त कलर लाइट/पोजिशन लाइट सिगनल अनवरत दिन–रात साधारण एवं सहायक नियम 3.49(2)(बी) के अनुसार जलते रहेगें। इस स्टेशन के स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट''**बी**'' का अनुलग्नक–II को देखें ।

(i) सिगनल/प्वाइंट को लीवर फ्रेम/कंट्रोल पैनल/वी.डी.यू./सी.टी.सी. से संचालन विधि :–

इस स्टेशन के स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट''**बी**'' को देखें ।

(ii) एक्सिल काउन्टर/ट्रैक सर्किट का रनिंग लाइनों में प्रावधान :–

पीपीगंज–मानीराम एवं **पीपीगंज–कैम्पियरगंज** खंड में **एक्सिल काउन्टर** का प्रावधान है । सभी रनिंग लाइने **ट्रैक सर्किटेड** है।

(iii) कालिंग आन सिगनल/आई.बी.एस. :

क0 सं0	कालिंग आन सिगनल संख्या	विवरण
1	डाउन कालिंग आन सिगनल सं. सी–3	यह डाउन होम सिगनल सं. एस–1 के नीचे उसी खम्भे पर लगा है। यह लाइन सं. 1/2/3 में आने के लिए है।
2	अप कालिंग आन सिगनल सं. सी–10	यह अप होम सिगनल सं. एस–12 के नीचे उसी खम्भे पर लगा है।यह लाइन सं.1/2/3 में आने के लिए है।

क्रमशः पृष्ठ 5 पर

(iv) <u>फिक्सड वार्नर एवं स्टेशनों पर स्टाप बोर्ड</u> :–
इस स्टेशन पर फिक्सड वार्नर एवं स्टाप बोर्ड की व्यवस्था नहीं है।

(v) <u>आपात क्रास ओवर</u> :–
इस स्टेशन पर व्यवस्था नहीं है।

(vi) <u>स्थाई रुप से लाक किये गये कांटे</u> : –
इस स्टेशन पर उपलब्ध नहीं है ।

(vii) <u>यांत्रिक रुप सें संचालित स्टेशनों पर मोटर द्वारा परिचालित कांटे :</u>
इस स्टेशन पर व्यवस्था नहीं है ।

(viii) <u>आपात/क्रैंक हैण्डिल चाभियॉ और उनकी अभिरक्षा :</u>
आपात/क्रैंक हैण्डल चाभियों का विवरण और उनकी अभिरक्षा इस स्टेशन के स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट ''**बी**'' में दिया गया है ।

(ix) <u>कांटे/ट्रैप कांटे/सिगनल/एक्सल काउन्टर/ट्रैक सर्किट के संकेत (इलेक्ट्रिक/बैनर किस्म के)</u> :

(अ) पैनल पर प्रत्येक सिगनल के लिये स्थल पर लगे सिगनल सूचक द्वारा दर्शाये गये है। ये सूचक फील्ड पर लगे सिगनलों द्वारा दर्शाये जाने वाले आस्पेक्ट के अनुरुप लाल/हरे/पीले रंग की लघु प्रकाश इंडीकेशन (सूचक बत्ती) का प्रावधान है। **होम सिगनल** पर लगे जंक्शन इंडीकेटर के लिये पैनल पर एक लघु सफेद प्रकाश पट्टी (स्ट्रिप) प्रकाशित होकर होम सिगनल का लूप लाइन के लिए **''आफ'** होना दर्शाती है।

आश्रित शंट सिगनल जो मुख्य सिगनल के खम्भे पर स्थित होतें है, उनके इंडीकेशन के लिए एक लघु सफेद प्रकाश पट्टी **''आफ'** स्थिति में प्रकाशित होगी। सामान्य दशा में यह अप्रकाशित रहता है।

अनाश्रित शंट सिगनल (स्वतंत्र खम्भे पर स्थित) की आन स्थिति में एक सीधी लघु प्रकाश पट्टी तथा **आफ** स्थिति में 45 डिग्री के कोण पर लघु सफेद प्रकाश पट्टी प्रकाशित होगी।

कालिंग आन सिगनल के आस्पेक्ट का इंडिकेशन पैनल पर होम सिगनल के नीचे छोटे पीले प्रकाश के रुप में दिया गया है। सामान्य दशा में यह अप्रकाशित रहता है। यह तभी प्रकाशित होता है जब कालिंग आन सिगनल **आफ** किया जाता है ।

(ब) <u>ट्रैक सर्किट इंडीकेशनः</u>
पैनल पर ट्रैक सर्किटो के ऊपर प्रकाश पट्टियों (स्ट्रिप) का प्रावधान है, जो ट्रैक सर्किट पर गाड़ी नहीं रहने पर प्रकाशित नहीं होती है। जब कोई सिगनल ''**आफ**'' किया जाता है तो उसके मार्ग में पड़ने वाले तथा ओवर लैप की ट्रैक सर्किटों की सफेद प्रकाश पट्टिया प्रकाशित हो जाती है।जब गाड़ी ट्रैक सर्किट पर आती है तब प्रकाश पट्टियों का सफेद प्रकाश बुझ जाता है और लाल प्रकाश जल जाता है। गाड़ी जब ट्रैक सर्किट को पार कर जाती है तब लाल प्रकाश बुझकर पुनः सफेद प्रकाश जल जाता है। ट्रैक सर्किट की विफलता की स्थिति में ये प्रकाश पट्टियां लाल प्रकाश से प्रकाशित हो जाती है ।

क्रमशः पृष्ठ 6 पर

टिप्पणी : गाड़ी ट्रैक पर आने पर यदि लाल प्रकाश पट्टी प्रकाशित नहीं हो तो इसका अर्थ यह है कि लघु प्रकाश बत्ती फ्यूज हो गयी है, इसके मरम्मत हेतु संबंधित विद्युत सिगनल अनुरक्षक को तुरन्त सूचित करें। यदि सफेद प्रकाश पट्टी का प्रकाशित होना अपेक्षित हो और वह न जलती हो तो स्टेशन मास्टर व्यक्तिगत रुप से जांच करे कि ट्रैक साफ है अथवा नहीं। यदि साफ है तो ट्रैक सर्किट को सही कार्यशील समझा जाय तथापि बत्ती मरम्मत हेतु सम्बन्धित विद्युत सिगनल अनुरक्षक को तुरन्त सूचित करें।

(स) <u>कांटो का संकेत</u> :

एक सफेद प्रकाश स्ट्रिप (पट्टी) प्रत्येक कांटे के ट्रैक सर्किट पर कांटे की नार्मल/रिवर्स स्थिति के अनुसार प्रकाशित रहता है। जब सम्बन्धित कांटा बटन एवं डब्लूडब्लूएन बटन कांटो को संचालित करने के लिए दबाते है तो कांटे के नार्मल/रिवर्स स्थिति में सेट एवं लाक होने पर सफेद प्रकाश का स्ट्रिप फ्लैश करना प्रारम्भ कर देती है , फिर सफेद प्रकाश स्ट्रिप स्थिर हो जाती है। विफलता की स्थिति में सफेद स्ट्रिप फ्लैश करती रहती है ।

टिप्पणी : मोटर कांटे पर नान सिगनल मूवमेन्ट के पश्चात कार्यरत स्टेशन मास्टर को चाहिए कि वह सम्बन्धित मोटर कांटो को नार्मल/रिवर्स स्थिति में चलाकर उसकी जांच कर ले तथा उनके सम्बन्धित सूचकों को पैनल पर सुनिश्चित कर ले तथा इस जांच की प्रविष्टि स्टेशन मास्टर डायरी में अवश्य करें ।

(x) <u>कांटे/सिगनल/गेट कंट्रोल स्वीचों का उपयोग करते हुए रुट सेंटिंग के लिये लीवर फ्रेम/नियंत्रण पैनल वीडियो डिस्प्ले यूनिट</u> :

स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट ''**बी**'' में दिया गया है ।

(xi) <u>कांटों का पृथक परिचालन</u> :

स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट ''**बी**'' में दिया गया है ।

(xii) <u>स्टेशन सीमा के भीतर गेटों का परिचालन</u> :

स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट ''**ए**'' में दिया गया है ।

(xiii) <u>कैंक हैण्डिल का उपयोग करते हुए कांटों की सेटिंग</u> :

जब कभी किसी प्वाइण्ट को आपेक्षित पोजीशन में रुट आपरेशन सिस्टम या इमरजेन्सी प्वाइण्ट आपरेशन द्वारा सेट करना सम्भव न हो तो यह निष्कर्ष होगा कि प्वाइण्ट को कन्ट्रोल पैनल से इलेक्ट्रिकली सेट नहीं किया जा सकता है। ऐसे मामले में स्टेशन मास्टर इलेक्ट्रिकली लाक्ड रखे गये सम्बन्धित कैन्क हैण्डिल को रिलीज करके जैसा कि इस स्टेशन कि स्टेशन संचालन नियमों में संलग्न परिशिष्ट ''**बी**'' में वर्णित है के अनुसार प्वाइण्ट को सेट करायेगा।

क्रमशः पृष्ठ 7 पर

टिप्पणी :

(i) प्रत्येक बार जब विद्युत कांटा मशीन से संचालित कांटो का हाथ द्वारा संचालन करने अथवा टेस्टिंग हेतु **के.एल.सी.आर.** चाभी निकाला जाये तो इस आशय की प्रविष्टि कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा इस उद्देश्य से बनाये गये रजिस्टर में स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट **''बी''** अनुलग्नक–**I** में दिये गये प्रोफार्मा के अनुसार किया जायेगा ।

(ii) जब भी **के.एल.सी.आर.** चाभी संकेत एवं दूरसंचार कर्मचारी को अनुरक्षण या टेस्टिग इत्यादि हेतु दिया जाये तो सम्बन्धित कांटे का वियोजन निर्धारित प्रारुप पर अवश्य लिया जाये, जिसका रख रखाव अलग से रखा जाये ।

(iii) सम्बन्धित सिगनल विभाग के कर्मचारी से रीकनेक्शन मेमों के साथ क्रैन्क हैण्डिल प्राप्त होने पर सामान्य कार्य प्रणाली अपनायी जाये ।

(iv) डिस्कनेक्शन की अवधि में गाड़ियों का परिचालन साधारण एवं सहायक नियम 3.69(1)(3) एवं 3.70(1)(2) के अनुसार करें ।

(xiv) <u>आपातकालीन संचालन के लिये उपलब्ध वीडर काउन्टर :–</u>

1. आपातकालीन रुट रिलीज वीडर काउन्टर (ईयूयूवाईएन)
2. आपातकालीन रुट कैन्सीलेशन वीडर काउन्टर (ईयूवाईएन)
3. कालिंग आन सिगनल वीडर काउन्टर
4. आपातकालीन सिगनल रिप्लेसमेंट वीडर गणक (ईजीजीएन) ।
5. क्रैन्क हैण्डिल वीडर गणक।
6. एक्सल काउन्टरों का वीडर काउन्टर (रिसेट बाक्स मे)।
7. लाइन क्लीयर कैंसिलेशन वीडर काउन्टर (ब्लाक यन्त्रों में)।

टिप्पणी: स्टेशन मास्टर वीडर काउन्टर रजिस्टर को वीडर गणक द्वारा दर्शायी गयी संख्या के अनुसार अद्यतन रखेगें ।

(xv) <u>गाड़ी बचाव और चेतावनी प्रणाली (टी.पी.डब्लूएस.) तथा टक्कर रोधी उपकरण (ए.सी.डी) की कार्य विधि</u> :–
इस स्टेशन पर उपलब्ध नहीं है ।

(xvi) <u>बर्थिंग पोर्शन और आई.बी.एस. सेक्शन पर एक्सिल काउन्टर की खराबी के मामले में रीसेटिंग की पद्धति</u> :–
स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट ''**बी**'' में दिया गया है ।

(xvii) <u>कांटो का आपात संचालन</u> :
स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट ''**बी**'' में दिया गया है ।

(xviii) <u>आपात मार्ग रद्दीकरण</u> :
स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट ''**बी**'' में दिया गया है ।

(xix) <u>ब्लाक की क्लियरिंग</u> :
कार्यरत स्टेशन मास्टर बी.पी.ए.सी के साथ यूनिवर्सल फेल सेफ ब्लाक इन्टरफेस (यू.एफ.एस.बी.आई) ब्लाक पैनल द्वारा सम्बन्धित ब्लाक सेक्शन की क्लीयरिंग सुनिश्चित करेगा व ब्लाक सेक्शन क्लीयर इण्डीकेशन की विफलता की दशा में गाड़ी का पूर्ण आगमन सुनिश्चित करने के उपरान्त ही सम्बन्धित ब्लाक की क्लीयरिंग सुनिश्चित करेगा।

क्रमशः पृष्ठ 8 पर

4.1.1 <u>अप आगमन सिगनल</u> :–

(क) अप डिस्टेंट सिगनल सं. ए–12 का नार्मल आस्पेक्ट **पीला** है जो अप होम सिगनल सं0 एस–12 के स्थिति पर निर्भर है।

(ख) अप होम सिगनल सं. एस–12 का नार्मल आस्पेक्ट **लाल** है जंक्शन रुट इंडीकेटर के साथ निम्न संकेत इंगित करता है :–
लाइन सं0 1 के लिए दांयी ओर जंक्शन रुट इंडीकेटर सहित।
लाइन सं0 2 के लिए जंक्शन रुट इंडीकेटर रहित।
लाइन सं0 3 के लिए बांयी ओर जंक्शन रुट इंडीकेटर सहित।

4.1.2 <u>अप प्रस्थान सिगनल</u> :–

(क) (i) अप प्रस्थान सिगनल सं0एस–4 लाइन सं0 2 (मेन लाइन) से।

(ii) अप प्रस्थान सिगनल सं0एस–6 लाइन सं0 1 (लूप लाइन) से।

(iii) अप प्रस्थान सिगनल सं0एस–8 लाइन सं0 3 (लूप लाइन) से।

(ख) अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं0 एस–2 **कैम्पियरगंज** छोर के बी.पी.ए.सी के साथ यूनिवर्सल फेल सेफ ब्लाक इन्टरफेस (यू.एफ.एस.बी.आई) ब्लाक पैनल द्वारा नियंत्रित है।

4.1.3 <u>डाउन आगमन सिगनल</u> :

(क) डाउन डिस्टेंट सिगनल स0. ए–1 का नार्मल आस्पेक्ट **पीला** है जो डाउन होम सिगनल सं0 एस–1 के स्थिति पर निर्भर है।

(ख) डाउन होम सिगनल स0. एस–1 का नार्मल आस्पेक्ट **लाल** है जंक्शन रुट इंडीकेटर के साथ निम्न संकेत इंगित करता है :–
लाइन सं0 1 के लिए बांयी ओर जंक्शन रुट इंडीकेटर सहित।
लाइन सं0 2 के लिए जंक्शन रुट इंडीकेटर रहित।
लाइन सं0 3 के लिए दांयी ओर जंक्शन रुट इंडीकेटर सहित।

4.1.4 <u>डाउन प्रस्थान सिगनल</u> :–

(क) (i) डाउन प्रस्थान सिगनल सं0 एस–5 लाइन स0 2 (मेन लाइन) से ।

(ii) डाउन प्रस्थान सिगनल सं0 एस–7 लाइन सं0 1 (लूप लाइन) से।

(iii) डाउन प्रस्थान सिगनल सं0 एस–9 लाइन सं0 3 (लूप लाइन) से।

(ख) डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं0 एस–11 **मानीराम** छोर के बी.पी.ए.सी के साथ यूनिवर्सल फेल सेफ ब्लाक इन्टरफेस(यू. एफ.एस.बी.आई) ब्लाक पैनल द्वारा नियंत्रित है।

नोटः(अ) अप होम सिगनल सं0 एस–12 का **"आफ"** आस्पेक्ट समपार सं0 **14** के बन्द व लाक स्थिति एवं अप गाड़ियो का लाइन सं0 1/2/3 में मेन लाइन लगाकर आगमन करते समय समपार सं0 **15** की बन्द व लाक स्थिति द्वारा नियन्त्रित है।

(ब) डाउन होम सिगनल सं0 एस–1 समपार सं0 **15** के बन्द व लाक स्थिति एवं डाउन गाड़ियो का लाइन सं0 1/2/3 में मेन लाइन लगाकर आगमन करते समय समपार सं0 **14** की बन्द व लाक स्थिति द्वारा नियन्त्रित है।

क्रमशः पृष्ठ 9 पर

(स) सभी डाउन प्रस्थान सिगनलो का **''आफ''** आस्पेक्ट समपार फाटक सं0 **14** की बंद व लाक स्थिति द्वारा नियंत्रित है।

(द) सभी अप प्रस्थान सिगनलो का **''आफ''** आस्पेक्ट समपार फाटक सं0 **15** की बंद व लाक स्थिति द्वारा नियंत्रित है।

(य) अग्रिम प्रस्थान सिगनलों का प्रस्थान सिगनलों के **आफ** आस्पेक्ट पर नियंत्रण है।

4.1.5 अतिरिक्त सिगनल :

4.1.5.1 शंट सिगनल

(क) आश्रित शंट सिगनल		
शंट सिगनल संख्या	किस सिगनल के नीचे स्थित है	विवरण
एसएच–24	अप प्रस्थान सिगनल सं0 एस–4	लाइन सं0 2 से **कैम्पियरगंज** छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं0 एस–2 तक शंटिग हेतु ।
एसएच–25	डाउन प्रस्थान सिगनल सं0 एस–5	लाइन सं0 2 से **मानीराम** छोर पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं0 एस–11 तक शंटिग हेतु ।
एसएच–26	अप प्रस्थान सिगनल सं0 एस–6	लाइन सं0 1 से **कैम्पियरगंज** छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं0 एस–2 तक शंटिग हेतु ।
एसएच–27	डाउन प्रस्थान सिगनल सं0 एस–'7	लाइन सं0 1 से **मानीराम** छोर पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं0 एस–11 तक शंटिग हेतु
एसएच–28	अप प्रस्थान सिगनल सं0 एस–8	लाइन सं0 3 से **कैम्पियरगंज** छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल स0 एस–2 तक शंटिग हेतु
एसएच–29	डाउन प्रस्थान सिगनल सं0 एस–9	लाइन सं0 3 से **मानीराम** छोर पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं0 एस–11 तक शंटिग हेतु

(ख) अनाश्रित शंट सिगनल	
शंट सिगनल संख्या	विवरण
एसएच–31	**कैम्पियरगंज** छोर से लाइन सं0 1/2/3 में शंटिंग के लिये आने के लिए ।
एसएच–32	**मानीराम** छोर से लाइन सं0 1/2/3 में शंटिंग के लिये आने के लिए।

टिप्पणी:(i) विस्तृत जानकारी हेतु इस स्टेशन संचालन नियमावली में संलग्न परिशिष्ट ''**बी**'' को देखें।

(ii) सिगनल की विफलता की स्थिति में गाडियॉ साधारण एवं सहायक नियम 3.68, 3.69, 3.70 एवं 3.71 के अनुसार चलेगी। कार्यरत स्टेशन मास्टर खराब सिगनल एडवाइस टी–369(3बी) जारी करने के लिये जिम्मेदार होगा।सभी सिगनल विफलतायें सिगनल विफलता पंजिका में अंकित की जायेगी।

(iii) अग्रिम प्रस्थान सिगनल की विफलता की दशा में कार्यरत स्टेशन मास्टर पेपर लाइन क्लीयर टिकट जारी करेगा साथ में प्रस्थान (स्टार्टर) सिगनल '**आन**' स्थिति में पार करने हेतु टी–369(3बी) जारी करेगा इसके साथ ही पेपर लाइन क्लीयर की किताब में अंकित करेगा कि किस टेलीफोन पर लाइन क्लीयर लिया गया है।

(iv) कार्यरत स्टेशन मास्टर सहायक नियम 3.69(2)(3) के अनुसार मार्ग की सही सेटिंग सुनिश्चित करने के बाद ही टी–369(3बी) जारी करेगा।

कमशः पृष्ठ 10 पर

(v) ट्रैक सर्किट के क्लीयरेंस के सम्बन्ध में सिगनल **'आफ'** होने पर पैनल पर जलने वाले सफेद बल्ब के फ्यूज होने अथवा ट्रैक सर्किट को अवरुद्ध (आक्यूपाइड)/विफल दर्शाने वाले लाल बल्ब के फ्यूज होने पर कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा इस लाइन के व्यक्तिगत सत्यापन के बाद ही बाधा रहित होना निश्चित किया जायेगा।

(vi) कांटों, सिगनलों, ब्लाक उपकरणों, नियंत्रक टेलीफोन इत्यादि की विफलता और उससे सम्बन्धित रख–रखाव/मरम्मत हेतु सम्बन्धित कर्मचारियों की एक सूची (उनके मुख्यालय सहित) इस स्टेशन संचालन नियमावली में संलग्न परिशिष्ट''**बी''** में दी गयी है।

4.2 **रिले कक्ष की चाभियों की सुरक्षा और स्टेशन मास्टर तथा सिगनल एवं दूर संचार के अनुरक्षण कर्मचारियों के बीच इन्हे लेने देने की कार्य पद्धति** :

इस स्टेशन के रिले रूम पर दो ताले (एस.एम. लॉक एवं सिगनल लॉक) लगे होते हैं जिसकी अभिरक्षा क्रमशः कार्यरत स्टेशन मास्टर एवं सिगनल कर्मचारी {जो टेक्निशियन (सिगनल) से कम पद पर न हो} द्वारा की जाती है। रिले रूम की चाबी स्टेशन के चाबी बॉक्स में लॉक करके रखी जाती है। जब कभी फेलियर/खराबी/रख–रखाव के लिये रिले रूम खोलने की आवश्यकता होती है तो रिले रूम चाबी की विधिवत् इन्ट्री रजिस्टर में की जानी चाहिये तभी चाबी सिगनल कर्मचारी {जो टेक्निशियन (सिगनल) से कम पद पर न हो} को दिया जाना चाहिये। चाबी वापस लेते समय भी चाबी की इन्ट्री रजिस्टर में किया जाना चाहिये तथा स्टेशन मास्टर एवं टेक्निशियन (सिगनल) को उक्त कॉलम में हस्ताक्षर करना होता है। निरीक्षणों के दौरान इसकी जाँच की जायेगी।

4.3 **पावर सप्लाई**:–

इस स्टेशन में पावर सप्लाई हेतु ए.टी. एवं कामर्शियल सप्लाई के अतिरिक्त डी0जी0 सेट का प्रावधान है। जिनके द्वारा इन्टीग्रेटेड पावर सप्लाई को चार्ज किया जाता है। ए.टी. एवं कामर्शियल सप्लाई की विफलता की स्थिति में सिगनल के लिए सप्लाई आई.पी.एस. (इंटीग्रेटेड पावर सप्लाई) से स्वतः ही चालू हो जाएगी। आई0पी0एस0 सिस्टम की चार्जिग के लिये स्टेशन मास्टर द्वारा डी0जी0 सेट चलवा दिया जायेगा।

(विस्तृत विवरण स्टेशन संचालन नियमावली में संलग्न परिशिष्ट ''बी'' का अनुलग्नक– II देखें)

5. **दूर संचार** :

इस स्टेशन पर उपलब्ध दूर संचार के साधन की सूची के लिए स्टेशन संचालन नियमावली में संलग्न परिशिष्ट **बी'** देखें।

5.1 **सेक्शन कंट्रोल/डिप्टी कंट्रोल/कर्षण पावर कंट्रोल** :–

सेक्शन ट्रेन कंट्रोलर एवं कर्षण पावर कन्ट्रोलर से कन्ट्रोल टेलीफोन जुड़ा है ।

5.2 **आटो/डी0ओ0टी0 टेलीफोन** :–

इस स्टेशन पर डी0ओ0टी0 टेलीफोन की व्यवस्था है ।

5.3 **केबिन/गेटो पर मैगनेटो टेलीफोन** :–

समपार सं0 **11, 13, 14, 15** एवं **19** के टेलीफोन इस स्टेशन से टेलीफोन द्वारा जुड़े हैं ।

5.4 **आई0बी0एस0 का आई0बी0एस0 टेलीफोन** :–

इस स्टेशन पर उपलब्ध नहीं है ।

5.5 **एक्सिल काउन्टर/रीसेट बाक्स का टेलीफोन** :–

इस स्टेशन पर उपलब्ध नहीं है ।

5.6 **यार्ड में संचार हेतु टेलीफोन** :–

इस स्टेशन पर व्यवस्था नहीं है ।

क्रमशः पृष्ठ 11 पर

5.7 वी.एच.एफ. सेट :–
स्टेशन पर उपलब्ध है।

5.8 सचल गाड़ी रेडियों संचार (एमटीआरसी):–
इस स्टेशन पर व्यवस्था नहीं है ।

नोट :–उक्त संचार व्यवस्था में खराबी आ जाने पर स्टेशन संचालन नियम की परिशिष्ट – **बी** के अनुसार सूचित करें ।

6. गाड़ी संचालन :

गाड़ियों का आवागमन साधारण एवं सहायक नियम 8.01, 8.03 व अध्याय 17 के अनुसार होगा। आगमन व प्रस्थान सिगनल साधारण एवं सहायक नियम 3.38, 3.40, 3.42, 3.45 व 3.47 के अनुसार आफ किये जायेंगे। इस स्टेशन के कांटो व सिगनलों के संचालन हेतु स्टेशन मास्टर कार्यालय में डोमिनो टाइप पैनल की व्यवस्था है, जिसका **पैनल डायग्राम सं0: उपमुसिदूइं/आर.ई/ल.जं./2021/पी0डी0/06 दिनांक 05.02.21** संलग्न है। स्टेशन पैनल पर उपलब्ध उपकरणों का विवरण स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट ''**बी**'' में दिया गया है।

6.1 गाड़ी संचालन कर्मचारियों के कर्तव्य :

गाड़ी संचालन कर्मचारी जैसे स्टेशन अधीक्षक/स्टेशन मास्टर, कांटावाला, फाटकवाला कें गाड़ी संचालन कें कर्तव्यों का विवरण परिशिष्ट '**डी**' में दिया । सभी कर्मचारीगण मंडल द्वारा निर्धारित रोस्टर में अपने–अपने शिफ्ट के अनुसार कार्य करेंगें ।

6.1.1 प्रत्येक पाली में कार्यरत गाड़ी संचालन कर्मचारी :

(अ) स्टेशन अधीक्षक/स्टेशन मास्टर
(ब) कांटावाला
(स) फाटकवाला

6.1.2 लाइनों की क्लीयरेन्स सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायित्व तथा उत्तर दायित्व के क्षेत्र :

कार्यरत स्टेशन मास्टर लाइन की क्लीयरेंस जिससे कि गाड़ी का आगमन/प्रस्थान इस स्टेशन से होना है को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। यह कार्य पैनल पर उपलब्ध ट्रैक सूचकों द्वारा किया जायेगा। ट्रैक सर्किट की विफलता अथवा ट्रैक सर्किट सूचक बल्ब के फ्यूज होने की स्थिति में कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा व्यक्तिगत सत्यापन द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्राइवेट नं0 बुक गाड़ी पासिंग कर्मचारी के निजी अभिरक्षा में होनी चाहिए जोकि इसके उपयोग करने के लिए प्राधिकृत है।

(विस्तृत विवरण के लिए सामान्य नियम 3.38,3.40(3)एवं 8.03 तथा ट्रैक सर्किट इंडिकेशन के लिये स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट 'बी'' देखें)

6.1.3 आश्वासन पंजिका में कर्मचारी का आश्वासन :

प्रत्येक गाड़ी पासिंग कर्मचारी जिसकी स्टेशन पर नयी तैनाती हुई है या स्टेशन पर 15 दिन या 15 दिनों से अधिक की नियमित अनुपस्थिति के उपरान्त ड्यूटी पर उपस्थित होने वाले कर्मचारियों को प्रचलित स्टेशन संचालन नियमों को अवश्य पढ़ कर निर्धारित आश्वासन पंजिका में अपना आश्वासन दर्ज करना चाहिए। जब कभी कोई शुद्धि पर्ची स्टेशन संचालन नियम में जारी की जाती है तो स्टेशन मास्टर द्वारा सभी कर्मचारियों का पुनः आश्वासन अवश्य लिया जाए।

(सामान्य नियम 5.01(19) देंखें।)

क्रमशः पृष्ठ 12 पर

6.2 <u>लाइन क्लीयर देने के लिए शर्त</u> :

कार्यरत स्टेशन मास्टर इस खंड के कार्यरत गाड़ी नियंत्रक से विचार विमर्श के बाद ही लाइन क्लीयर देगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर लाइन क्लीयर तब तक नहीं देगा जब तक कि :

(क) पूर्ववर्ती गाड़ी पूरी तरह न पहुँच गयी हो ।

(ख) उक्त गाड़ी के पीछे के सभी आवश्यक सिगनल फिर से ''**आन**'' न कर दिये गये हो ।

(ग) लाइन निम्न पर्याप्त दूरी तक साफ न हो :–

<u>डाउन गाड़ियों के लिए</u> :

इस स्टेशन के अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं0 एस–2 तक ।

<u>अप गाड़ियों के लिए</u> :

इस स्टेशन के डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं0 एस–11 तक ।

(ध) <u>निम्न समपार फाटक पर कार्यरत फाटकवालें से समपार संचालन अनुदेशों के अनुरुप सूचित/प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान न कर लिया हो</u>:–

<u>अप गाड़ी के लिये</u> :–

समपार सं0 11 व 13

<u>डाउन गाड़ी के लिये</u> :–

समपार सं0 19

<u>टिप्पणी</u>:उपरोक्त के अतिरिक्त साधारण नियम 8.03(2) एवं सहायक नियम 8.03 (i) (ii) (iii) एवं (iv) में निहित निर्देशो का कड़ाई से पालन किया जाय ।

6.2.1 <u>गाड़ी के स्टेशन पर आगमन या प्रस्थान के समय पालन की जाने वाली अन्य विशेष शर्त</u> :

6.2.1.1 <u>ब्लाक लाइन के विरुद्ध प्वाइंटों को अन्य लाइन के लिये सेट करना</u> :

सहायक नियम 5.19 (2) देखें ।

6.2.1.2 <u>अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी का आगमन</u> :

सामान्य एवं सहायक नियम 5.09 देखें ।

6.2.1.3 <u>बिना सिगनल वाली लाइन पर गाड़ी का आगमन</u> :

सामान्य एवं सहायक नियम 5.10 देखें ।

6.2.1.4 <u>बिना सिगनल वाली लाइन से गाड़ी रवाना करना</u> :

सामान्य एवं सहायक नियम 5.11 देखें ।

6.2.1.5 <u>कामन स्टार्टर सिगनल वाली लाइन से गाड़ी रवाना करना</u> :

इस स्टेशन पर व्यवस्था नहीं है।

6.2.1.6 <u>कोई अन्य विशेष शर्त</u> :–

स्टेशन मास्टर समपार को बन्द कराते समय ''**आउट आफ कोर्स रुकने वाली**'' गाड़ियों की सूचना सम्बन्धित ट्राफिक फाटकवाले को ''**पूर्ण आगमन**'' सुनिश्चित करने हेतु देगा।

6.3 <u>आगमन सिगनलों को आफ करने की शर्ते :</u>

किसी भी गाड़ी के लिए आगमन सिगनल तब तक ''**आफ**'' नहीं किये जायेगे जब तक कि :–

(क) सभी फेसिंग कांटे जिन पर गाड़ी को गुजरना है ,सही तरह से सेट व लाक न हो जैसा कि स्टेशन पैनल पर दिखें।

क्रमशः पृष्ठ 13 पर

(ख) सभी ट्रेलिग कांटे जिन पर गाड़ी को गुजरना है , सही तरह से सेट व लाक न हो जैसा कि स्टेशन पैनल पर दिखें।

(ग) लाइन जिस पर गाड़ी को गुजरना है ,यार्ड के ट्रेलिग छोर की तरफ निम्न पर्याप्त दूरी तक साफ न हो।

(अ) <u>अप गाड़ियों के लिए :</u>

1. लाइन सं. 1/3 पर सैण्ड हम्प बनाकर ।
2. लाइन सं. 1/2/3 पर मेन लाइन बनाकर आगमन के लिए अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं0 एस–2 तक।

(ब) <u>डाउन गाड़ियों के लिए:</u>

1. लाइन सं. 1/3 पर सैण्ड हम्प बनाकर ।
2. लाइन सं. 1/2/3 पर मेन लाइन बनाकर आगमन के लिए डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं0 एस–11 तक।

(ध) <u>समपार फाटक बंद व लाक न कर दिया हो</u> :–

(अ) <u>अप गाड़ियों के लिए :</u>
समपार सं0 **14** तथा मेन लाइन लगाकर आगमन करते समय समपार सं0 **15**

(ब) <u>डाउन गाड़ियों के लिए :</u>
समपार सं0 **15** तथा मेन लाइन लगाकर आगमन करते समय समपार सं0 **14**

<u>नोट</u> : गाड़ियों को आने/जाने हेतु कांटे एवं सिगनल पुश बटनों के परिचालन के लिये स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट **'बी'** को देखें।

(विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 3.38 एवं 3.40 को देखें)

6.3.1 <u>चालू लाइन पर गाड़ियों का आगमन</u> :

गाड़ियों के आगमन के साथ स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट **'बी'** अवश्य पढ़ा जाय। जिस गाड़ी का लाइन क्लियर दिया जा चुका है उस गाड़ी के आगमन के लिए कार्यरत स्टेशन मास्टर को चाहिये कि :

क. स्टेशन पैनल पर देख लें कि जिन ट्रैक सर्किटों पर आने वाली गाड़ी को गुजरना है उन पर तथा ओवर लैप की ट्रैक सर्किटों पर 'लाल बत्तियां' तो नहीं जल रही हैं।

ख. पैनल कंट्रोल चाभी पैनल लाक में लगाकर घुमायें ताकि पैनल संचालन की स्थिति में आ जाये।

ग. आने वाली गाड़ी के लिए वांछित रूट लगाने तथा सिगनल आफ करने के लिये स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट **'बी'** के अनुसार सिगनल बटन तथा रूट बटन एक साथ दबायें।

घ. सिगनल के रूट में पड़ने वाले कांटे स्वतः सेट हो जायेंगे तथा सिगनल **आफ** हो जायेगा।

ड. सिगनल के रूट में पड़ने वाले तथा ओवरलैप के ट्रैक सर्किटों पर सफेद बत्तियॉ जल जायेंगी।

क्रमशः पृष्ठ 14 पर

च . स्टेशन पैनल पर देख लें कि प्वाइंटस के निकट लघु सफेद बत्ती जल गई है जो संबंधित कांटों के सेट की स्थिति में विद्युत द्वारा लाक होने की सूचक है। इनके साथ ही देख लें कि संबंधित आगमन सिगनलों का आस्पेक्ट भी स्टेशन पैनल पर आया है जो गाड़ी के लिये आगमन सिगनलों का आफ होने का सूचक है।

छ स्टेशन पैनल पर देख लें कि जब गाड़ी होम सिगनल पार कर गयी हो तथा आगमन सिगनल ''**आन**'' स्थिति में हो गये हैं।

ज स्टेशन पैनल को देख लें कि आने वाली गाड़ी जैसे–जैसे ट्रैक सर्किटों पर आती–जाती है वैसे–वैसे ट्रैक सर्किटों की सफेद बत्तियां बुझकर लाल बत्तियां जल जाती है और जैसे–जैसे गाड़ी ट्रैक सर्किटों को पार कर जाती है वैसे–वैसे लाल बत्तियां बुझ जाती हैं और सफेद बत्तियां फिर जल जाती हैं।

झ. गाड़ी आगमन के पश्चात कांटों को सामान्य व सहायक नि0 3.38 के अनुसार संरक्षित करेंगे।

ञ. कांटो का अलग–अलग संचालन केवल गाड़ियों को कालिंग आन सिगनल पर लेने के लिए किया जायेगा। बाकी सभी सिगनलों का, उनके सिगनल बटन तथा रूट बटन एक साथ दबाने से रूट सेटिंग स्वतः हो जायेगी।

6.3.2 <u>सिगनल को पुनः ''आन'' करने के लिए स्टेशन मास्टर का दायित्व :</u> सामान्य एवं सहायक नियम 3.36 के अनुसार स्टेशन मास्टर सिगनल का पुनः **आन** करना सुनिश्चित करे।

6.4 <u>एक साथ दो गाड़ियों का आगमन/प्रस्थान, गाड़ियों की क्रासिंग तथा गाड़ियों को प्राथमिकता देना</u> :–

6.4.1 इस स्टेशन पर गाड़ियों के प्राथमिकता के आधार पर आगमन एवं प्रस्थान स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट **''बी''** के अनुसार किया जायेगा ।

6.4.2 गाड़ियों के क्रासिंग के समय सबसे बाहरी कांटों को जिन पर से गाड़ी गुजरेगी इस प्रकार सेट व लाक होना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में दोनो गाड़िया एक ही लाइन पर आकर न मिल सके ।

6.5 <u>गाड़ियों का पूर्ण आगमन</u> :

क. कार्यरत स्टेशन मास्टर स्टेशन पर बिना रूके पास होने वाली गाड़ियों के अन्तिम वाहन के पीछे टेल बोर्ड/टेल लैम्प/टेल लैम्प लाइट को स्वयं देखकर गाड़ी का सम्पूर्ण आगमन सुनिश्चित करेगा।

ख. स्टेशन पर रुकने वाली गाड़ियों का पूर्ण आगमन सुनिश्चित करने के लिए कार्यरत स्टेशन मास्टर बी.पी.ए.सी ब्लाक पैनल के साथ यूनिवर्सल फेल सेफ ब्लाक इन्टरसेफ(यू.एफ.एस.बी.आई) पर ब्लाक सेक्शन क्लीयर इण्डीकेशन देखकर सम्बन्धित ब्लाक सेक्शन का क्लीयर होना सुनिश्चित करेंगें। **(देखें साधारण नियम 4.17 (2)(b))**

इण्डीकेशन की विफलता की स्थिति में **अप/डाउन** गाड़ियों के आगमन की दशा में सम्पूर्ण आगमन सुनिश्चित करने के लिए समपार सं0 **14/15** पर कार्यरत फाटकवाला गाडियों के टेल बोर्ड/टेल लैम्प के साथ पास होने और फाउलिंग मार्क साफ होना सुनिश्चित होने के बाद गाडी का पूर्ण आगमन की पुष्टि स्वरुप स्टेशन मास्टर को अपना प्राइवेट नं0 देगा।

क्रमशः पृष्ठ 15 पर

सम्पूर्ण आगमन की पुष्टि स्वरुप प्राइवेट नम्बर मिल जाने के उपरान्त ही लाइन बंद करेगा तथा समपार सं0 **14/15** पर कार्यरत फाटकवाले से प्राइवेट नम्बर न मिलने की दशा में कार्यरत स्टेशन मास्टर सम्पूर्ण आगमन प्रमाण पत्र पंजिका टी–1410 पर किसी कर्मचारी द्वारा गार्ड से सम्पूर्ण आगमन प्रमाण पत्र मंगवायेगा ।

(देखें सा0 एवं स0नियम 4.17(vii))

6.6 <u>गाड़ियों का प्रस्थान</u> :

6.6.1 <u>चालू लाइनों से गाड़ियो का प्रस्थान</u> :

(क) लाइन क्लीयर स्टेशन मास्टर **कैम्पियरगंज/मानीराम** स्टेशन से प्राप्त कर लिया गया हो ।

(ख) स्टेशन पैनल पर अप/डाउन ट्रेन के लिये सम्बन्धित ट्रैक सर्किट की ट्रैक आकुपेंन्सी बत्ती न प्रकाशित हो ।

(ग) अप/डाउन ट्रेन के लिये स्टेशन पैनल पर सम्बन्धित रुट सेट करने के लिए स्टेशन संचालन नियमावली में संलग्न परिशिष्ट ''**बी**'' के अनुसार सिगनल एवं रुट बटन एक साथ दबाया जायेगा। रुट में पड़ने वाले सभी सम्बन्धित कांटे स्वतः सेट हो जायेगें एवं सिगनल **''आफ''** हो जायेगा। सिगनल ''**आफ''** होने पर पूरा रुट सफेद प्रकाशित हो जायेगा ।

(घ) पैनल पर सम्बन्धित कांटे के सेट एवं लाक होने पर कांटे के निकट में सफेद इंडिकेशन मिलना सुनिश्चित करेगा । प्रस्थान होने वाली गाड़ी के प्रस्थान सिगनल का आस्पेक्ट पैनल पर सुनिश्चित करेगा जो कि प्रस्थान सिगनल का **आफ** आस्पेक्ट का सूचक हो ।

(ङ) सम्बन्धित ट्रैक सर्किट का ट्रैक आकुपन्सी प्रकाश **''लाल''** गाड़ी के सम्बन्धित ट्रैक सर्किट पर आने पर प्रकाशित होगा और गाड़ी के गुजरने एवं जाने के पश्चात बुझ जायेगा ।

(च) गाड़ी जाने के बाद कांटों को उनकी सामान्य स्थिति में कर लें।

6.6.2 <u>गैर चालू लाइनों/बिना सिगनल वाली लाइनों से गाड़ियों का प्रस्थान</u>:

सामान्य एवं सहायक नियम 5.11 के अनुसार कार्य किया जायेगा ।

6.6.3 <u>काशन आर्डर (सतर्कता आदेश) का जारी किया जाना</u> :

जब कभी लाइन की मरम्मत हो रही हो या किसी अन्य कारणवश विशेष सावधानी की आवश्यकता हो तो ड्राइवर और गार्ड (यदि हो) को एक सतर्कता आदेश (टी–409) दिया जायेगा जिसमें इस बात का वर्णन होगा कि किस किलोमीटर में सावधानी आवश्यक है, सावधानी रखने के क्या कारण है और गाड़ी किस गति से चलायी जायेगी । यह सतर्कता आदेश उस स्थान से, जहॉ सावधानी आवश्यक है, गाड़ी के रुकने के ठीक पहले स्टेशन पर, या अन्य स्टेशनों पर और ऐसी पद्धति से दिया जायेगा जैसे विशेष अनुदेशों के अधीन निर्धारित किया गया है।

(सा0 एवं सहा0 नियम 4.09 देखें)

क्रमशः पृष्ठ 16 पर

6.7 <u>गाड़ियों का स्टेशन पर बिना रुके जाना :</u>

6.7.1 सामान्यतया गाड़ियां मेन लाइन से साधारण नियम 4.10 एवं साधारण एवं सहायक नियम 4.11 के अन्तर्गत स्टेशन पर बिना रुके जायेगी। यदि किसी कारणवश मेन लाइन से बिना रूके जाना सम्भव न हो तो गाड़ियों को लूप लाइन से निर्धारित गति से बिना रुके जाने की अनुमति है। लूप लाइन का ''आफ'' आस्पेक्ट तब तक नहीं आयेगा जबतक कि गाड़ी वर्थिंग ट्रैक पर नहीं आ जाती है। सम्बंधित कांटा व सिगनल पुश बटन को स्टे. सं. नियम में संलग्न परिशिष्ट बी' के अनुसार संचालित किया जायेगा।

6.7.2 बिना रूके जाने वाली गाड़ियों को दोनों तरफ से देखना चाहिये। कार्यरत स्टेशन मास्टर स्टेशन भवन के सामने खड़े होकर आल राइट सिगनल स्वयं देगा और आफ साइड से एक कार्यरत स्टेशन कर्मचारी देगा। आल राइट सिगनल का आदान–प्रदान स्टेशन स्टाफ ट्रेन क्रू व गार्ड के बीच दिन में हरी झण्डी तथा रात मे हरी बत्ती द्वारा किया जायेगा। **(सहायक नियम 5.01(5) देखें)**

6.7.3 लूप लाइन पर स्थित वाहनो द्वारा स्टेशन की दृश्यता अवरूद्व होने के कारण जब स्टे.मा. के लिए स्थिर वाहनो को पार कर दूसरी तरफ सीधे जाने वाली गाड़ी से आल राइट सिगनल का आदान–प्रदान करना सम्भव न हो तो स्टे.मा. सीधे जाने वाली गाड़ी के दूसरी तरफ ड्राइवर व गार्ड से आल राइट सिगनल का आदान–प्रदान करने के लिए एक सक्षम रेल कर्मचारी को वर्दी के साथ नियुक्त करेगा। ऐसी अवस्था में ड्राइवर तथा गार्ड भी इस प्रकार के सिगनल के लिए गाड़ी के दूसरी तरफ सतत् दृष्टि रखेगें।**(साधारण एवं सहायक नियम 5..01(5)(vii)**

6.8 <u>विफलता के दौरान कार्य पद्धति</u> :

6.8.1 <u>ट्रैक सर्किट की विफलता के मामले में कार्य पद्धति</u> :
ट्रैक सर्किट की विफलता या ट्रैक सर्किट सूचक बल्ब के फ्यूज होने की स्थिति में उक्त ट्रैक सर्किट यदि वह ओवर लैप तक हो को नियंत्रित करने वाले सिगनल को विफल समझा जाये। गाड़ी के आगमन/प्रस्थान के लिए स्टेशन मास्टर व्यक्तिगत रुप से जिस लाइन से गाड़ी को गुजरना है के साफ एवं अवरोध मुक्त होने का सत्यापन करेगा। **(सा0नियम 3.38(1),3.40(2),8.03,14.13(1)(2)देखें)**

6.8.2 <u>कांटो की विफलता के मामले में कार्य पद्धति</u> :
मोटर कांटों की विफलता की स्थिति में, कांटों की सेटिग, क्रैंक हैण्डिल के उपयोग से की जायेगी । क्रैक हैण्डिल को लीवर लाक कम सर्किट कंट्रोलर असेम्बली से निकालने की पद्धति स्टेशन संचालन नियमावली के पैरा 4.1(xiii) एवं कांटो के संचालन की विस्तृत पद्धति सटेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट ''**बी**'' के अनुलग्नक–। में दिया गया है ।

6.8.3 <u>सिगनल की विफलता के मामले में कार्य पद्धति</u> :
सिगनल की विफलता के मामले में विस्तृत कार्य पद्धति के लिये सामान्य नियम 3.68(1)(2), सहायक नियम 3.68 सामान्य नियम 3.69, सामान्य एवं सहायक नियम 3.70 देखें ।

6.8.4 <u>ब्लाक यंत्रों की विफलता के मामले में कार्य पद्धति</u> :
ब्लाक यंत्रों की विफलता की स्थिति में गाड़ियों का परिचालन सामान्य एवं सहायक नियम 14.13 के अनुसार किया जायेगा ।

क्रमशः पृष्ठ 17 पर

6.8.5 <u>एक्सिल काउन्टर/एक्सिल काउन्टर ब्लाक की विफलता के मामले में कार्य पद्धति</u> :

स्टेशन के स्टे.सं.नि. में संलग्न परिशिष्ट 'बी' एवं अनुलग्नक **IV** देखें।

6.8.6 <u>क्षतिग्रस्त कांटों पर कार्य करने की पद्धति</u> :

सामान्य नियम 3.77(1)(2)एवं सहायक नियम 3.77(i) देखें ।

6.8.7 <u>अवरुद्ध लाइनों पर गाड़ियों के आगमन की पद्धति</u> :

सामान्य नियम 5.09(1)(2)(3)एवं सहायक नियम 5.09(i)देखें ।

6.8.8 <u>बिना सिगनल वाली लाइनों पर गाड़ियों के आगमन की पद्धति</u> :

सामान्य नियम 5.10(1)(2) एवं सहायक नियम 5.10(i)(ii)(iii) देखें ।

6.8.9 <u>शन्ट सिगनल की विफलता पर कार्य करने की पद्धतिः</u>–

जब शन्ट सिगनल के लिए रूट सेट हो और सिगनल आफ न हो रहा हो और यदि पैनल पर रूट लाइट प्रदर्शित हो चुकी हो तो स्टेशन मास्टर खराब सिगनल पर शंटिंग को नियन्त्रण करने के उद्देश से हैंड सिगनल देने के लिए रेल सेवक को नियुक्त कर देगा तथा निर्धारित फार्म में चालक को लिखित प्राधिकार देकर हाथ सिगनलों से शंटिंग संचलन की अनुमति दे सकता है। यदि पैनल पर रूट लाइटें नहीं दिखाई दे रहीं है तो मार्ग में पड़ने वाले सभी कांटो को खराब समझा जाएगा। शंटिंग प्रभारी व्यक्तिगत रूप से कांटो की सही सेटिंग की जांच करेगा और सभी कांटों को क्लैम्प एवं पैडलाक किए जाने के बाद ही निर्धारित फार्म में चालक को लिखित प्राधिकार देकर हाथ सिगनल द्वारा शंटिंग कराएगा। ऐसे मामले में स्टे.मा. सुनिश्चित करेगा कि कोई संदेहात्मक संचलन नहीं किया जा रहा है। जैसे ही सिगनल ठीक हो जाये या चालक कार्यमुक्त हो जाये–इन दोनो में जो पहले हो–तो चालक से मेमो वापस लेकर कार्यालय प्रति पर चिपका दिया जायेगा। **(देखे सहायक नियम 3.68(4)(i)(ii)**

6.9 <u>ट्रालियों/मोटर ट्रालियों/सामग्री लारियों की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में उपलब्ध</u> :सामान्य एवं सहायक नियम 15.18 से 15.28 व स्टेशन के स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट ''बी'' के अनुलग्नक **IV** में देखे ।

7. <u>लाइन अवरुद्ध होना</u> :

सामान्यतः परिचालित लाइनो को अवरुद्ध करने की अनुमति नहीं है। परन्तु जब किसी परिचालित लाइन को अवरुद्ध करना ही पड़े तो स्टे.मा. सा0 एवं सहा0 नियम **5.19** का पालन करें तथा कार्यरत गाड़ी नियंत्रक से **प्राइवेट नं0** का आदान प्रदान अवश्य करें ।

8. <u>शंटिंग</u> :

8.1 <u>सामान्य सावधानियॉ</u> : सहायक नियम 5.14(1)(2)(3) देखें।

8.2 <u>आती हुई गाड़ी के सम्मुख शंटिंग</u> :

(i) जब लाइन क्लीयर दिया जा चुका है तो स्टेशन सेक्शन के बाहर कोई अवरोध नहीं होने दिया जायेगा किन्तु स्टेशन सेक्शन के भीतर शंटिंग कार्य लगातार किया जा सकता है परन्तु यह तब जब आवश्यक सिगनल **आन** रखे जाये ।

(ii) जब किसी ऐसी लाइन पर जो पृथक नहीं की गयी है , आने वाली गाड़ी के लिए सिगनल **''आफ''** किये जा चुके है तो शंटिगं कार्य उन कॉटों की तरफ नहीं किया जायेगा जिन पर से आने वाली गाड़ी को गुजरना है ।

8.3 (i) <u>शंटिग पर प्रतिबन्ध</u> :

(क) यदि लाइन क्लीयर दिया जा चुका है तो पिछले ब्लाक सेक्शन में किसी अवरोध की अनुमति नही दी जायेगी ।

क्रमशः पृष्ठ 18 पर

(ख) धुन्ध या कोहरा या किसी भी कारण यदि दृश्यता बाधित हो तो किसी भी गाड़ी का लाइन क्लीयर देने के पश्चात उसके सामने उन लाइनों पर शंटिग करने की अनुमति नहीं है जो पृथक नहीं है ।

(ii) <u>कोई अन्य प्रमुख विशेषतायें</u> :
– कुछ नहीं –

8.4 <u>इकहरी लाइन पर शंटिंग</u> :
साधारण एवं सहायक नियम 8.09, 8.10, 8.12, 8.13 व 8.15 की ओर विशेष रुप से ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

8.4.1 <u>ब्लाक खण्ड साफ होने पर शंटिंग (आगमन अनुमति देने से पूर्व)</u>:–
होम सिगनल **''आन''** रहने पर साधारणतया अग्रिम प्रस्थान सिगनल के मध्य शंटिग मेमो देकर शंटिग करने की अनुमति है, परन्तु ब्लाक खण्ड साफ होने पर स्टेशन मास्टर द्वारा प्रदत्त सक्षम रेल कर्मचारी की निगरानी में होम सिगनल तक ऐसी शंटिंग की जा सकती है । बशर्ते रास्ते में पड़ने वाले फाटक बंद व लाक हो और खण्ड का ब्लाक बैक किया जा चुका हो तथा सम्बन्धित शंटिग चाभी/शंटिग आदेश ड्राइवर को देकर इसकी स्वीकृति दी जा चुकी हो ।

8.4.2 <u>आती हुई गाड़ी की दिशा में शंटिंग (आगमन अनुमति देने से बाद)</u>:–
होम सिगनल **''आन''** स्थिति में रहने पर स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त सक्षम रेल कर्मचारी की निगरानी में लाइन क्लीयर देने के बाद उस दिशा में अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक ऐसी शंटिंग की जा सकती है बशर्ते :

(1) संभावित आगमन से दस मिनट पूर्व शंटिंग बंद हो जाये ।
(2) रात्रि में धुन्ध, कुहरा या तुफानी मौसम में ऐसी शंटिग वर्जित है ।
(3) मार्ग में पड़ने वाले फाटक बन्द एवं लाक हो ।

8.4.3 <u>जाती हुई गाड़ी के पीछे शंटिंग</u>
इस स्टेशन पर जाती हुई गाड़ी के पीछे प्रथम रोक सिगनल तक शंटिंग की अनुमति है बशर्ते जाने वाली गाड़ी प्रथम रोक सिगनल को पार कर गयी हो और इसकी यात्रा चालू है। होम सिगनल के बाहर लाइन अवरुद्ध नहीं की जायेगी जब तक कि सामान्य नियम 8.12 एवं 8.13के अनुरुप लाइन**''ब्लाक बैक''**कर चालक को शंटिग चाभी/शंटिंग आदेश नहीं दिया जाता है।

8.4.4 <u>शंटिग पर प्रतिबन्ध</u> :
साधारण एवं सहायक नियम संख्या 5.13 एवं 5.14 का अनुपालन सुनिश्चित करे । किसी भी आने वाली गाड़ी के लिए यदि सिगनल **''आफ''** कर दिया गया हो तो शंटिग संचालन नहीं किया जायेगा। जब तक कि लाइन जिस पर शंटिग किया जाना है, आने वाली गाड़ी के लाइन से आइसोलेटड नहीं है ।

टिप्पणी: शंटिग के दौरान रास्ते में पड़ने वाले समपार फाटक सड़क यातायात के विरुद्ध बंद एवं लाक कर दिये जायेगें ।

8.4.5 <u>इकहरी लाइन पर ब्लाक उपकरण खराब होने के दौरान शंटिग</u> :
ब्लाक उपकरण विफलता सम्बन्धी नियमो का पालन करते हुये शन्टिंग की जायेगी।

क्रमशः पृष्ठ 19 पर

8.5 <u>दोहरी लाइन पर शंटिंग</u> :
इस स्टेशन पर दोहरी लाइन नहीं है ।

8.6 <u>स्टेशन यार्ड/माल यार्ड से निकलने वाली साइडिंग में शंटिंग</u> :
इस स्टेशन पर साइडिंग नहीं है ।

9. <u>असामान्य परिस्थितियॉ</u> :

(क) <u>असामान्य परिस्थितियों में अनुपालन हेतु नियम</u> :

(i) स्टेशन पर दिये हुए स्थावर सिगनलों में से किसी के विफल होने की दशा में साधारण एवं सहायक नियम 3.68, 3.69, 3.70, 3.71 व 3.74 में निहित निर्देशों के अनुसार गाड़ियों का संचालन किया जायेगा। ब्लाक उपकरणों के विफल हो जाने पर लाइन क्लियर संदेश स्टेशन पर उपलब्ध संचार माध्यम पर अधिमानता के क्रम में भेजा जाना चाहिये।
(विस्तृत विवरण के लिये साधारण एवं सहायक नियम का अध्याय–14 एवं परिशिष्ट ''डी '' देखें)

टिप्पणी:(अ) ब्लाक यंत्र के टेलीफोन से लाइन क्लीयर संदेश भेजते समय दूसरे छोर के स्टेशन का वास्तविक नाम सुनिश्चित करने के लिये विशेष सावधानी बरतनी आवश्यक है क्योकि टेलीफोन के किसी अन्य स्टेशन से जुड़ जाने की संभावना रहती है ।

(ब) दुर्घटना की स्थिति में या किसी अन्य कारण से लाइन अवरुद्ध होने पर स्टेशन मास्टर का यह कर्तव्य है कि उस खण्ड को ब्लाक कर दे और कारण जानने की कोशिश करे और आवश्यकता पड़े तो इंजन से, ट्राली से या सड़क यातायात से या पैदल उस व्यवधान स्थल पर पहुंचे और दुघर्टना मैनुअल एवं साधारण एवं सहायक नियम अध्याय 6 के अनुसार कार्य करें ।

(स) बिना सिगनल के किसी गाड़ी का आगमन विद्युत चालित कांटों पर हो तो स्टेशन मास्टर का दायित्व होता है कि वह कांटों को सामान्य और विपरीत दिशा चलाकर सही सेटिंग सुनिश्चित करें। जब स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित कर लें कि स्टेशन पैनल पर सामान्य एवं विपरीत का संकेत सही है तभी कांटों पर परिचालन की अनुमति दी जा सकती है। कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा डायरी में इसको रिकार्ड कर लिया जाना चाहिए।

(ii) <u>लाइन पर अवरोध या दुर्घटना आदि के मामले में अवरोधित ब्लाक खंड में प्रस्थान आदेश</u> :
दुघर्टना अथवा लाइन के अवरुद्ध होने की स्थिति में,यदि आवश्यक हो, अवरोध के स्थान तक कार्य हेतु गाड़ियों के चलाने का अधिकार **टी/ए 602** जिसमें बिना लाइन क्लीयर के जाने का ब्लाक टिकट,प्रस्थान सिगनल आन स्थिति में पास करने का प्राधिकार एवं सतर्कता आदेश समावेशित होगा, पर भेजी जायेगी ।

(सामान्य नियम 6.02 एवं 6.09 देखें ।)

कमशः पृष्ठ 20 पर

(iii) <u>ब्लाक खंड में रुकी हुई गाड़ियॉ</u> :
यदि कोई सवारी गाड़ी किसी स्टेशन पर नियत आगमन समय के 10 मिनट के अन्दर और मालगाड़ी नियत आगमन समय के 20 मिनट के अन्दर न पहुँच सके तो ब्लाक सेक्शन के दोनो ओर के स्टेशन मास्टर को कारण पता करने के लिए किसी रेल सेवक को भेजना चाहिए।

(सामान्य नियम 6.04 देखें ।)

(iv) <u>मध्यवर्ती ब्लाक रोक सिगनल के आन होने पर चूक/पासिंग</u> :
इस स्टेशन पर व्यवस्था नहीं है ।

(v) <u>एक्सिल काउन्टर ब्लाक/बी.पी.ए.सी. की खराबी</u> :
स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट 'बी' व अनुलग्नक **IV** देखें।

(vi) <u>एम.टी.आर.सी. में खराबी</u> :
इस स्टेशन पर व्यवस्था नहीं है ।

(ख) <u>कैक हैण्डिल द्वारा कांटों के आकस्मिक परिचालन के लिये कार्यविधि</u> :

(i) आपात स्थिति में मोटर संचालित कांटों को कैंक हैण्डिल से संचालन का विस्तृत विवरण स्टेशन संचालन नियमावली में संलग्न परिशिष्ट ''**बी**'' के अनुलग्नक–। में दिया गया है ।

(ii) ट्रैक सर्किट की विफलता की स्थिति में कांटों का आपात संचालन या रुट रिलीज कराने हेतु सामान्य नियम 3.39 एवं 3.77 देखें ।

(ग) <u>कालिंग आन सिगनल परिचालन से पूर्व रेलपथ के क्लीयरेंस का प्रमाणन</u> :
ट्रैक सर्किट के विफल होने पर कालिंग आन सिगनल को आफ करने के पूर्व कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा मार्ग की सही सेटिंग एवं बाधारहित होने की व्यक्तिगत रुप से जांच की जायेगी जिस पर से गाड़ी गुजरना है ।

(घ) <u>कांटो, ट्रैक सर्किट /एक्सिल काउन्टर और अन्तर्पाशन की खराबी की रिपोर्ट करना</u> :

(i) जब भी स्टेशन पर कांटो, ट्रैक सर्किट/एक्सिल काउन्टर या कोई अन्य अन्तपार्शन गियर में खराबी पायी जाती है तो उसकी रिपोर्ट कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा सम्बन्धित कार्यरत सिगनल अनुरक्षण कर्मचारी जो इस खराबी को ठीक करने के लिए उत्तरदायी है, को की जाये तथा उस खराबी के ठीक होने के बाद सिगनल अनुरक्षक से केवल लिखित मेमो प्राप्त होने पर ही स्टेशन मास्टर द्वारा कार्य प्रणाली को पुनः सामान्य स्थिति में लाया जाये ।

(ii) खण्ड के नियंत्रक को संदेश देने के साथ इस खराबी को सिगनल विफलता रजिस्टर में भी दर्ज किया जाये ।

9.1 <u>संचार साधनों की पूर्ण विफलता</u> :–
दो स्टेशनों के बीच संचार साधनों की पूर्ण विफलता होने के दौरान अर्थात जब निम्न साधनों में से जो कि प्राथमिकता के क्रम में दिये गये है उदाहरणार्थ :–

1. ब्लाक उपकरण, ट्रैक सर्किट या एक्सल काउन्टर।
2. ब्लाक उपकरण से सम्बद्ध टेलीफोन।
3. स्टेशन से स्टेशन तक स्थिर टेलीफोन।(यदि उपलब्ध हो)
4. स्थिर टेलीफोन जैसे रेलवे आटो टेलीफोन एवं बी0एस0एन0एल0 टेलीफोन
5. कन्ट्रोल टेलीफोन।
6. वी0एच0एफ0 सेट विशेष अनुदेशों के अधीन।

क्रमशः पृष्ठ 21 पर

(क) प्राथमिकता का क्रम जैसा कि ऊपर दिया गया है का उल्लंघन किसी भी स्थिति में नही किया जायेगा।

(ख) वी0एच0एफ0सेट द्वारा लाइन क्लियर का आदान–प्रदान करते समय वी0एच0एफ0सेट के प्रयोग हेतु विशेष अनुदेशों का पालन किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त किसी के भी द्वारा 'आगमन अनुमति' प्राप्त न हो सके, तो गाड़ियों को पास करने के लिये अधोलिखित क्रियाविधि अपनायी जायेगीः–

ऐसी दशाओं में प्रभावित ब्लाक स्टेशन में किसी भी गाड़ी को अगले ब्लाक सेक्शन में प्रवेश करने की आज्ञा देने से पहले उसे स्टेशन पर रोक दिया जायेगा तथा गार्ड और ड्राइवर को कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा परिस्थितियों से अवगत कराया जायेगा। स्टेशन मास्टर प्रत्येक गाड़ी के ड्राइवर को निर्धारित फार्म **टी/बी 602** पर सम्पूर्ण संचार साधनों की विफलता की दशा में कार्य करने हेतु एक प्राधिकार देगा जिसमें निम्न समावेशित होगा :

(अ) बिना लाइन क्लियर प्रस्थान प्राधिकार।

(ब) सतर्कता आदेश, जिसमें वह गति विनिर्दिष्ट की गयी हो जिस पर प्रभावित ब्लाक सेक्शन से इंजन या स्वनोदित वाहन चल सकता हो।

(स) अन्तिम रोक सिगनल, यदि स्टेशन पर कोई रोक सिगनल हो, को ''आन'' स्थिति में पार करने का प्राधिकार।

(द) प्रभावित ब्लाक सेक्शन के दूसरी ओर के ब्लाक स्टेशन के स्टेशन मास्टर के नाम लाइन क्लीयर इन्क्वायरी संदेश, जिसमें उसके स्टेशन के लिए भेजे जाने के लिए प्रतीक्षारत गाड़ी के लिए लाइन क्लीयर के लिए कहा जाय।

(य) प्रभावित ब्लाक सेक्शन के दूसरी ओर के ब्लाक स्टेशन के स्टेशन मास्टर के नाम एक सशर्त लाइन क्लीयर संदेश जिसमें निम्नलिखित के लिए अनुमति दी गयी हो :–

(i) खाली इंजन/गाड़ी इंजन खाली अथवा उसके स्टेशन से भेजे जाने के लिए प्रतीक्षारत गाड़ी के साथ जोड़कर अथवा किसी अन्य इंजन के साथ जुड़कर वापस आने के लिए ,

अथवा

(ii) टावर वैगन/डीजलकार/रेल मोटर कार/स्वचालित बिजली गाड़ी रैक के वापस आने के लिए,

अथवा

(iii) मोटर ट्राली/साइकिल ट्राली/मोपेड ट्राली यानी अकेले चलकर उसके स्टेशन से चलने की प्रतीक्षा में किसी गाड़ी में लदकर वापस आने के लिए ।

नोटः सामान्य एवं सहायक नियम की परिशिष्ट ''ख''भाग–II देखें ।

9.2 **<u>दोहरी लाइन पर अस्थायी रुप से इकहरी लाइन कार्य पद्धति</u>** :
इस स्टेशन पर दोहरी लाइन नहीं है ।

9.3 **<u>बिना लाइन क्लीयर प्रस्थान प्राधिकार पर या दुधर्टनाग्रस्त/क्रिपिल्ड गाड़ी के सहायतार्थ गाड़ी का प्रस्थान</u>** :
सामान्य एवं सहायक नियम 6.02 के अनुसार कार्य किया जायेगा ।

10. **<u>दृश्यता परीक्षण लक्ष्य</u>** :

क. **<u>कैम्पियरगंज छोर</u>** : प्लेटफार्म पर निर्दिष्ट स्थान से दिन और रात्रि में अप स्टार्टर सिगनल सं0 एस–4 की बत्ती ।

क्रमशः पृष्ठ 22 पर

ख. **मानीराम छोर** : प्लेटफार्म पर निर्दिष्ट स्थान से दिन और रात्रि में डाउन स्टार्टर सिगनल सं0 एस–5 की बत्ती ।

(विशेषकर सामान्य एवं सहायक नियम 3.61 देखें)

11. **स्टेशन पर आवश्यक उपकरण :**
स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट 'ई.' देखें।

12. **कोहरा होने पर बुलाये जाने वाले नामित फाग सिगनल मैन :**

(i) कोहरे, आंधी या धुंध के मौसम में जब दृश्यता परीक्षण लक्ष्य दिखाई न पड़े तो कार्यरत स्टेशन मास्टर स्वंय तसल्ली कर लेगा कि सिगनल जल रहे है इसके बाद एक एक प्रशिक्षित व्यक्ति को दोनो दिशाओं में पटाखे लगाने के लिए कुहासा सिगनल खम्भों के पास भेजेगा। यह खम्भे इस स्टेशन के प्रथम रोक सिगनल से 270 मीटर पीछे अर्थात बाहर की ओर गड़े है। स्टेशन पर फाग सिगनल मैनों का नाम, फाग सिगनल रजिस्टर में लिखा जायेगा तथा नामांकित फाग सिगनल मैनों को ही धुन्ध या कोहरे के मौसम में इस्तेमाल किया जायेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर जैसे ही कार्यवाही करने की आवश्यकता हो, वह तुरन्त स्टेशन के दो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जो डयूटी पर न हो बुलायेगा अन्यथा प्रखंड का रेल पथ निरीक्षक से दो प्रशिक्षित गैगमैनों को फाग सिगनल मैन की जगह प्रतिनियुक्त करने का आग्रह करेगा। फाग सिगनल मैन रेलवे के स्थायी कर्मचारी होना चाहिए न कि एवजी कर्मचारी ।

(ii) स्टेशन में निर्धारित प्रपत्र पर स्टेशन पटाखा रजिस्टर रखना आवश्यक है। जिसमें कार्यरत फाग सिगनल मैन का नाम, कार्य की अवधि, पटाखों का स्टाक प्रत्येक फाग सिगनल वाले के साथ कितने पटाखें भेजे गये,प्रत्येक गाड़ी की सं0 जिसके नीचे पटाखे प्रयोग किये गये,बचे हुए पटाखों की संख्या और प्रयोग किये गये पटाखो के खोल (साथ ही जो पटाखें न फटे हो) कार्यरत स्टेशन मास्टर को फाग सिगनल मैन द्वारा वापस किये गये का व्योरा देना होगा ।

(iii) कार्यरत स्टेशन मास्टर को स्टेशन पटाखा रजिस्टर में सभी लोगों के जो पटाखा फाग सिगनल मैन और या उनकी जगह इस स्टेशन पर फाग सिगनल मैन प्रतिनियुक्ति किये गये हो के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान लेना आवश्यक है। जिससे ज्ञात होगा कि वे गाड़ी के लिए फाग सिगनल लगाने के नियमों को समझते हैं ।

(दृश्यता परीक्षण स्थल, पटाखा लगाने का स्थान, स्टेशन पटाखा रजिस्टर एवं फाग सिगनल मैन हेतु विस्तृत निर्देशों हेतु सामान्य एवं सहायक नियम 3.61 एवं परिशिष्ट ''क'' देखें)

13. **परिशिष्ट की सूची :**

1. परिशिष्ट 'ए' समपार फाटको की कार्य प्रणाली।
2. परिशिष्ट 'बी' सिगनलिंग एवं अर्न्तपाशन की प्रणाली तथा स्टेशन पर संचार व्यवस्था।
   - अनुलग्नक–i मोटर प्वाइंट मशीन का क्रैक हैण्डिल द्वारा संचालन ।
   - अनुलग्नक–ii कलर लाइट सिगनलों को प्रकाशित करने की व्यवस्था ।
   - अनुलग्नक–iii इकहरी लाइन बी.पी.ए.सी ब्लाक पैनल के साथ यूनिवर्सल फेल सेफ ब्लाक इन्टरसेफ(यू.एफ.एस.बी.आई) का विवरण।
   - अनुलग्नक– iv ब्लाक प्रूविंग बाय एचएएसएसडीएसी की कार्यविधि।
3. परिशिष्ट 'सी' टक्कर रोधी उपकरण ।
4. परिशिष्ट 'डी' कर्मचारियों के कर्तव्य।

क्रमशः पृष्ठ 23 पर

5. परिशिष्ट 'ई..' स्टेशन पर उपलब्ध आवश्यक उपकरण ।
6. परिशिष्ट 'एफ' डी के स्टेशन , हाल्ट, आई.बी.एच., आई.बी.एस. और बाहरी साइडिगों के संचालन नियम ।
7. परिशिष्ट 'जी' विद्युतीकृत खडों पर गाड़ियो के परिचालन के लिये नियम ।

नोट : क. इन नियमों को किसी भी स्थिति में साधारण एवं सहायक नियमों को रद्द करके, संशोधित करके अथवा सुधार करके न पढ़ा जाये।

ख. उपर्युक्त अनुच्छेद में कुछ साधारण एवं सहायक नियमों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। नियम सम्पूर्ण नहीं है सभी अन्य साधारण और सहायक नियमों पर अन्य विशेष आदेशों या प्रशासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये अनुदेशों का पालन दृढ़ता से किया जाये।

———————————

उपमुसिदूइं
रे.वि./लखनऊ

मंसिदूइं
पूर्वोत्तर रेलवे/लखनऊ

वमंपरिप्र/सा0
पूर्वोत्तर रेलवे/लखनऊ

पूर्वोत्तर रेलवे

लखनऊ मण्डल

टॉप शीट

पीपीगंज स्टेशन

कार्यालय
मंडल रेल प्रबन्धक/परिचालन
लखनऊ

दिनांक 23.01.2020 से लागू स्टेशन संचालन नियम सं0 एल.जे.एन./209 में शुद्धि पर्ची सं0–2 दि0 05.02.21

शुद्धि पर्ची जारी करने की तिथि
शुद्धि पर्ची लागू करने की तिथि

गोरखपुर जं0–आनन्दनगर–नौतनवां प्रखण्ड में रेल विद्युतीकरण कार्य के अन्तर्गत **पीपीगंज** स्टेशन पर विद्युतीकरण कार्य किये जाने तथा **पीपीगंज–मानीराम व पीपीगंज–कैम्पियरगंज** स्टेशनों के मध्य टोकनलेस ब्लाक उपकरण को हटाकर बी.पी.ए.सी मय ड्यूल डिटेक्शन (HASSDAC) के साथ यूनिवर्सल फेल सेफ ब्लाक इन्टरफेस (यू.एफ.एस.बी.आई) संयुक्त ब्लाक पैनल का प्रावधान किये जाने हेतु दि0 23.01.2020 से लागू **पीपीगंज** स्टेशन के स्टेशन संचालन नियम सं0 **एल0जे0एन0/ 209** में संशोधन हेतु **शुद्धि पर्ची सं0–2 दि0 05.02.21** के द्वारा निम्नलिखित परिवर्तन किए गए :–

मुख्य भाग	:	पृष्ठ सं0 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 14, 17, 20 व 22 बदले गये।
परिशिष्ट 'ए' भाग–1	:	पृष्ठ सं0 1, 2, 10, 12 बदले गये एवं 13 बढ़ाया गया।
परिशिष्ट 'ए' भाग–2	:	पृष्ठ सं0 1, 2, 10, 12 बदले गये एवं 13 बढ़ाया गया।
परिशिष्ट 'ए' भाग–3	:	पृष्ठ सं0 1, 2, 3, 7, 9 बदले गये एवं 10 बढ़ाया गया।
परिशिष्ट 'ए' भाग–4	:	पृष्ठ सं0 1, 2, 3, 8, 10 बदले गये एवं 11 बढ़ाया गया।
परिशिष्ट 'ए' भाग–5	:	पृष्ठ सं0 1, 2, 6, 8 बदले गये एवं 9 बढ़ाया गया।
परिशिष्ट 'बी'	:	पृष्ठ सं0 1, 13, 16 व 17 बदले गये।
अनुलग्नक–II	:	पृष्ठ सं0 1 व 2 बदले गये ।
अनुलग्नक–III	:	8 पृष्ठों को हटाकर 10 पृष्ठों में बदला गया।
अनुलग्नक–IV	:	5 पृष्ठों से लगाया गया।
परिशिष्ट "ई"	:	बदला गया।
परिशिष्ट "जी"	:	1 पृष्ठ को हटाकर 5 पृष्ठों में लगाया गया।
नियम आरेख	:	वमंसिदूइं/ल.जं/2019 (आर.डी)/97 दि0 01.10.19 को उपमुसिदूइं/आर.ई./ल.जं./2021(आर0डी0)/05 दि0 05.02.21 से बदला गया।
पैनल आरेख	:	वमंसिदूइं/ल.जं/2014 (पी.डी)/48 दि0 30.09.14 को उपमुसिदूइं/आर.ई/ल.जं./2021(पी0डी0)/06 दिनांक 05.02.21 से बदला गया।
कर्षण आरेख	:	**RE/GKP/TSWR/PJ/GR-304 दिनांक 09.03.21** से लगाया गया।

उपमुसिदूइं	मंसिदूइं	वमंपरिप्र/सा0
रे.वि./लखनऊ	पूर्वोत्तर रेलवे/लखनऊ	पूर्वोत्तर रेलवे/लखनऊ

परिशिष्ट 'ए'

भाग – 5

पीपीगंज – मानीराम स्टेशनो के मध्य स्थित ''सी'' श्रेणी के इन्जी0 समपार फाटक सं0 11 के संचालन हेतु अनुदेश

1. **विवरण**

1.1 **सामान्य** :–

1	समपार फाटक सं0	11 श्रेणी 'सी'
2	इंजीनियरिंग / यातायात फाटक	इंजीनियरिंग
3	किसके अधीन स्टेशन अधी0 / रेलपथ निरीक्षक	सी.से.ई. / पीवे / आनन्दनगर
4	किलोमीटर पर स्थित	17 / 4–5
5	स्टेशन पर	पीपीगंज
6	स्टेशनों के मध्य	पीपीगंज – मानीराम
7	बी0जी0 / एम0जी0 / एन0जी0	बीजी
8	इकहरी लाइन / दोहरी / मिश्रित लाइन	इकहरी लाइन
9	सामान्य स्थिति	सड़क यातायात के लिए खुला है
10	इण्टरलाक्ड / नान–इण्टरलाक्ड	नान–इण्टरलाक्ड
11	इण्टरलाकिंग का प्रकार	कुछ नही
12	गेट सिगनलों का प्रावधान का कि0मी0	
(i)	अप दिशा–	–
(ii)	डाउन दिशा–	–
13	संकेतन व्यवस्था	–
14	संचार साधन टेलीफोन / घण्टी इत्यादि	टेलीफोन
15	समपार फाटक की चौड़ाई	7.50 मीटर
16	सड़क का प्रकार(एन0एच0 / एस0एच0 / अन्य)	अन्य
17	सड़क का नाम	चकिया
18	पक्का / कच्चा	पक्का
19	पहुँच मार्ग	पक्का
20	सड़क की चौड़ाई	5.60 मीटर
21	सड़क की क्रासिंग कोण (इस्क्यू गेट के लिये)	–
(i)	उत्तर की तरफ	–
(ii)	दक्षिण की तरफ	–
22	सड़क की ढाल यदि कोई हो	1:20
(i)	उत्तर की तरफ	1:20
(ii)	दक्षिण की तरफ	–
23	सड़क की सीधाई (सीधा / गोलाई)	गोलाई
(i)	उत्तर की तरफ	सीधा
(ii)	दक्षिण की तरफ	–
24	हाईट गेज का प्रावधान	है
25	बैरियर का प्रकार	**लिफ्टिंग बैरियर**
26	चेक रेल की लम्बाई	9.50 मीटर
27	समपार के मध्य सड़क की सतह	इन्टरलांकिग ब्लाक
28	रम्बल स्ट्रिप / गति अवरोध की लम्बाई	7.00 मीटर
29	रोड साइन बोर्ड	उपलब्ध
30	गति अवरोधक बोर्ड	उपलब्ध

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

31	टी0वी0यू0	7030 / दिसम्बर–2019
32	अगली गणना की तिथि	दिसम्बर–2022
33	पटाखा सिगनल लगाने का निर्दिष्ट स्थान	है
34	गेटमैनों की संख्या	02
35	निकटतम रेलवे चिकित्सा सहायता केन्द्र	गोरखपुर
36	निकटतम निजी चिकित्सा सहायता की उपलब्धता यदि कोई हो।	आनन्दनगर
37	उपलब्ध उपकरणों की सूची हॉ / नही	हॉ

1.2 उपकरण :–

क्रम सं0	विवरण	मात्रा
1	हाथ सिगनल बत्ती (ट्राईकलर टार्च)	3 अदद
2	हरी हाथ झण्डी	1 अदद डण्डे में लगा हुआ है
3	लाल हाथ झण्डी	3 अदद डण्डे में लगा हुआ है
4	बैनर फ्लैग लाल	3 अदद
5	लाल बैनर फ्लैग लगाने हेतु पोस्ट	2 अदद
6	तालों के साथ चेन (जंजीर)	4 अदद ''स्टाप चिन्ह'' के साथ
7	पटाखा सिगनल	10 अदद
8	गेट लैम्प	02 अदद
9	टामी बार	01 अदद
10	मोर्टार पैन (तसला)	01 अदद
11	फावड़ा / बेल्चा	01 अदद
12	दुरमुट	01 अदद
13	पिक एक्स	01 अदद
14	टिन केस झण्डी के लिये	01 अदद
15	कैन मिटटी के तेल हेतु	01 अदद
16	बाल्टी / पानी पीने का बर्तन	01 अदद
17	चश्मों का अतिरिक्त सेट जो चश्मा लगाते है (दृष्टि वाला)	01 अदद
18	गेट पर अवरोध की दशा में समपार की संरक्षा हेतु प्रदर्शित डायग्राम	01 अदद
19	टोकरी	01 अदद
20	सीटी	01 अदद
21	दीवार घड़ी	01 अदद
22	छोटी चेन मय ताला चाभी (बूम लाकिंग हेतु)	02 अदद

1.3 गेट लाज पर रखे जाने वाले अभिलेख :–

1. गेट का कार्यकारी अनुदेश हिन्दी में।
2. गेटमैन नियम पुस्तिका हिन्दी भाषा में।
3. पुस्तकों एवं उपकरणों की सूची।
4. डियूटी रोस्टर।
5. गेटमैन का कार्य करने का प्रमाण–पत्र।
6. गेटमैन का बायोडाटा, नेत्र जॉच, प्रारम्भिक पुनश्चर्या, संरक्षा कैम्प इत्यादि।
7. दुर्घटना रजिस्टर।
8. समपार फाटक पर अन्तिम गणना का अभिलेख।
9. आश्वासन एवं निरीक्षण पुस्तिका।
10. जन परिवाद पुस्तिका।

क्रमशः पृष्ठ 3 पर

1.4 समपार फाटक के संचालन हेतु विशेष अनुदेश :–

(क) संचालन पद्धति :–

इस समपार फाटक को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द करके लाक करने के लिये एक जोड़ा लिफ्टिंग बैरियरों की व्यवस्था है। लिफ्टिंग बैरियरों को चलाने के लिए एक विन्च की व्यवस्था है जिसमें एक 'ई' प्रकार का ताला लगा है इस ताले में **''टी–1''** चाभी लगी है। लिफ्टिंग बैरियरों के बूमों को लाक करने के लिये एक बूम लाकिंग लीवर की व्यवस्था है जिसमे दो 'ई' प्रकार के ताले लगे है। एक ताले मे **'टी'** चाभी लगी है तथा दूसरे मे **'टी–1'** चाभी लगाने के लिये जगह है। इस समपार फाटक को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द करके लाक करने के लिये कार्यरत गेटमैन विंच को तब तक संचालित करेगा जब तक कि बैरियर नीचे आकर समतल स्थिति में बूम पोस्ट पर स्थिर न हो जाये। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर के बीच में कोई सड़क वाहन न फॅस जाये। विन्च को इस स्थिति में लाक करने के लिये इसके 'ई' प्रकार के ताले से चाभी **'टी–1'** को निकाल लेगा। बूमों को लाक करने के लिये एक बूम लाकिंग लीवर की व्यवस्था है जिसमें दो 'ई' प्रकार के ताले लगे हैं जिसके एक ताले में चाभी **'टी'** लगी है तथा दूसरे ताले में चाभी **'टी–1'** लगाने की जगह है। विंन्च से निकली चाभी **'टी–1'** को इसके अपने ताले में लगाकर घुमायेगा तथा बूम लाकिंग लीवर को विपरीत दिशा में खींचेगा जिससे बूम ताला बन्द हो जायेंगें तथा रोड सिगनलों में स्थिर पीला संकेत के स्थान पर स्थिर लाल संकेत प्रकाशित होगा, तब गेटमैन चाभी **'टी'** को निकालकर अपनी निजी अभिरक्षा में रखेगा।

जब गेटमैन समपार फाटक को सड़क यातायात के लिये खोलेगा तो गेटमैन विन्च को तब तक संचालित करेगा जबतक कि लिफ्टिंग बैरियरों के बूम ऊपर उठकर लगभग उर्ध्वाधर न हो जाये।

(ख) प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान :–

(i) कार्यरत स्टेशन मास्टर **अप** गाड़ी का लाइन क्लियर देने से पहले अथवा **डाउन** गाड़ियों का प्रस्थान प्राधिकार देने से पहले मैगनेटो टेलीफोन द्वारा गेटमैन को गाड़ी का नम्बर, विवरण, दिशा एवं गेट से पास होने का सम्भावित समय देते हुये प्राइवेट नम्बर के आदान प्रदान द्वारा सूचित करेगा।

(ii) कार्यरत गेटमैन, कार्यरत स्टेशन मास्टर से सूचना प्राप्त होने पर समपार फाटक को समय से सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द व लाक करके तथा चाभी **''टी''** को अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में होना सुनिश्चित करके कार्यरत स्टेशन मास्टर से प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान कर पुष्टि करेगा।

(iii) कार्यरत स्टेशन मास्टर, कार्यरत गेटमैन से समपार फाटक के बन्द व लाक होने का प्राइवेट नम्बर प्राप्त होने के उपरान्त ही सम्बन्धित गाड़ी का लाइन क्लीयर अथवा प्रस्थान प्राधिकार देगा।

(iv) कार्यरत स्टेशन मास्टर/गेटमैन निम्नलिखित प्रारूप में एक लाग रजिस्टर का आवश्यकतानुसार अनुरक्षण करेंगें :–

तिथि	गाड़ी का नम्बर एवं विवरण	गेट से पास होने का सम्भावित समय	सूचना मिलने /देने का समय	कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा दिया गया प्राइवेट नम्बर	कार्यरत गेटमैन द्वारा सूचना प्राप्त होने की पुष्टि हेतु दिया गया प्राइवेट नम्बर	कार्यरत गेटमैन द्वारा गेट को बन्द व लाक कर दिया गया प्राइवेट नम्बर	कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा समपार के बन्द व लाक होने की स्वीकृति हेतु दिया गया प्राइवेट नम्बर	गाड़ी पास होने का समय	कार्यरत स्टेशन मास्टर/ गेटमैन का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(v) कार्यरत गेटमैन सम्बन्धित गाड़ी का समपार फाटक से टेल लैम्प अथवा टेल बोर्ड देखकर पूर्णरुप से पास होना सुनिश्चित करके समपार फाटक को सड़क यातायात के लिये खोलने हेतु अधिकृत होगा।

(ग) टेलीफोन संचार की विफलता :–

जब कभी टेलीफोन संचार माध्यम विफल हो जाये अथवा दो या तीन प्रयास के बाद भी गेटमैन की तरफ से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त न हो तो कार्यरत स्टेशन मास्टर निम्नलिखित कार्यवाही करेगा :–

(i) कार्यरत स्टेशन मास्टर प्रस्थान करने वाली सभी गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा।

क्रमश : पृष्ठ 4 पर

(ii) जारी किये गये सतर्कता आदेश में ड्राइवर को समपार फाटक की तरफ लगातार सीटी बजाते हुये सावधानीपूर्वक आगे बढ़ने हेतु निर्देश दिया जायेगा।

(iii) ड्राइवर को कार्यरत गेटमैन द्वारा हाथ सिगनल संकेत मिलने पर समपार फाटक को सतर्कतापूर्वक पास करने का निर्देश दिया जायेगा। यदि हाथ सिगनल संकेत नही दिखाई देता है तो ड्राइवर गाड़ी को समपार के पहले रोककर अपने सहायक ड्राइवर को समपार की स्थिति जानने के लिये भेजेगा। यदि समपार फाटक बन्द है तो सहायक

ड्राइवर 'सभी ठीक है' सिगनल देगा और यदि समपार फाटक बन्द नही है तो सहायक ड्राइवर समपार फाटक को बन्द करके 'सभी ठीक है' सिगनल देगा। सहायक ड्राइवर की अनुपस्थिति में ड्राइवर, गार्ड की सहायता लेगा।

(iv) गाड़ी के आगमन के मामले में कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी भेजने वाले स्टेशन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुये सूचित करेगा कि गेट का टेलीफोन खराब है।

(v) तब गाड़ी प्रस्थान कराने वाला स्टेशन मास्टर ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करने के उपरान्त गाड़ी को भेजेगा।

(vi) कार्यरत स्टेशन मास्टर कार्यरत गेटमैन को भी गैंगमैन/पेट्रोलमैन या प्रथम गाड़ी के ड्राइवर द्वारा टेलीफोन खराब होने की सूचना देगा।

(vii) कार्यरत स्टेशन मास्टर संकेत एवं दूरसंचार विभाग का कर्मचारी जो अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी है अतिशीघ्र टेलीफोन ठीक करने के लिये सूचना देगा।

(viii) सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब संकेत एवं दूरसंचार विभाग का कर्मचारी टेलीफोन ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

(घ) <u>लिफ्टिंग बैरियर की विफलता</u> :–

(i) जब लिफ्टिंग बैरियर के खराब हो जाने के कारण गेट को बन्द न किया जा सके तो गेटमैन तुरन्त प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुये कार्यरत स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर रेलपथ को बाधित न करता हो।

(ii) गेटमैन को निर्धारित पोस्ट पर सर्वप्रथम जिस तरफ से ट्रेन की आने की सम्भावना हो, दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात में लाल बत्ती लगायेगा। तदुपरान्त समपार के दूसरी तरफ लगायेगा।

(iii) गेटमैन समपार पर सड़क यातायात को रोकने के लिये समपार को सुरक्षा चेन तथा तालो द्वारा बन्द करेगा।

(iv) समपार फाटक को सड़क यातायात के लिये सुरक्षित करने के उपरान्त गेटमैन दिन में हरी हाथ झण्डी संकेत तथा रात्रि में हरी बत्ती आने वाली ट्रेन के ड्राइवर को दिखायेगा।

(v) कार्यरत स्टेशन मास्टर अपने स्टेशन से इस समपार की ओर जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुये सतर्कतापूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।

(vi) कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी भेजने वाले स्टेशन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुये सूचित करेगा कि वह अपनी तरफ से ब्लाक खण्ड में ट्रेन भेजने के पूर्व ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुये सतर्कतापूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।

(vii) कार्यरत स्टेशन मास्टर उत्तरदायी अनुरक्षण कर्मचारी को लिफ्टिंग बैरियर के शीघ्र मरम्मत हेतु सूचित करेगा।

(viii) सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब अनुरक्षण कर्मचारी मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो दे दे।

(ड.) <u>समपार फाटक पर अवरोध</u> :–

(i) यदि कोई सड़क वाहन गेट तोड़कर रेलपथ को बाधित कर रहा है या लिफ्टिंग बैरियर या गेट का अन्य भाग रेलपथ को बाधित कर रहा है या अन्य कोई बाधा गेट पर है, तो गेटमैन तुरन्त समपार के दोनो छोरों के ट्रैक पर आवश्यकता हेतु लगाये गये निर्धारित पोस्ट पर दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती लगायेगा।

क्रमश : पृष्ठ 5 पर

(ii) इसके तुरन्त बाद ही गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुये अवरोध के बारे में सूचित करेगा।

(iii) कार्यरत गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर को आगमन/प्रस्थान सिगनल यदि किसी ट्रेन के लिये 'आफ' किया गया हो तो उसको 'आन' करने के लिये सूचित करेगा।

(iv) यदि दो या तीन प्रयासों के पश्चात् भी कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा प्रत्युत्तर नही प्राप्त होता है तो गेटमैन सर्वप्रथम गेट को संरक्षित करने के उपरान्त टेलीफोन द्वारा सूचित करेगा।

(v) गेटमैन पटाखा व दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल बत्ती लेकर तेजी से पहले उस तरफ जायेगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना है। गेटमैन आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक पर की जाने वाली कार्यवाही के अनुसार गेट को संरक्षित करेगा।

(vi) इसके पश्चात् गेटमैन गेट के दूसरी तरफ को भी संरक्षित करेगा।

(vii) गेटमैन सड़क वाहन का विवरण, चालक का नाम, वाहन मालिक का नाम नोट कर कार्यरत स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर तब तक कोई गाड़ी नही चलायेगा जबतक कि गेटमैन सुनिश्चित नही कर लेता है कि सड़क वाहन, लिफ्टिंग बैरियर या अन्य कोई अवरोध रेलपथ को बाधित नही कर रहा है।

(viii) कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी भेजने वाले स्टेशन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुये सूचित करेगा कि वह अपनी तरफ से कोई भी गाड़ी ब्लाक खण्ड में तब तक न भेजे जब तक कि रेलपथ पर से सभी अवरोध हटा न दिये जाये।

(ix) रेलपथ से बाधा हटा दिये जाने के बाद गेटमैन, कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर के आदान–प्रदान से सूचित करेगा।

(x) तब कार्यरत स्टेशन मास्टर यदि गेट टूटा हो परन्तु गेट पर कोई बाधा न हो सभी ट्रेन के चालकों को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि गेटमैन द्वारा हरा झण्डी/बत्ती संकेत देने पर सावधानीपूर्वक पास करें।

	(xi) गेटमैन समपार को संरक्षा चेनो तथा तालो द्वारा सड़क यातायात के लिये संरक्षित करेगा तथा उसके बाद यदि समपार फाटक पर कोई बाधा नही है तो गेटमैन दिन के समय हरी हाथ झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती गुजरती हुई गाड़ियों को दिखायेगा। (xii) स्टेशन मास्टर अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी कर्मचारी को लिफ्टिंग बैरियर को अविलम्ब ठीक कराने हेतु सूचित करेगा। (xiii) समपार फाटक पर सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय से प्रारम्भ की जायेगी जब लिफ्टिग बैरियर को मरम्मत के उपरान्त संयोजन/फिट मेमो प्राप्त हो जाये।
	(च) समपार फाटक के समीप रेल पथ पर अवरोध :– यदि किसी रेल का टूटना, रेलपथ किसी पेड़ इत्यादि के गिरने के कारण अवरूद्व होना, सड़क वाहन द्वारा अवरूद्व अथवा गाड़ी का अवपथन होना जो गेटमैन को दिखाई दे रहा है, तो गेटमैन और स्टेशन मास्टर 'समपार फाटक पर अवरोध' में ऊपर वर्णित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही करेगा। यदि अवरोध समपार फाटक को बाधित कर रहा है तो गेटमैन को सड़क यातायात के लिये फाटक को उस समय तक बन्द रखेगा जब तक रेलपथ से अवरोध हटा न लिया जाये।
1.5	**गेटमैन के कर्तव्य :–**
	(1) सावधानी :– गेटमैन सदैव किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिये की जाने वाली त्वरित कार्यवाही के प्रति सावधान रहेगा। समपार फाटक की चाभी गेटमैन के व्यक्तिगत कब्जे में रहेगी।
	(2) ट्रेन के समपार फाटक से गुजरते समय फाटक वाले की स्थिति :– ट्रेन के गुजरने की स्थिति में गेटमैन बतायी गयी निम्न स्थिति में खड़ा रहेगाः– (i) गेटमैन सतर्कतापूर्वक गेटलाज के सामने आती हुई ट्रेन की तरफ मुँह करके खड़ा रहेगा। (ii) दिन में गेटमैन दॉये हाथ में लाल झण्डी तथा बॉये हाथ में हरी झण्डी डण्डे में लगी हुई मोड़कर लिये रहेगा।

क्रमशः पृष्ठ 6 पर

	(iii) रात्रि समय में गेटमैन जलती हुई सफेद हाथ बत्ती लाइन की तरफ दिखाता हुआ खड़ा रहेगा। (iv) गेटमैन गले में धागे में बॉधकर सीटी लटकाये रहेगा।
	(3) गेटमैन की नियमित ड्यूटी :– (i) गेटमैन जब समपार फाटक सड़क यातायात के लिये खुला हुआ हो तो रेलपथ पर समपार के दोनो तरफ बैनर फ्लैग लगायेगा। (ii) गेटमैन गेट लैम्प को सूर्यास्त से सूर्योदय तक लगातार जलती हुयी स्थिति में रखना सुनिश्चित करेगा। (iii) गेटमैन अपनी ड्यूटी निश्चित रूप से ड्यूटी रोस्टर के अनुसार करेगा और जब तक कार्यमुक्त करने हेतु साथी आ न जाये और वह गेट का कार्यभार ग्रहण न कर लें, तब तक गेटमैन गेट छोड़कर नही जायेगा। गेटमैन को यदि आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक से हटना अपरिहार्य हो तो वह गेट छोड़ने से पूर्व गेट को सड़क यातायात के लिये बन्द करके ताला लगायेगा। (iv) इन निर्देशों के अतिरिक्त गेटमैन गुजरती हुई ट्रेन को देखता रहेगा और ट्रेन की संरक्षा हेतु कार्य करने के लिये तत्पर रहेगा। (v) गेटमैन गुजरती हुई सभी ट्रेनों पर पैनी नजर रखेगा जिससे किसी अप्रत्याशित घटना जैसे हाट एक्सिल (गर्म धुरा), लटकती हुई चेन, लटकता हुआ बैटरी बाक्स, किसी वाहन/वैगन/ट्रेन/ बैटरी बाक्स में आग लगी हो तथा ब्रेक ब्लाक, ब्रेक बीम, सेफ्टी ब्रेकेट, वैक्यूम सिलेण्डर आदि का लटकना,गिरना जिससे ट्रेन की संरक्षा बाधित हो का पता लगाकर आवश्यक कार्यवाही करेगा। (vi) गेटमैन गार्ड द्वारा ड्राइवर को वाकी–टाकी अथवा किसी अन्य माध्यम से दिये गये संकेतों को दोहराने के लिये तैयार रहेगा। (vii) समपार का बैरियर गेट क्षतिग्रस्त अथवा खराब होने की दशा में गेटमैन अतिरिक्त चेन डिस्क एवं तालों का प्रयोग कर सड़क यातायात बन्द करेगा। (viii) गेटमैन अपने गेट की किसी भी खराबी के लिये यथाशीघ्र समीप वाले स्टेशन मास्टर, गैंग मेट अथवा रेलपथ निरीक्षक को सूचित करेगा। (ix) गेटमैन अपने कार्य पर रहेगा तो वह निर्धारित वर्दी एवं बैज धारण करेगा। (x) गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि डयूटी के समय उसके पास दक्षता प्रमाण–पत्र उपलब्ध है। (xi) गेटमैन, गेट संचालन नियमों के अनुरूप कार्य करेगा तथा नियमों के बारे में पूर्णरूपेण जानकारी रखेगा। (xii) गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि उसके गेट पर आपूर्ति किये गये सभी उपकरण अच्छी स्थिति में है एवं तत्काल प्रयोग हेतु तैयार है। (xiii) गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि समपार पर चेक रेल गैप साफ है।

(xiv) गेटमैन समपार फाटक की सड़क को (कच्ची सड़क) पानी छिड़ककर एवं दुरमुट से कूटकर ठीक रखेगा।

(xv) गेटमैन सड़क प्रयोगकर्ताओं के लिये गेट को बन्द रखने की स्थिति से उत्पन्न असुविधाओं के प्रति सतर्क रहेगा तथा ध्यान देगा कि समपार फाटक कम से कम समय के लिये बन्द हो।

(xvi) विद्युतीय रेल प्रखण्ड पर गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि सड़क वाहन/पशु जो उस सड़क से गुजरते हैं, समपार के दोनो तरफ लगाये गये **"हाइट लोडिंग गेज"** के नीचे से गुजरे।

(xvii) जहॉ तक सम्भव हो गेटमैन मनुष्यों अथवा जानवरों के अवैध आवागमन पर रोक लगायेगा।

(4). <u>ट्रेन की असामान्य स्थिति में किया जाने वाला कार्य</u> :–

यदि गेटमैन किसी पास हो रही गाड़ी में कोई असामान्य बात देखता है तो वह निम्न कार्य करेगाः–

(i) वह तत्काल ही ड्राइवर/गार्ड को दिन में लाल झण्डी तथा रात में लाल बत्ती दिखाकर सचेत करेगा।

(ii) साथ ही साथ ड्राइवर/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिये लगातार सीटी बजायेगा, चिल्लायेगा, असामान्य हाव–भाव प्रदर्शित करेगा तथा ब्रेकवान पर पत्थर फेकेंगा अथवा कोई अन्य साधन अपनायेगा।

क्रमशः पृष्ठ 7 पर

(iii) यदि ड्राइवर/गार्ड उपरोक्त कार्यो के उपरान्त भी ध्यान नही देते है तो वह स्टेशन मास्टर को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुये तदनुसार कार्यवाही करने हेतु सूचित करेगा।

(iv) किसी ट्रेन के विभक्त (पार्टिंग) हो जाने की दशा में गेटमैन रोक हैण्ड सिगनल (लाल) नही दिखायेगा बल्कि वह दिन में हरी झण्डी तथा रात में सफेद बत्ती ऊपर–नीचे करके निर्धारित संकेत करेगा।

(v) वह ड्राइवर/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास लगातार सीटी बजाकर, चिल्लाकर, असामान्य हाव–भाव प्रदर्शित करते हुये दोनो हाथों को ऊपर उठाकर तुरन्त दोनो हाथों को अलग करके पुनः दोनो हाथों को सटाते हुये पुनः हाथों को बिल्कुल नीचे करते हुये करेगा।

(vi) ऐसा करने से यदि ट्रेन नही रुकती है तो गेटमैन तुरन्त टेलीफोन पर स्टेशन मास्टर को उचित कार्यवाही करने हेतु प्राइवेट नम्बर के आदान–प्रदान के द्वारा इसकी सूचना देगा।

(5) <u>आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक पर की जाने वाली कार्यवाही</u> :–

(i) समपार फाटक पर कोई अवरोध आ जाने पर वह लाइन पर दोनो तरफ बैनर फ्लैग लगायेगा।

(ii) इसके उपरान्त यदि गेटमैन अवरोध हटाने में सक्षम नही है तो वह स्टेशन मास्टर को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुये गेट की खराबी/अवरोध के बारे में तत्काल सूचित करेगा।

(iii) यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी स्टेशन मास्टर कोई प्रत्युत्तर नही देते है तो गेटमैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के बाद पुनः टेलीफोन से सूचित करेगा।

(6) <u>गेटमैन गेट की संरक्षा (बचाव) निम्नलिखित अनुसार करेगा</u> :–

(अ) <u>इकहरी लाइन पर</u> :–

(i) गेटमैन दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लालबत्ती 5 मीटर की दूर निर्धारित पोस्ट पर सर्वप्रथम उस तरफ लगा देगा जिधर से गाड़ी आने की सम्भावना है।

(ii) इसके पश्चात् उसी तरह दिन में दूसरा लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती लाइन की दूसरी ओर अवरोध से 5 मीटर की दूरी पर लगायेगा।

(iii) गेटमैन तब पटाखा एवं दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल हाथ बत्ती के साथ गेट को संरक्षित करने के लिये आगे बढ़ेगा।

(iv) गेटमैन दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल बत्ती दिखाते हुये पहले लाइन पर उस दिशा में बढ़ेगा जिधर से ट्रेन के आने की सम्भावना है 600 मीटर पर एक पटाखा लगा देगा उसके पश्चात् वह समपार से 1200 मीटर की दूरी पर तीन पटाखे 10–10 मीटर की दूरी पर लगायेगा। इस प्रकार लाइन को संरक्षित करने के उपरान्त वह समपार पर लौटते हुये पूर्व में 600 मीटर पर लगाये गये पटाखा उठा लेगा।

(v) इसके बाद वह लाल झण्डी दिखाते हुये उसी प्रकार जैसा ऊपर क्रमांक (iv) में वर्णित है लाइन की दूसरी तरफ पटाखा लगायेगा तथा समपार की तरफ लौटते हुये बीच का पटाखा उठा लेगा।

(vi) समपार गेट पर लौटने के पश्चात् गेटमैन अवरोध को हटाने तथा आने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सचेत करने का प्रयास करेगा।

(vii) उन परिस्थितियों में जब गेटमैन रास्ते में ही है और निर्दिष्ट स्थानों पर जहॉ पटाखे लगाये जाते है, पहुँचने के पूर्व ही वह ट्रेन को आते देखता है अथवा ट्रेन की आवाज सुनाई पड़ती है तो वह जहॉ तक पहुँच सकता है उसी स्थान पर पटाखा लगा देगा।

(viii) उसके उपरान्त गेटमैन आने वाली ट्रेन को दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल हाथ बत्ती दिखाकर रोकेगा।

क्रमशः पृष्ठ 8 पर

(ब) गेटमैन द्वारा किये जाने वाली अन्य कार्यवाही :–

(i) यदि समपार गेट किसी वाहन द्वारा तोड़ दिया जाता है और वाहन ट्रैक को बाधित कर रहा है, या बैरियर या गेट का अन्य कोई भाग ट्रैक को बाधित कर रहा है या गेट पर अन्य कोई अवरोध है तो गेटमैन तुरन्त कार्यवाही करेगा।

(ii) गेटमैन सड़क यातायात का विवरण लिखेगा जैसे – वाहन संख्या, ड्राइवर का नाम, मालिक का नाम तथा स्टेशन मास्टर अथवा रेलपथ निरीक्षक को किसी संदेशवाहक या अन्य उपलब्ध संसाधनों के द्वारा सूचित करेगा।

(iii) गाड़ी के आवागमन हेतु समपार फाटक को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द व लाक करने के पश्चात किसी भी अपरिहार्य परिस्थिति में बिना गाड़ी पास हुये समपार को सड़क यातायात हेतु तब तक नहीं खोलेगा जब तक कि कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा समपार फाटक को सड़क यातायात के लिए खोलने हेतु प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान कर उसे अधिकृत न कर दिया गया हो।

25000 वोल्ट विद्युतीकृत रेलवे लाइन के समपार फाटक पर कार्य करते समय ली जाने वाली विशेष सावधानियाँ:–

(i) 25000 वोल्ट पर चार्ज ओ.एच.ई. की तारों से हमेशा 2 मीटर दूर रहें।

(ii) ओ.एच.ई. की तारों की तरफ पानी की धार न छोड़ें।

(iii) यह सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति ओ.एच.ई. धातु की छड़ ऊपर सीधी खड़ी करके या कंधें पर रख कर रेलवे ट्रैक या फाटक पार न करे।

(iv) ओ.एच.ई. के तारों के समानान्तर 200 मीटर या इससे अधिक दूरी तक धातु की तारों को न खींचें अथवा दौड़ायें।

(v) ओ.एच.ई. की तारों से चिपके किसी भी व्यक्ति को न छुऐं जब तक कि तारों की सप्लाई बंद न कर दी जाए।

(vi) वर्षा ऋतु में धातु की छड़ वाली छतरी ऊपर रखते हुए ट्रैक पार न करें और दूसरों को भी ऐसा करने से मना करें।

(vii) रेलवे फाटक के पास यदि कोई असाधारण घटना दिखाई पड़ती है तोः–

1. गेट को तुरन्त बंद करें।

2. स्टेशन मास्टर को तुरन्त सूचित करें जैसे–

(क) ओ.एच.ई. की तारो से आग लगने पर।

(ख) तारों का टूटना एवं तारों से चिन्गारियों का निकलना।

(ग) इंजन के पेंटो मे खराबी।

(घ) किसी व्यक्ति के तारों से चिपकने पर।

(ङ) तारों पर पेड़ का गिरना।

(च) टूटे या खुले बांड इत्यादि।

3. उपर्युक्त किसी भी घटना में से किसी भी हालत मे टूटी तारों एवं बांड को न छुऐं।

4. ओ.एच.ई. के तार टूटने की स्थिति में यातायात की दिशा मे सावधानीपूर्वक जाते हुए, तारों से 2 मी. की उचित दूरी बनाते हुए, सुरक्षा के नियमानुसार 600 मी. एवं 1200 मी. पर बैनर–फ्लैग एवं पटाखें लगायें।

5. दोहरी लाइन खण्ड में यदि दोनो लाइनों पर ओ.एच.ई के तारों के साथ कोई घटना घटित होती है जैसे कि दोनो तारों पर अप एवं डाउन लाइन मे पेड़ के गिर जाने पर तो दूसरे ट्रैक पर भी जाकर उपरोक्त के अनुसार ट्रैक को सुरक्षित करें।

(viii) हाईट गेज के टूटने पर तुरन्त गेट को बंद कर दें एवं इसकी सूचना स्टेशन मास्टर को दें, साथ मे आगे के आदेश के लिए टेलीफोन लाईन पर उपलब्ध रहें।

(ix) विद्युत आघात लगे व्यक्ति को तुरन्त कृत्रिम श्वास दें एवं स्टेशन मास्टर को तुरन्त सूचित करें।

क्रमशः पृष्ठ 9 पर

	(x) मालगाड़ी, यात्री गाड़ी या इंजन के ऊपर न चढ़ें। यदि यात्री चढ़े हैं तो उसे तुरन्त उतारने की कोशिश करें अथवा स्टेशन मास्टर को सूचित करें। (xi) यदि किसी मालगाड़ी के दरवाजे अथवा टैंकर के ढक्कन खुले हों तों तुरन्त स्टेशन मास्टर को सुचित करें। (xii) किसी पशु को झटका लगने एवं मरने पर इसकी सूचना तुरन्त स्टेशन मास्टर को दें साथ मे आगे के आदेश के लिए टेलीफोन लाईन पर उपलब्ध रहें। (xiii) मास्ट(खम्भों) के ऊपर न चढ़े। (xiv) जिस मास्ट(खम्भों) से अर्थ पत्ती खुली हो उस मास्ट को न छुऐं तथा उससे 2 मीटर दूर रहें। ————————————

परिशिष्ट 'ए'

भाग – 3

पीपीगंज तथा मानीराम स्टेशनों के मध्य स्थित ''सी'' श्रेणी के इन्जी0 समपार फाटक सं0 13 के संचालन हेतु अनुदेश

1. <u>विवरण</u>

1.2 <u>सामान्य</u> :–

SWR/Optg. शुद्धि पर्ची सं0 2 दि0 05.02.21 पीपीगंज

1	समपार फाटक सं0	13 ''सी''
2	इंजीनियरिंग / यातायात फाटक	इन्जीनियरिंग
3	किसके अधीन स्टेशन अधी0 / रेलपथ निरीक्षक	से0इन्जी0 / रेलपथ / आनन्दनगर
4	किलोमीटर पर स्थित	20 / 4–5
5	स्टेशन पर	पीपीगंज
6	स्टेशनों के मध्य	पीपीगंज – मानीराम
7	बी0जी0 / एम0जी0 / एन0जी0	बी0जी0
8	इकहरी लाइन / दोहरी / मिश्रित लाइन	इकहरी लाइन
9	सामान्य स्थिति	सड़क यातायात के लिये खुला
10	इण्टरलाक्ड / नान–इण्टरलाक्ड	नान–इण्टरलाक्ड
11	इण्टरलाकिंग का प्रकार	–
12	गेट सिगनलों का प्रावधान का कि0मी0	
	अप दिशा–	–
	डाउन दिशा–	–
13	संकेतन व्यवस्था	–
14	संचार साधन टेलीफोन / घण्टी इत्यादि	टेलीफोन
15	समपार फाटक की चौड़ाई	7.50 मीटर
16	सड़क का प्रकार(एन0एच0 / एस0एच0 / अन्य)	अन्य
17	सड़क का नाम	ग्रामीण सड़क
18	पक्का / कच्चा	पक्का
19	पहुँच मार्ग	उत्तर तरफ एन एच 28 दक्षिण तरफ ग्राम नमनसर एवं राप्ती बॉध
20	सड़क की चौड़ाई	7.50 मीटर
21	सड़क की क्रासिंग कोण (इस्क्यू गेट के लिये)	90°
	पूर्व / उत्तर की तरफ	–
	पश्चिम / दक्षिण की तरफ	–
22	सड़क की ढाल यदि कोई हो	1 : 20
	पूर्व / उत्तर की तरफ	समतल
	पश्चिम / दक्षिण की तरफ	–
23	सड़क की सीधाई (सीधा / गोलाई)	सीधा
	पूर्व / उत्तर की तरफ	–
	पश्चिम / दक्षिण की तरफ	–
24	हाईट गेज का प्रावधान	है
25	बैरियर का प्रकार	लिफ्टिंग बैरियर
26	चेक रेलो की लम्बाई	9.50 मीटर

उपमुसिदूइं
रे.वि. / लखनऊ

मंसिदूइं
पूर्वोत्तर रेलवे / लखनऊ

वमंपरिप्र / सा0
पूर्वोत्तर रेलवे / लखनऊ

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

27	समपार के मध्य सड़क की सतह	**समतल हेक्सागोनल ब्लाक**
28	रम्बल स्ट्रिप/गति अवरोध की लम्बाई	**5.00 मीटर**
29	रोड साइन	**उपलब्ध**
30	गति अवरोधक बोर्ड	**उपलब्ध**
31	टी0वी0यू0	**7106 दिसम्बर/2019**
32	अगली गणना की तिथि	**दिसम्बर/2022**
33	पटाखा सिगनल लगाने का निर्दिष्ट स्थान	**उपलब्ध**
34	गेटमैनों की संख्या	**02**
35	निकटतम रेलवे चिकित्सा सहायता केन्द्र	**गोरखपुर**
36	निकटतम निजी चिकित्सा सहायता की उपलब्धता यदि कोई हो।	**पीपीगंज**
37	उपलब्ध उपकरणों की सूची हॉ/नहीं	**उपलब्ध**

1.3 <u>उपकरण</u> :–

क्र0सं0	**विवरण**	**मात्रा**
1.	ट्राई कलर टार्च/फ्लैशिंग टेल लैम्प	3
2.	हाथ हरी झण्डी	1 डण्डे में लगा हुआ
3.	हाथ लाल झण्डी	3 डण्डे में लगा हुआ
4.	बैनर फ्लैग लाल	3
5.	लाल बैनर फ्लैग लगाने हेतु पोस्ट	2
6.	तालों के साथ अतिरिक्त चेन (जंजीर)	2 स्टाप चिन्ह के साथ

7.	पटाखा सिगनल	10
8.	गेट लैम्प	2
9.	टामी बार	1
10.	मोर्टार पैन	1
11.	फावड़ा/बेल्चा	1
12.	दुरमुट	1(पक्की रोड सतह के लिये आवश्यक नही)
13.	पिक एक्स	1(पक्की रोड सतह के लिये आवश्यक नही)
14.	टिन केस झण्डी के लिये	1
15.	कैन मिट्टी तेल के लिए	1
16.	बाल्टी/पानी पीने का बर्तन	1
17.	मस्टर शीट के लिए बाक्स	1
18.	चश्मा लगाने वाले गेटमैनों के लिये अतिरिक्त चश्मा	1
19.	गेट पर अवरोध की दशा में समपार की सुरक्षा हेतु प्रदर्शित डायग्राम	1
20.	टोकरी	1
21.	सीटी	1
22.	दीवार घड़ी	1
23.	छोटी चेन ताला चाभीयुक्त	02

क्रमशः पृष्ठ 3 पर

1.4 **गेट लाज पर रखे जाने वाले अभिलेख** :–

10. गेट का कार्यकारी अनुदेश हिन्दी में।
11. गेटमैन नियम पुस्तिका हिन्दी भाषा में।
12. पुस्तकों एवं उपकरणों की सूची।
13. ड्यूटी रोस्टर।
14. गेटमैन का कार्य करने का प्रमाण–पत्र।
15. गेटमैन का बायोडाटा, नेत्र जॉच, प्रारम्भिक पुनश्चर्या, संरक्षा कैम्प इत्यादि।
16. दुर्घटना रजिस्टर।
17. समपार फाटक पर अन्तिम गणना का अभिलेख।
18. आश्वासन व निरीक्षण पुस्तिका।
19. जन परिवाद पुस्तिका।

1.4. **समपार फाटक के संचालन हेतु विशेष अनुदेश** :–

(क) **संचालन पद्वति** :–

समपार फाटक को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द व लाक करने के लिये एक जोड़ा लिफ्टिंग बैरियर की व्यवस्था है। लिफ्टिंग बैरियरो को संचालित करने के लिये एक विन्च की व्यवस्था है। समपार को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द व लाक करने के लिये कार्यरत गेटमैन विंच को तब तक संचालित करेगा जब तक कि बैरियर नीचे आकर समतल स्थिति में बूम पोस्ट पर स्थिर न हो जाये। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर के बीच में कोई सड़क वाहन न फॅस जाये। विन्च को इस स्थिति में लाक करने के लिये इसके **'ई'** प्रकार के ताले से चाभी **'क्यू–1'** को निकाल लेगा। बूमों को लाक करने के लिये एक बूम लाकिंग लीवर की व्यवस्था है जिसमें दो ई प्रकार के ताले लगे हैं जिसके एक ताले में चाभी **'क्यू'** लगी है तथा दूसरे ताले में चाभी **क्यू–1'** लगाने की जगह है। विंन्च से निकली चाभी **क्यू–1'** को इसके अपने ताले में लगाकर घुमायेगा तथा बूम लाकिंग लीवर को विपरीत दिशा में खींचेगा जिससे बूम ताला बन्द हो जायेंगें तथा चाभी **'क्यू'** को निकालकर अपनी निजी अभिरक्षा में रखेगा।

जब गेटमैन समपार फाटक को सड़क यातायात के लिये खोलेगा तो गेटमैन विन्च को तब तक संचालित करेगा जबतक कि लिफ्टिंग बैरियरों के बूम ऊपर उठकर लगभग उर्ध्वाधर न हो जाये।

(ख) <u>प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान</u> :–

(i) **पीपीगंज** स्टेशन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर **अप** गाड़ी का लाइन क्लियर देने से पहले अथवा **डाउन** गाड़ियों का प्रस्थान प्राधिकार देने से पहले मैगनेटो टेलीफोन द्वारा कार्यरत गेटमैन को गाड़ी का नम्बर, विवरण, दिशा एवं गेट से पास होने का सम्भावित समय देते हुये प्राइवेट नम्बर के आदान प्रदान के साथ सूचित करेगा।

(ii) कार्यरत गेटमैन, कार्यरत स्टेशन मास्टर से सूचना प्राप्त होने पर समपार फाटक को समय से सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द व लाक करके तथा चाभी **"क्यू"** को अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में होना सुनिश्चित करके कार्यरत स्टेशन मास्टर से प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान कर पुष्टि करेगा।

(iii) कार्यरत स्टेशन मास्टर, कार्यरत गेटमैन से समपार फाटक के बन्द व लाक होने का प्राइवेट नम्बर प्राप्त होने के उपरान्त ही सम्बन्धित गाड़ी का लाइन क्लीयर अथवा प्रस्थान प्राधिकार देगा।

(iv) कार्यरत स्टेशन मास्टर/गेटमैन निम्नलिखित प्रारूप में एक लाग रजिस्टर का आवश्यकतानुसार अनुरक्षण करेंगें :–

कमशः पृष्ठ 4 पर

तिथि	गाड़ी का नम्बर एवं विवरण	गेट से पास होने का सम्भावित समय	सूचना मिलने /देने का समय	कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा दिया गया प्राइवेट नम्बर	कार्यरत गेटमैन द्वारा सूचना प्राप्त होने की पुष्टि हेतु दिया गया प्राइवेट नम्बर	कार्यरत गेटमैन द्वारा गेट को बन्द व लाक कर दिया गया प्राइवेट नम्बर	कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा समपार के बन्द व लाक होने की स्वीकृति हेतु दिया गया प्राइवेट नम्बर	गाड़ी पास होने का समय	कार्यरत स्टेशन मास्टर/ गेटमैन का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(v) कार्यरत गेटमैन सम्बन्धित गाड़ी का समपार फाटक से टेल लैम्प अथवा टेल बोर्ड देखकर पूर्णरुप से पास होना सुनिश्चित करके समपार फाटक को सड़क यातायात के लिये खोलने हेतु अधिकृत होगा।

(ग) <u>टेलीफोन संचार की विफलता</u> :–

जब कभी टेलीफोन संचार माध्यम विफल हो जाये अथवा दो या तीन प्रयास के बाद भी गेटमैन की तरफ से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त न हो तो कार्यरत स्टेशन मास्टर निम्नलिखित कार्यवाही करेगा :–

(i) गाड़ी प्रस्थान कराने वाले स्टेशन मास्टर समपार की ओर प्रस्थान करने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा।

(ii) जारी किये गये सतर्कता आदेश में ड्राइवर को समपार फाटक की तरफ लगातार सीटी बजाते हुये सावधानीपूर्वक आगे बढ़ने हेतु निर्देश दिया जायेगा।

(iii) ड्राइवर को कार्यरत गेटमैन द्वारा हाथ सिगनल संकेत मिलने पर समपार फाटक को सतर्कतापूर्वक पास करने का निर्देश दिया जायेगा। यदि हाथ सिगनल संकेत नही दिखाई देता है तो ड्राइवर गाड़ी को समपार के पहले रोककर अपने सहायक ड्राइवर को समपार की स्थिति जानने के लिये भेजेगा। यदि समपार फाटक बन्द है तो सहायक ड्राइवर 'सभी ठीक है' सिगनल देगा और यदि समपार फाटक बन्द नही है तो सहायक ड्राइवर समपार फाटक को बन्द करके 'सभी ठीक है' सिगनल देगा। सहायक ड्राइवर की अनुपस्थिति में ड्राइवर, गार्ड की सहायता लेगा।

(iv) गाड़ी आगमन के मामले में कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी भेजने वाले स्टेशन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुये सूचित करेगा कि गेट का टेलीफोन खराब है।

(v) तब गाड़ी प्रस्थान कराने वाला स्टेशन मास्टर ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करने के उपरान्त गाड़ी को भेजेगा।

(vi) कार्यरत स्टेशन मास्टर कार्यरत गेटमैन को भी गैंगमैन/पेट्रोलमैन या प्रथम गाड़ी के ड्राइवर द्वारा टेलीफोन खराब होने की सूचना देगा।

(vii) कार्यरत स्टेशन मास्टर संकेत एवं दूरसंचार विभाग का कर्मचारी जो अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी है अतिशीघ्र टेलीफोन ठीक करने के लिये सूचना देगा।

(viii) सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब संकेत एवं दूरसंचार विभाग का कर्मचारी टेलीफोन ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

क्रमशः पृष्ठ 5 पर

(घ) <u>लिफ्टिंग बैरियर की विफलता</u> :–

(i) जब लिफ्टिंग बैरियर के खराब हो जाने के कारण गेट को बन्द न किया जा सके तो गेटमैन तुरन्त प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुये कार्यरत स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर रेलपथ को बाधित न करता हो।

(ii) गेटमैन को निर्धारित पोस्ट पर सर्वप्रथम जिस तरफ से ट्रेन के आने की सम्भावना हो, दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात में लाल बत्ती लगायेगा। तदुपरान्त समपार के दूसरी तरफ लगायेगा।

(iii) गेटमैन समपार पर सड़क यातायात को रोकने के लिये समपार को सुरक्षा चेन तथा तालों द्वारा बन्द करेगा।

(iv) समपार फाटक को सड़क यातायात के लिये सुरक्षित करने के उपरान्त गेटमैन दिन में हरी हाथ झण्डी संकेत तथा रात्रि में हरी बत्ती आने वाली ट्रेन के ड्राइवर को दिखायेगा।

(v) कार्यरत स्टेशन मास्टर अपने स्टेशन से इस समपार की ओर जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुये सतर्कतापूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।

(vi) कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी भेजने वाले स्टेशन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुये सूचित करेगा कि वह अपनी तरफ से ब्लाक खण्ड में ट्रेन भेजने के पूर्व ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुये सतर्कतापूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।

(vii) कार्यरत स्टेशन मास्टर उत्तरदायी अनुरक्षण कर्मचारी को लिफ्टिंग बैरियर के शीघ्र मरम्मत हेतु सूचित करेगा।

(viii) सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब अनुरक्षण कर्मचारी मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो दे दे।

(ड.) <u>समपार फाटक पर अवरोध</u> :–

(i) यदि कोई सड़क वाहन गेट को तोड़कर रेलपथ को बाधित कर रहा है या लिफ्टिंग बैरियर या गेट का अन्य भाग रेलपथ को बाधित कर रहा है या अन्य कोई बाधा गेट पर है, तो गेटमैन तुरन्त समपार के दोनो छोरों के ट्रैक पर आवश्यकता हेतु लगाये गये निर्धारित पोस्ट पर दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती लगायेगा।

(ii) इसके तुरन्त बाद ही गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुये अवरोध के बारे में सूचित करेगा।

(iii) गेटमैन, कार्यरत स्टेशन मास्टर को आगमन/प्रस्थान सिगनल यदि किसी ट्रेन के लिये 'आफ' किया गया हो तो उसको 'आन' करने के लिये सूचित करेगा।

(iv) यदि दो या तीन प्रयासों के पश्चात् भी कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा प्रत्युत्तर नही प्राप्त होता है तो गेटमैन सर्वप्रथम गेट को संरक्षित करने के उपरान्त टेलीफोन द्वारा सूचित करेगा।

(v) गेटमैन पटाखा व दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल बत्ती लेकर तेजी से पहले उस तरफ जायेगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना है तथा गेटमैन आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक पर की जाने वाली कार्यवाही के अनुसार गेट को संरक्षित करेगा।

क्रमशः पृष्ठ 6 पर

(vi) इसके पश्चात् गेटमैन गेट के दूसरी तरफ को भी संरक्षित करेगा।

(vii) गेटमैन सड़क वाहन का विवरण, चालक का नाम, वाहन मालिक का नाम नोट कर कार्यरत स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर समपार की ओर तब तक कोई गाड़ी नही चलायेगा जब तक कि गेटमैन सुनिश्चित नही कर लेता है कि सड़क वाहन, लिफ्टिंग बैरियर या अन्य कोई अवरोध रेलपथ को बाधित नही कर रहा है।

(viii) कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी भेजने वाले स्टेशन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुये सूचित करेगा कि वह अपनी तरफ से कोई भी गाड़ी ब्लाक खण्ड में तब तक न भेजे जब तक कि रेलपथ पर से सभी अवरोध हटा न दिये जाये।

(ix) रेलपथ से बाधा हटा दिये जाने के बाद इसकी सूचना गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर के आदान–प्रदान से सूचित करेगा।

(x) कार्यरत स्टेशन मास्टर यदि गेट टूटा हो परन्तु गेट पर कोई बाधा न हो तो समपार की ओर जाने वाली सभी ट्रेन के चालकों को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि गेटमैन द्वारा हरा झण्डी/बत्ती संकेत देने पर गेट को सावधानीपूर्वक पास करें।

(xi) गेटमैन समपार को संरक्षा चेनो तथा तालो द्वारा सड़क यातायात के लिये संरक्षित करेगा तथा उसके बाद यदि समपार फाटक पर कोई बाधा नही है तो गेटमैन दिन के समय हरी हाथ झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती गुजरती हुई गाड़ियों को दिखायेगा।

(xii) स्टेशन मास्टर अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी कर्मचारी को लिफ्टिंग बैरियर को अविलम्ब ठीक कराने हेतु सूचित करेगा।

(xiii) समपार फाटक पर सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय से प्रारम्भ की जायेगी जब लिफ्टिंग बैरियर को मरम्मत के उपरान्त संयोजन/फिट मेमो प्राप्त हो जाये।

(च) <u>समपार फाटक के समीप रेल पथ पर अवरोध</u> :–

यदि किसी रेल का टूटना, रेलपथ किसी पेड़ इत्यादि के गिरने के कारण अवरुद्ध होना, सड़क वाहन द्वारा अवरुद्ध अथवा गाड़ी का अवपथन होना जो गेटमैन को दिखाई दे रहा है, तो गेटमैन और स्टेशन मास्टर 'समपार फाटक पर अवरोध' में ऊपर वर्णित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही करेगा। यदि अवरोध समपार फाटक को बाधित कर रहा है तो गेटमैन को सड़क यातायात के लिये फाटक को उस समय तक बन्द रखेगा जब तक रेलपथ से अवरोध हटा न लिया जाये।

1.5 <u>गेटमैन के कर्तव्य</u> :–

(1) <u>सावधानी</u> :–

गेटमैन सदैव किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिये की जाने वाली त्वरित कार्यवाही के प्रति सावधान रहेगा। समपार फाटक की चाभी गेटमैन के व्यक्तिगत कब्जे में रहेगी।

(2) <u>ट्रेन के समपार फाटक से गुजरते समय फाटक वाले की स्थिति</u> :–

ट्रेन के गुजरने की स्थिति में गेटमैन बतायी गयी निम्नलिखित स्थिति में खड़ा रहेगाः–

(i) गेटमैन सतर्कतापूर्वक गेटलाज के सामने आती हुई ट्रेन की तरफ मुँह करके खड़ा रहेगा।

(ii) दिन में गेटमैन दॉये हाथ में लाल झण्डी तथा बॉये हाथ में हरी झण्डी डण्डे में लगी हुई मोड़कर लिये रहेगा।

क्रमशः पृष्ठ 7 पर

(iii) रात्रि समय में गेटमैन जलती हुई सफेद हाथ बत्ती लाइन की तरफ दिखाता हुआ खड़ा रहेगा।

(iv) गेटमैन गले में सीटी धागे से बॉधकर लटकाये रहेगा।

(3) <u>गेटमैन की नियमित ड्यूटी</u> :–

(i) गेटमैन जब समपार फाटक सड़क यातायात के लिये खुला हुआ हो तो रेलपथ पर समपार के दोनो तरफ बैनर फ्लैग लगायेगा।

(ii) गेटमैन गेट लैम्प को सूर्यास्त से सूर्योदय तक लगातार जलती हुयी स्थिति में रखना सुनिश्चित करेगा।

(iii) गेटमैन अपनी ड्यूटी निश्चित रूप से ड्यूटी रोस्टर के अनुसार करेगा और जब तक कार्यमुक्त करने हेतु साथी आ न जाये और वह गेट का कार्यभार ग्रहण न कर लें, तब तक गेटमैन गेट छोड़कर नही जायेगा। गेटमैन को यदि आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक से हटना अपरिहार्य हो तो वह गेट छोड़ने से पूर्व गेट को सड़क यातायात के लिये बन्द करके ताला लगायेगा।

(iv) इन निर्देशों के अतिरिक्त गेटमैन गुजरती हुई ट्रेन को देखता रहेगा और ट्रेन की संरक्षा हेतु कार्य करने के लिये तत्पर रहेगा।

(v) गेटमैन गुजरती हुई सभी ट्रेनों पर पैनी नजर रखेगा जिससे किसी अप्रत्याशित घटना जैसे हाट एक्सिल (गर्म धुरा), लटकती हुई चेन, लटकता हुआ बैटरी बाक्स, किसी वाहन/वैगन/ट्रेन/बैटरी बाक्स में आग लगी हो तथा ब्रेक ब्लाक, ब्रेक बीम, सेफ्टी ब्रेकेट, वैक्यूम सिलेण्डर आदि का लटकना, गिरना जिसके कारण ट्रेन की संरक्षा बाधित हो का पता लगाकर आवश्यक कार्यवाही करेगा।

(vi) गेटमैन गार्ड द्वारा ड्राइवर को वाकी–टाकी अथवा किसी अन्य माध्यम से दिये गये संकेतों को दोहराने के लिये तैयार रहेगा।

(vii) समपार का बैरियर गेट क्षतिग्रस्त अथवा खराब होने की दशा में गेटमैन अतिरिक्त चेन डिस्क एवं तालों का प्रयोग कर सड़क यातायात बन्द करेगा।

(viii) गेटमैन अपने गेट की किसी भी खराबी के लिये यथाशीघ्र समीप वाले स्टेशन मास्टर, गैंग मेट अथवा रेलपथ निरीक्षक को सूचित करेगा।

(ix) जब गेटमैन कार्य पर रहेगा तो वह निर्धारित वर्दी एवं बैज धारण करेगा।

(x) गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि डयूटी के समय उसके पास दक्षता प्रमाण–पत्र उपलब्ध है।

(xi) गेटमैन, गेट संचालन नियमों के अनुरूप कार्य करेगा तथा नियमों के बारे में पूर्णरूपेण जानकारी रखेगा।

(xii) गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि उसके गेट पर आपूर्ति किये गये सभी उपकरण अच्छी स्थिति में है एवं तत्काल प्रयोग हेतु तैयार है।

(xiii) गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि समपार पर चेक रेल गैप साफ है।

(xiv) गेटमैन समपार फाटक की सड़क को (कच्ची सड़क) पानी छिड़ककर एवं दुरमुट से कूटकर ठीक रखेगा।

(xv) गेटमैन सड़क प्रयोगकर्ताओं के लिये गेट को बन्द रखने की स्थिति से उत्पन्न असुविधाओं के प्रति सतर्क रहेगा तथा ध्यान देगा कि समपार फाटक कम से कम समय के लिये बन्द हो।

(xvi) विद्युतीय रेल प्रखण्ड पर गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि सड़क वाहन/पशु जो उस सड़क से गुजरते हैं, समपार के दोनो तरफ लगाये गये **"हाइट लोडिंग गेज"** के नीचे से गुजरे।

(xvii) जहॉ तक सम्भव हो गेटमैन मनुष्यों अथवा जानवरों के अवैध आवागमन पर रोक लगायेगा।

क्रमशः पृष्ठ 8 पर

(4) **ट्रेन की असामान्य स्थिति में किया जाने वाला कार्य** :–

यदि गेटमैन किसी पास हो रही गाड़ी में कोई असामान्य बात देखता है तो वह निम्न कार्य करेगा :–

(i) वह तत्काल ही ड्राइवर/गार्ड को दिन में लाल झण्डी तथा रात में लाल बत्ती दिखाकर सचेत करेगा।

(ii) साथ ही साथ ड्राइवर/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिये लगातार सीटी बजायेगा, चिल्लायेगा, असामान्य हाव–भाव प्रदर्शित करेगा तथा ब्रेकवान पर पत्थर फेकेंगा अथवा कोई अन्य साधन अपनायेगा।

(iii) यदि ड्राइवर/गार्ड उपरोक्त कार्यो के उपरान्त भी ध्यान नही देते है तो वह स्टेशन मास्टर को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुये तद्नुसार कार्यवाही करने हेतु सूचित करेगा।

(iv) किसी ट्रेन के विभक्त (पार्टिंग) हो जाने की दशा में गेटमैन रोक हैण्ड सिगनल (लाल) नही दिखायेगा बल्कि वह दिन में हरी झण्डी तथा रात में सफेद बत्ती ऊपर–नीचे करके निर्धारित संकेत करेगा।

(v) वह ड्राइवर/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास लगातार सीटी बजाकर, चिल्लाकर, असामान्य हाव–भाव प्रदर्शित करते हुये दोनो हाथों को ऊपर उठाकर तुरन्त दोनो हाथों को अलग करके पुनः दोनो हाथों को सटाते हुये पुनः हाथों को बिल्कुल नीचे करते हुये करेगा।

(vi) ऐसा करने से यदि ट्रेन नही रुकती है तो गेटमैन तुरन्त टेलीफोन पर स्टेशन मास्टर को उचित कार्यवाही करने हेतु प्राइवेट नम्बर के आदान–प्रदान के द्वारा इसकी सूचना देगा।

(5) **आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक पर की जाने वाली कार्यवाही** :–

(i) समपार फाटक पर कोई अवरोध आ जाने पर वह लाइन पर दोनो तरफ दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लालबत्ती लगायेगा।

(ii) इसके उपरान्त यदि गेटमैन अवरोध हटाने में सक्षम नही है तो वह स्टेशन मास्टर को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुये गेट की खराबी/अवरोध के बारे में तत्काल सूचित करेगा।

(iii) यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी स्टेशन मास्टर कोई प्रत्युत्तर नही देते है तो गेटमैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के बाद पुनः टेलीफोन से सूचित करेगा।

(6) **गेटमैन गेट की संरक्षा (बचाव) निम्नलिखित अनुसार करेगा** :–

(अ) **इकहरी लाइन पर** :–

(i) गेटमैन दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लालबत्ती 5 मीटर दूर निर्धारित पोस्ट पर सर्वप्रथम उस तरफ लगा देगा जिधर से गाड़ी आने की सम्भावना है।

(ii) इसके पश्चात् उसी तरह दिन में दूसरा लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती लाइन के दूसरी ओर अवरोध से 5 मीटर की दूरी पर लगायेगा।

(iii) गेटमैन तब पटाखा एवं दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल हाथ बत्ती के साथ गेट को संरक्षित करने के लिये आगे बढ़ेगा।

(iv) गेटमैन दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल बत्ती दिखाते हुये पहले लाइन पर उस दिशा में बढ़ेगा जिधर से ट्रेन के आने की सम्भावना है तब 600 मीटर पर एक पटाखा लगा देगा उसके पश्चात् वह समपार से 1200 मीटर की दूरी पर तीन पटाखे 10–10 मीटर की दूरी पर लगायेगा।

क्रमशः पृष्ठ 9 पर

इस प्रकार लाइन को संरक्षित करने के उपरान्त वह समपार पर लौटते हुये पूर्व में 600 मीटर पर लगाये गये पटाखा उठा लेगा।

(v) इसके बाद वह लाल झण्डी दिखाते हुये उसी प्रकार जैसा ऊपर क्रमांक (iv) में वर्णित है लाइन की दूसरी तरफ पटाखा लगायेगा तथा समपार की तरफ लौटते हुये बीच का पटाखा उठा लेगा।

(vi) समपार गेट पर लौटने के पश्चात् गेटमैन अवरोध को हटाने तथा आने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सचेत करने का प्रयास करेगा।

(vii) उन परिस्थितियों में जब गेटमैन रास्ते में ही है और निर्दिष्ट स्थानों पर जहॉ पटाखे लगाये जाते है, पहुँचने के पूर्व ही वह ट्रेन को आते देखता है अथवा ट्रेन की आवाज सुनाई पड़ती है तो वह जहॉ तक पहुँच सकता है उसी स्थान पर पटाखा लगा देगा।

(viii) उसके उपरान्त गेटमैन आने वाली ट्रेन को दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल हाथ बत्ती दिखाकर रोकेगा।

(ब) **गेटमैन द्वारा किये जाने वाली अन्य कार्यवाही** :–

(i) यदि समपार गेट किसी वाहन द्वारा तोड़ दिया जाता है और वाहन ट्रैक को बाधित कर रहा है, या बैरियर या गेट का अन्य कोई भाग ट्रैक को बाधित कर रहा है या गेट पर अन्य कोई अवरोध है तो गेटमैन तुरन्त कार्यवाही करेगा।

(ii) गेटमैन सड़क यातायात का विवरण लिखेगा जैसे – वाहन संख्या, ड्राइवर का नाम, मालिक का नाम और स्टेशन मास्टर अथवा रेलपथ निरीक्षक को किसी संदेशवाहक या अन्य उपलब्ध संसाधनों के द्वारा सूचित करेगा।

(iii) गाड़ी के आवागमन हेतु समपार फाटक को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द व लाक करने के पश्चात किसी भी अपरिहार्य परिस्थिति में बिना गाड़ी पास हुये गेटमैन समपार को सड़क यातायात हेतु तब तक नहीं खोलेगा जब तक कि कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा समपार फाटक को सड़क यातायात के लिए खोलने हेतु प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान कर उसे अधिकृत न कर दिया गया हो।

(7). **25000 वोल्ट विद्युतीकृत रेलवे लाइन के समपार फाटक पर कार्य करते समय ली जाने वाली विशेष सावधानियाँः–**

(i) 25000 वोल्ट पर चार्ज ओ.एच.ई. की तारों से हमेशा 2 मीटर दूर रहें।

(ii) ओ.एच.ई. की तारों की तरफ पानी की धार न छोड़ें।

(iii) यह सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति ओ.एच.ई. धातु की छड़ ऊपर सीधी खड़ी करके या कंधें पर रख कर रेलवे ट्रैक या फाटक पार न करे।

(iv) ओ.एच.ई. के तारों के समानान्तर 200 मीटर या इससे अधिक दूरी तक धातु की तारों को न खींचें अथवा दौड़ायें।

(v) ओ.एच.ई. की तारों से चिपके किसी भी व्यक्ति को न छुऐं जब तक कि तारों की सप्लाई बंद न कर दी जाए।

(vi) वर्षा ऋतु में धातु की छड़ वाली छतरी ऊपर रखते हुए ट्रैक पार न करें और दूसरों को भी ऐसा करने से मना करें।

(vii) रेलवे फाटक के पास यदि कोई असाधारण घटना दिखाई पड़ती है तोः–

3. गेट को तुरन्त बंद करें।

4. स्टेशन मास्टर को तुरन्त सूचित करें जैसे–

(क) ओ.एच.ई. की तारो से आग लगने पर।

(ख) तारों का टूटना एवं तारों से चिन्गारियों का निकलना।

क्रमशः पृष्ठ 10 पर

(ग) इंजन के पेंटो मे खराबी।
(घ) किसी व्यक्ति के तारों से चिपकने पर।
(ङ) तारों पर पेड़ का गिरना।
(च) टूटे या खुले बांड इत्यादि।

6. उपर्युक्त किसी भी घटना में से किसी भी हालत मे टूटी तारों एवं बांड को न छुऐं।

7. ओ.एच.ई. के तार टूटने की स्थिति में यातायात की दिशा मे सावधानीपूर्वक जाते हुए, तारों से 2 मी. की उचित दूरी बनाते हुए, सुरक्षा के नियमानुसार 600 मी. एवं 1200 मी. पर बैनर–फ्लैग एवं पटाखें लगायें।

8. दोहरी लाइन खण्ड में यदि दोनो लाइनों पर ओ.एच.ई के तारों के साथ कोई घटना घटित होती है जैसे कि दोनो तारों पर अप एवं डाउन लाइन मे पेड़ के गिर जाने पर तो दूसरे ट्रैक पर भी जाकर उपरोक्त के अनुसार ट्रैक को सुरक्षित करें।

(viii) हाईट गेज के टूटने पर तुरन्त गेट को बंद कर दें एवं इसकी सूचना स्टेशन मास्टर को दें, साथ मे आगे के आदेश के लिए टेलीफोन लाईन पर उपलब्ध रहें।

(ix) विद्युत आघात लगे व्यक्ति को तुरन्त कृत्रिम श्वास दें एवं स्टेशन मास्टर को तुरन्त सूचित करें।

(x) मालगाड़ी, यात्री गाड़ी या इंजन के ऊपर न चढ़ें। यदि यात्री चढ़े हैं तो उसे तुरन्त उतारने की कोशिश करें अथवा स्टेशन मास्टर को सूचित करें।

(xi) यदि किसी मालगाड़ी के दरवाजे अथवा टैंकर के ढक्कन खुले हों तों तुरन्त स्टेशन मास्टर को सुचित करें।

(xii) किसी पशु को झटका लगने एवं मरने पर इसकी सूचना तुरन्त स्टेशन मास्टर को दें साथ मे आगे के आदेश के लिए टेलीफोन लाईन पर उपलब्ध रहें।

(xiii) मास्ट(खम्भों) के ऊपर न चढ़े।

(xiv) जिस मास्ट(खम्भों) से अर्थ पत्ती खुली हो उस मास्ट को न छुऐं तथा उससे 2 मीटर दूर रहें।

परिशिष्ट ''ए''

भाग–1

पीपीगंज स्टेशन पर स्थित ''सी'' श्रेणी का ट्राफिक समपार संख्या 14 के संचालन हेतु अनुदेश।

1. **विवरणः–**

1.1 सामान्य :

1.	समपार फाटक की संख्या	14 ''सी'' श्रेणी
2.	इंजीनियंरिग / यातायात फाटक	यातायात फाटक
3.	किसके अधीन स्टेशन अधी0 / रे0प0 निरीक्षक	स्टेशन अधीक्षक / पीपीगंज
4.	किलोमीटर पर स्थित	21 / 6–7
5.	स्टेशन पर	पीपीगंज

उपमुसिदूइं
रे.वि. / लखनऊ

मंसिदूइं
पूर्वोत्तर रेलवे / लखनऊ

वमंपरिप्र / सा0
पूर्वोत्तर रेलवे / लखनऊ

6.	स्टेशन मध्य ———————— एवं	**ihihxat ;kMZ**
7.	बी जी / एमजी / एन0जी0	बी.जी.
8.	इकहरी लाइन / दोहरी / मिश्रित लाइन	इकहरी लाइन
9.	सामान्य स्थिति	सड़क यातायात के लिए खुला
10.	इण्टरलाक्ड़ / नान इण्टरलाक्ड	इण्टरलाक्ड़
11.	इण्टरलाकिंग का प्रकार	स्टेशन के सिगनलो से अन्तर्पाशित
12.	गेट सिगनलों का प्राविधान किलोमीटर	–
13.	संकेतक व्यवस्था	**Ckgqladsrh; jaxhu flxuy**
14.	संचार साधन टेलीफोन / धंटी इत्यादि	टेलीफोन
15.	समपार फाटक की चौड़ाई	7.50 मीटर
16.	सड़ककाप्रकार(एन0एच0 / एस0एच0 / अन्य)	अन्य
17.	सड़क का नाम	–
18.	पक्का / कच्चा	पक्का
19.	पहुंच मार्ग	पक्का
20.	सड़क की चौड़ाई	7.50 मीटर
21.	सड़क की क्रासिग कोण(इरक्यू गेट के लिये)	90°
	पूर्व / उत्तर की तरफ	90°
	पश्चिम / दक्षिण की तरफ	90°
22.	सड़क की ढ़ाल यदि कोइ हो	समतल
i.	उत्तर की तरफ	–
ii.	दक्षिण की तरफ	–
23.	सड़क की सीधाई (सीधा / गोलाई)	सीधा
i.	उत्तर की तरफ	–
ii.	दक्षिण की तरफ	–
24.	'हाइट गेज' का प्रावधान	है
25.	बैरियर का प्रकार	लिफिटंग बैरियर / स्लाइडिंग बूम बैरियर
26	चेक रेलो की लम्बाई	9.50 मीटर

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

27.	समपार के मध्य सड़क का सतह	समतल
28.	रम्बल स्ट्रिप / गति अवरोध की लम्बाई	उपलब्ध
29.	रोड साइन	उपलब्ध
30.	**xfr vojks/kd cksMZ**	उपलब्ध
31.	टी0वी0यू0	174567 सितम्बर 2019
32.	अगली गणना की तिथि	सितम्बर 2022
33.	पटाखा सिगनल लगाने का निर्दिष्ट स्थान	उपलब्ध है
34.	गेट मैनों की संख्या	दो
35.	निकटतम रेलवे सहायता केन्द्र	गोरखपुर रेलवे अस्पताल
36.	निकटतम निजी चिकित्सा सहायता की उपलब्धता यदि कोई हो	पीपीगंज
37.	उपलब्ध उपकरणों की सूची हां / नहीं	उपलब्ध

उपमुसिदूइं
रे.वि. / लखनऊ

मंसिदूइं
पूर्वोत्तर रेलवे / लखनऊ

वमंपरिप्र / सा0
पूर्वोत्तर रेलवे / लखनऊ

1.2 उपकरण :–

क्र0सं0	विवरण	मात्रा
1.	ट्राई कलर टार्च/फ्लैशिंग टेल लैम्प	3
2.	हाथ हरी झण्डी	1 डण्डे में लगा हुआ
3.	हाथ लाल झण्डी	3 डण्डे में लगा हुआ
4.	बैनर फ्लैग लाल	3
5.	लाल बैनर फ्लैग लगाने हेतु पोस्ट	2
6.	तालों के साथ अतिरिक्त चेन (जंजीर)	2 स्टाप चिन्ह के साथ
7.	पटाखा सिगनल	10
8.	टामी बार	1
9.	मोरटार पैन	1
10.	फावड़ा/बेल्चा	1
11.	दुरमुट	1(पक्की रोड सतह के लिये आवश्यक नही)
12.	पिक एक्स	1(पक्की रोड सतह के लिये आवश्यक नही)
13.	टिन केस झण्डी के लिये	1
14.	कैन मिट्टी तेल के लिए	1
15.	बाल्टी/पानी पीने का बर्तन	1
16.	मस्टर शीट के लिए बाक्स	1
17.	चश्मा लगाने वाले गेट मैनों के लिये अतिरिक्त चश्मा	1
18.	गेट पर अवरोध की दशा में समपार की सुरक्षा हेतु प्रदर्शित डायग्राम	1
19.	टोकरी	1
20.	सीटी	1
21.	दीवार घड़ी	1
22.	छोटी चेन ताला चाभीयुक्त	02

क्रमशः पृष्ठ 3 पर

1.3 गेट लाज पर रखे जाने वाले अभिलेख :–

क्रम संख्या	अभिलेख का विवरण
1.	गेट का कार्यकारी अनुदेश हिन्दी में
2.	गेट मैन नियम पुस्तिका हिन्दी भाषा में
3.	पुस्तकों एवं उपकरणों की सूची
4.	ड्यूटी रोस्टर
5.	गेट मैन का कार्य करने का प्रमाण – पत्र
6.	गेट मैन का वायोडाटा ,नेत्र जांच, प्रारभिक पुनश्चर्या, संरक्षा कैम्प इत्यादि
7.	दुर्घटना रजिस्टर
8.	समपार फाटक पर अतिम गणना का अभिलेख
9.	निरीक्षण पुस्तिका
10.	जन परिवाद पुस्तिका

1.4 (क) <u>समपार फाटक के संचालन हेतु विशेष अनुदेश</u> :–

समपार को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द करने के लिये एक जोड़ा लिफिटंग बैरियर की व्यवस्था है। लिफिटंग बैरियर की विफलता पर सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द करने के लिये एक जोड़ा स्लाइडिंग बूम बैरियर की व्यवस्था है। जिनकी कार्य पद्वति निम्न प्रकार से हैः–

(i) <u>लिफिटंग बैरियर की संचालन पद्वति</u> :–

समपार को सड़क यातायात के विरुद्व बंद करने के लिए एक जोड़ा लिफिटंग बैरियर की व्यवस्था है। लिफिटंग बैरियरों को संचालित करने के लिए एक बिन्च की व्यवस्था है। समपार को सड़क यातायात के विरुद्व बंद व लाक करने के लिए कार्यरत गेटमैन विन्च को तब तक संचालित करेगा जब तक कि वैरियर नीचे आकर समतल स्थिति में बूम पोस्ट पर स्थिर न हो जाये। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि लिफिटंग बैरियरों के बीच में कोई सड़क वाहन फॅस न जाये । विन्च को इस स्थिति में लाक करने के लिए चाभी **क्यू–1** को घुमाकर निकाल लेगा तथा इसे बूम लाक लीवर पर लगे इसके ''ई'' प्रकार के ताले में चाभी **क्यू–1** लगाकर धुमायेगा जो लीवर को मुक्त करेगी । लीवर को विपरीत दिशा में खीचने पर बूमों को बंद दशा में लाक कर देगा । लीवर से चाभी **''क्यू''** निकालकर गेट लाज में लगे लीवर लाक में लगाकर धड़ी की दिशा में घुमायेगा जिससे इस गेट के बन्द होने की पुष्टि स्वरुप स्टेशन मास्टर पैनल पर इण्डीकेशन मिल जायेगा ।

इण्डीकेशन मिलने पर कार्यरत स्टेशन मास्टर समपार नियंत्रण पुश बटन **जीबीएन** एवं **एलएन** को एक साथ दबायेगा। तब गाड़ी के लिए आवश्यक सिगनल **आफ** करेगा। सिगनल आफ करने पर गेट लाज में लगे लीवर लाक असेम्बली पर से लाक फ्री इंडीकेशन चला जायेगा।

गाड़ी के गुजरने के बाद कार्यरत स्टेशन मास्टर समपार नियंत्रण पुश बटन **जीबीएन** एवं **वाईएन** को एक साथ दबायेगा । जिससे गेट लाज में प्रदत्त लीवर लाक पर लाक फ्री इण्डीकेशन मिलने के बाद गेटमैन चाभी ''**क्यू**'' को लीवर लाक से घड़ी की विपरीत दिशा में धुमाकर निकाल देगा । इस चाभी ''**क्यू** '' को बूम लाक लीवर पर लगे ताले में लगाकर घुमाकर लीवर को सामान्य दशा में करके इसके ताले से चाभी ''**क्यू–1**'' निकाल लेगा तथा बिन्च पर लगे इसके ताले में डालकर घुमा देगा तथा विन्च को तब तक घुमायेगा जबतक कि लिफिटंग बैरियरों के बूम उपर उठकर लगभग उर्ध्वाधर न हो जाये ।

क्रमशः पृष्ठ 4 पर

(ii) <u>स्लाडिंग बूम बैरियर की संचालन पद्धति</u> :–

(अ) <u>समपार बन्द करने हेतुः–</u>

1. जब समपार फाटक को लिफ्टिंग बैरियर की विफलता या किसी अन्य कारण से लिफ्टिंग बैरियर द्वारा न बन्द किया जा सके तब समपार को स्लाइडिंग बूम बैरियर को खींचकर बन्द किया जायेगा।
2. स्लाइडिंग बूम बैरियर द्वारा समपार को बन्द करने से पहले स्टे.मा./गेटमैन के बीच प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान किया जायेगा ।
3. स्लाइडिंग बूम बैरियरों के लाकिंग पार्ट की तरफ संगत चाभी **बी3–बी4** वेल्ड है। 2वे लाक अप बाक्स के सम्बन्धित लाक में संगत चाभी **बी3–बी4** को लगाकर घुमाने से बूम लाक हो जायेंगे तथा क्रमशः चाभी **एल1** एवं **एल2** रिलीज हो जायेगी।

4. 2वें लाकअप बाक्स से रिलीज चाभी **एल1** एवं **एल2** को 3वे लाक अप बाक्स के सम्बन्धित लाक में लगाकर घुमाने पर चाभी ''**क्यू**'' रिलीज होगी तथा इस चाभी को गेटलाज में लगे के0एल0सी0आर0 में लगाकर घुमाएगा तथा गेट कंट्रोल स्विच को घुमाकर कार्यरत स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा।

5. समपार के बन्द होने की सूचना प्राप्त होने पर कार्यरत स्टेशन मास्टर समपार नियंत्रण पुश बटन सं0 **552** पर **जी बी एन** एवं **एल एन** को एक साथ दबायेगा जिससे समपार के बन्द होने की पुष्टि पैनल पर सफेद इंडीकेशन मिल जायेगा । इसके पश्चात कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी के लिये आवश्यक सिगनल 'आफ' करेगा।सिगनल 'आफ' हो जाने के पश्चात गेटलाज में लगे के0एल0सी0आर0 से चाभी ''**क्यू**'' को नहीं निकाला जा सकेगा।

(ब) <u>समपार खोलने हेतु :–</u>

समपार से गाड़ी पूर्णतया गुजर जाने के उपरान्त कार्यरत गेटमैन गेट कंट्रोल स्विच को 'नार्मल' पोजीशन में करेगा तथा चाभी **'क्यू'** के.एल. सी.आर. से निकालकर 3वे लाक अप बाक्स के सम्बन्धित लाक में में लगायेगा। चाभी **'क्यू'** 3वे लाक अप बाक्स में लगाने पर चाभी **एल1** एवं **एल2** मुक्त होगी। 3वे लाक अप बाक्स से रिलीज चाभी **एल1** एवं **एल2** को 2वे लाक अप बाक्स के सम्बन्धित लाक में लगाकर घुमाकर संगत बूमों की चाभी **बी3–बी4** को रिलीज करेगा इसके उपरान्त गेटमैन इस चाभी की सहायता से स्लाइडिंग बूम बैरियर को खोलकर समापर को सड़क यातायात के लिये खोल देगा।

नोटः

I. <u>आपात कालीन स्विच</u> :

आपातकाल के समय गेट रक्षित सिगनलों को आन स्थिति में करने के लिये गेट लाज में एक स्विच का प्रावधान है । यह स्विच एक ग्लास लगे केस में लगा है । केस ताला बंद व सील रहता है। आपात स्थिति में गेट रक्षित सिगनलों को ''**आन**'' करने के लिए गेट मैन ग्लास केस के सामने लगे शीशे को तोड़कर स्विच को घुमायेगा, ऐसा करने पर सिगनल ''**आन**'' दशा में हो जायेगें । इसकी सूचना कार्यरत स्टेशन मास्टर को देगा तथा विस्तृत विवरण डायरी में लिखेगा। आपात स्थिति समाप्त हो जाने पर स्विच को नार्मल कर देगा व केस में नया शीशा लगा दिया जायेगा।

क्रमशः पृष्ठ 5 पर

II. <u>विद्युतीय नियंत्रण विफलता पर गेट को खोलें जाने हेतु</u> :

विद्युत नियंत्रण की विफलता के समय स्टेशन मास्टर द्वारा भेजी गयी आपात कालीन चाभी ''**क्यूई**'' को बूम लाक लीवर पर लगे ताले में लगाकर धुमाने पर बूम लाक लीवर रिलीज हो जाता है तथा लिफिटंग बैरियर को खोला जा सकता है ।

(ख) <u>गेटमैन को सूचना</u> :–

(i) **अप** गाड़ियों के आगमन एवं **डाउन** गाड़ियों का लाइन सं0 1/2/3 पर मेन लाइन बनाकर आगमन तथा **डाउन** गाड़ियों के प्रस्थान के लिये समपार को सड़क यातायात के विरुद बंद करके लाक करने के लिए कार्यरत स्टेशन मास्टर, कार्यरत गेटमैन को गाड़ी सं. तथा विवरण के साथ सूचित करेगा। स्टेशन मास्टर/गेटमैन निम्न प्रारूप में आवश्यकतानुसार रजिस्टर भरेगा :–

तिथि	गाड़ी संख्या व विवरण	सूचना का समय	कार्यरत गेटमैन द्वारा गेट बंद करके इंडीकेशन देने का समय	समपार से गाड़ी पास होने का समय	गेटमैन द्वारा गाड़ी के पूर्ण आगमन हेतु दिया गया प्राइवेट नम्बर	स्टेशन मास्टर/ गेटमैन का हस्ताक्षर	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8

(ii) गेटमैन गेट को बंद व लाक करके गेट बंद चाभी लीवर लाक में लगाकर घुमा देगा ऐसा करने पर कार्यरत स्टेशन मास्टर पैनल पर गेट बंद होने का इण्डीकेशन मिल जायेगा ।

(iii) इण्डिकेशन मिलने पर कार्यरत स्टेशन मास्टर समपार नियंत्रण पुश बटन **जीबीएन** एवं **एलएन** को एक साथ दबायेगा । तब गाड़ी के लिए आवश्यक सिगनल **आफ** करेगा । सिगनल आफ करने पर गेट लाज में लीवर लाक असेम्बली पर से लाक फ्री इण्डिकेशन चला जायेगा ।

(iv) स्टेशन मास्टर का यह दायित्व है कि गेटमैन को सूचित करने से पूर्व सुनिश्चित कर ले कि गाड़ी प्रस्थान के लिए तैयार है क्योकि सड़क यातायात अधिक देर तक समपार पर रुका न रहे।

(v) जब किसी गाड़ी को स्टेशन से/को यार्ड से/में पायलट करना हो अथवा कोई शंटिंग मूवमेन्ट इस समपार के आर–पार करना हो तो गाड़ी पायलट करने अथवा शंटिंग कार्य के लिए नियुक्त कर्मचारी फाटक को सड़क यातायात के लिए बंद व लाक होना सुनिश्चित करेगा तथा उसके पश्चात ही समपार फाटक को पार करेगा ।

(ग) <u>टेलीफोन संचार की विफलता</u> –

जब टेलीफोन संचार विफल हो जाये अथवा दो या तीन प्रयास के बाद भी गेटमैन की तरफ से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त न हो तो स्टेशन मास्टर निम्न कार्यवाही करेगाः–

(i) कार्यरत स्टेशन मास्टर कांटावाला द्वारा गेटमैन को लिखित रुप से पूर्ण विवरण, संख्या एवं गाड़ी की दिशा में बारे में सूचित करेगा।

क्रमशः पृष्ठ 6 पर

(ii) कार्यरत गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर से लिखित सूचना प्राप्त होने के उपरान्त गेट को सड़क यातायात के विरुद्ध बंद व लाक करेगा तथा इण्डीकेशन कार्यरत स्टेशन मास्टर को ट्रान्समिट करेगा। इण्डीकेशन मिलने पर स्टेशन मास्टर समपार नियंत्रण पुश बटन **जीबीएन** एवं **एलएन** को एक साथ दबायेगा। तत्पश्चात गाड़ी के लिए आवश्यक सिगनल ''आफ'' करेगा।

(iii) ट्रेनों की अधिकता के कारण कार्यरत स्टेशन मास्टर गेटमैन को सूचित करना संभव न हो सके तो स्टेशन मास्टर गाड़ी के ड्राइवर को सिगनल **''आन''** स्थिति में पार करने हेतु लिखित आदेश देगा।

(iv) इसके अतिरिक्त स्टेशन मास्टर ड्राइवर को लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कतापूर्वक आगे बढ़ने हेतु तथा गेटमैन के हाथ सिगनल के अनुसार समपार पार करने का सतर्कता आदेश जारी करेगा।

(v) गाड़ी के आगमन के मामले में कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी भेजने वाले स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुये सूचित करेगा कि गेट का टेलीफोन खराब है।

(vi) तब गाड़ी प्रस्थान कराने वाला स्टेशन मास्टर ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करने के उपरान्त ही गाड़ी भेजेगा।

(vii) कार्यरत स्टेशन मास्टर संकेत एवं दूरसंचार विभाग का कर्मचारी जो टेलीफोन अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है अतिशीध्र टेलीफोन ठीक करने के लिए सूचना देगा ।

(viii) सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब संकेत एवं दूरसंचार विभाग का कर्मचारी टेलीफोन ठीक करके संयोजन मेमो देगा ।

(घ) **लिफ्टिंग बैरियर/स्लाइडिंग बूम बैरियर की विफलता** –

(i) जब लिफ्टिंग बैरियर/स्लाइडिंग बूम बैरियर के खराब हो जाने के कारण गेट को बंद न किया जा सके तो गेटमैन तुरन्त प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुए कार्यरत स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि लिफिटंग बैरियर रेल पथ को बाधित न करता हो।

(ii) गेटमैन को निर्धारित पोस्ट पर सर्वप्रथम जिस तरफ से ट्रेन की आने की संभावना हो, दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात में लाल बत्ती लगायेगा तदुपरान्त समपार के दूसरी तरफ लगायेगा।

(iii) गेटमैन समपार पर सड़क यातायात को रोकने के लिए समपार की सुरक्षा चेन व तालों द्वारा बंद करेगा ।

(iv) सड़क यातायात को सुरक्षित करने के उपरान्त गेटमैन दिन में हरी हाथ झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती आने वाली ट्रेन के ड्राइवर को दिखायेगा।

(v) कार्यरत स्टेशन मास्टर अपने स्टेशन से इस समपार की ओर जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा।

(vi) कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी भेजने वाले स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुये सूचित करेगा कि वह अपनी तरफ से ब्लाक खण्ड में ट्रेन भेजने के पूर्व ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करे कि वह लगातार सीटी बजाते हुये सतर्कतापूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।

क्रमशः पृष्ठ 7 पर

(vii) कार्यरत स्टेशन मास्टर उत्तरदायी अनुरक्षण कर्मचारी को लिफिटंग बैरियर/स्लाइडिंग बूम बैरियर के शीघ्र मरम्मत हेतु सूचित करेगा ।

(viii) सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब अनुरक्षण कर्मचारी मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो दे दे।

(ड.) **गेट की चाभी' का गेट की बंद स्थिति में विफल हो जाना जब ''गेट की चाभी '' खोलने के लिए न निकाली जा सके :**

(i) यदि गेट की चाभी विन्च, बूम लाक लीवर, के.एल.सी.आर. से निकाली न जा सके तो कार्यरत गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुए टेलीफोन से सूचित करेगा ।

(ii) कार्यरत स्टेशन मास्टर आपातकालीन चाभी **'क्यूई'**, जो स्टेशन मास्टर कार्यालय में लगे सील्ड एवं ताला बंद केस में लगी एच.के. टी. में लाक रहती है, की सील को तोड़कर कार्यरत कर्मचारी के द्वारा गेट पर भिजवायेगा तथा इसकी प्रविष्टि स्टेशन मास्टर अभिलेख में कारण सहित उल्लेख करते हुए हस्ताक्षर करेगा।

(iii) इस परिस्थिति में गेट को नान इण्टरलाक गेट माना जायेगा तथा गाड़ियों का आगमन/प्रस्थान नान–इण्टरलाक गेट की कार्य प्रणाली के अनुसार किया जायेगा ।

(iv) कार्यरत स्टेशन मास्टर इस गेट की तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों को सतर्कता आदेश जारी करेगा ।

(v) कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी भेजने वाले स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि वह अपनी तरफ से ब्लाक खण्ड में ट्रेन भेजने के पूर्व ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कतापूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े ।

(vi) कार्यरत स्टेशन मास्टर उत्तरदायी अनुंरक्षण कर्मचारी को जो विन्च, बूम लाकिंग लीवर, के.एल.सी.आर. की मरम्मत करते है को शीघ्र मरम्मत हेतु सूचित करेगा ।

(vii) सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब अनुरक्षण कर्मचारी मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो दे दे।

(viii) मरम्मत के बाद आपात कालीन चाभी दूरसंचार कर्मचारियों द्वारा आपात कालीन बाक्स में रखकर पुनः सील कर दिया जायेगा ।

(च) <u>समपार फाटक की खुली दशा में ''गेट चाभी'' की विफलता</u> :

(i) यदि विन्च, बूम लाक लीवर, या के.एल.सी.आर. से गेट की चाभी निकाली न जा सके तो गेटमैन तुरन्त टेलीफोन द्वारा कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान के साथ सूचित करेगा।

(ii) इस परिस्थिति में गेट को नान इण्टरलाक मानकर गाड़ियों के आगमन तथा प्रस्थान नान–इण्टरलाक गेट की प्रक्रिया में निहित निर्देशों के अनुसार किया जायेगा ।

(iii) गेटमैन गेट को सड़क यातायात के विरुद्ध संरक्षा चेन एवं ताले से संरक्षित करेगा तथा गाड़ी को हाथ संकेत द्वारा पास करेगा।

(iv) कार्यरत स्टेशन मास्टर इस गेट की तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों को सतर्कता आदेश जारी करेगा।

क्रमशः पृष्ठ 8 पर

(v) कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी भेजने वाले स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुए गाड़ियों को ब्लाक खंड में प्रवेश कराने के पूर्व ''गेट खुली दशा में खराब है'' के लिए सतर्कता आदेश जारी करने के लिए सूचित करेगा।

(vi) कार्यरत स्टेशन मास्टर उत्तरदायी अनुरक्षण कर्मचारी को जो विन्च, बूम लाकिंग लीवर, के.एल.सी.आर. की मरम्मत करते है को शीघ्र मरम्मत हेतु सूचित करेगा ।

(vii) सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब अनुरक्षण कर्मचारी मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो दे दे।

(viii) मरम्मत के बाद आपात कालीन चाभी दूरसंचार कर्मचारियों द्वारा आपात कालीन बाक्स में रखकर पुनः सील कर दिया जायेगा ।

(छ) <u>समपार फाटक पर अवरोध</u> :

(i) यदि कोई सड़क वाहन गेट को तोड़कर रेल पथ बाधित कर रहा है या लिफिटंग बैरियर या गेट का अन्य भाग रेल पथ को बाधित कर रहा है या अन्य कोई बाधा गेट पर है, तो गेटमैन तुरन्त समपार के दोनों छोरों के ट्रैक पर आवश्यकता हेंतु लगाये गये निर्धारित पोस्ट पर दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती लगायेगा ।

(ii) इसके तुरन्त बाद ही गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुए अवरोध के बारे में सूचित करेगा।

(iii) गेटमैन, आगमन/प्रस्थान सिगनल यदि किसी ट्रेन के लिए **'आफ'** किया गया हो तो उसको 'आन' करने के लिए स्टे.मा0 को सूचित करेगा।

(iv) यदि दो या तीन प्रयासों के पश्चात भी स्टेशन मास्टर द्वारा प्रत्युत्तर नहीं प्राप्त होता है तो गेटमैन सर्वप्रथम गेट को संरक्षित करने के उपरान्त टेलीफोन द्वारा सूचित करेगा ।

(v) गेटमैन, पटाखा व दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल बत्ती लेकर तेजी से पहले उस तरफ जायेगा जिस तरफ से गाड़ी आने की संभावना है तथा गेटमैन आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक पर की जाने वाली कार्यवाही के अनुसार गेट को संरक्षित करेगा ।

(vi) इसके पश्चात गेटमैन दूसरी ओर गेट को संरक्षित करेगा ।

(vii) गेटमैन सड़क वाहन का विवरण, चालक व वाहन मालिक का नाम नोट कर स्टे.मा0 को बतायेगा। स्टे.मा0 तब तक गाड़ी नहीं चलायेगा जब तक कि गेटमैन सुनिश्चित नहीं कर लेता है कि सड़क वाहन, लिफ्टिग बैरियर या अन्य कोई अवरोध द्वारा रेलपथ बाधित नहीं है।

(viii) कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी भेजने वाले स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि वह अपनी तरफ से कोई भी गाड़ी को ब्लाक खण्ड में तब तक न भेजे जब तक कि रेलपथ पर से सभी अवरोध हटा न दिये गये हो ।

(ix) रेलपथ से बाधा हटा दिये जाने के बाद इसकी सूचना गेटमैन स्टे. मास्टर को प्राइवेट नम्बर के आदान–प्रदान से सूचित करेगा।

(x) स्टेशन मास्टर यदि गेट टूटा हो परन्तु गेट पर कोई अवरोध न हो सभी ट्रेन के चालकों को काशन जारी करेगा कि सतर्कतापूर्वक आगे बढ़ते हुए समपार को गेटमैन द्वारा हरा संकेत देने पर सावधानी पूर्वक पास करें।

क्रमशः पृष्ठ 9 पर

(xi) यदि समपार फाटक बाधित नहीं है तब गेटमैन समपार को संरक्षा चेनो तथा तालों द्वारा सड़क यातायात के लिये संरक्षित करेगा तथा उसके बाद गेटमैन दिन के समय हरी झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती गुजरती हुई गाड़ियों को दिखायेगा ।

(xii) स्टेशन मास्टर अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी कर्मचारी को लिफ्टिंग बैरियर को अविलम्ब ठीक कराने हेतु सूचित करेगा।

(xiii) समपार फाटक पर सामान्य कार्य प्रणाली तब प्रारम्भ की जायेगी जब लिफ्टिंग बैरियर को मरम्मत के उपरान्त संयोजन मेमो प्राप्त हो जाये ।

(ज) <u>समपार फाटक के समीप रेलपथ पर अवरोध</u> :

यदि किसी रेल का टूटना, रेलपथ किसी पेड़ इत्यादि के गिरने के कारण अवरुद्ध होना, सड़क वाहन द्वारा अवरुद्व अथवा गाड़ी का अवपथन होना जो गेटमैन को दिखाई दे रहा है, तो गेटमैन और स्टेशन मास्टर **''समपार फाटक पर अवरोध''** में ऊपर वर्णित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही करेगा। यदि अवरोध समपार गेट को बाधित कर रहा है तो गेटमैन को सड़क यातायात के लिए गेट को उस समय तक बंद रखेगा जब तक रेलपथ से अवरोध हटा न लिया जाये।

1.5 <u>गेटमैन के कर्तव्य</u> :

(1) <u>सावधानी</u> :
गेटमैन सदैव किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिये की जाने वाली त्वरित कार्यवाही के प्रति सावधान रहेगा।

(2) <u>ट्रेन के समपार फाटक से गुजरते समय फाटक वाले की स्थिति</u> :

Vªsu ds xqtjus dh fLFkfr esa xsVeSu crk;h x;h fuEu fLFkfr esa [kM+k jgsxk%&

(i) गेटमैन सतर्कतापूर्वक गेटलाज के सामने आती हुई ट्रेन की तरफ मुँह करके खड़ा रहेगा ।

(ii) दिन में गेटमैन दाये हाथ में लाल झण्डी तथा बाये हाथ में हरी झण्डी डण्डे में लगी हुई मोड़कर लिये रहेगा ।

(iii) रात्रि समय में गेटमैन जलती हुई सफेद हाथ बतती लाइन की तरफ दिखाता हुआ खड़ा रहेगा ।

(iv) गेटमैन गले में धागे में बाधकर सीटी लटकाये रहेगा ।

(3) <u>गेटमैन की नियमित ड्यूटी</u> :–

(i) गेटमैन रोड यूजर सिगनल को लगातार जलती हुयी स्थिति में रखना सुनिश्चित करेगा।

(ii) गेटमैन अपनी ड्यूटी निश्चित रुप से डयूटी रोस्टर के अनुसार करेगा और जब तक कार्यमुक्त करने हेतु साथी आ न जाये और वह गेट का कार्यभार ग्रहण न कर ले, तब तक गेटमैन गेट छोड़कर नहीं जायेगा। गेटमैन को यदि आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक से हटना अनिवार्य हो तो वह गेट छोड़ने से पूर्व गेट को सड़क यातायात के लिये बंद करके ताला लगायेगा।

(iii) इन निर्देशो के अतिरिक्त गेटमैन गुजरती हुयी ट्रेन को देखता रहेगा और ट्रेन की संरक्षा हेतु कार्य करने के लिए तत्पर रहेगा।

क्रमशः पृष्ठ 10 पर

(iv) गेटमैन गुजरती हुयी सभी ट्रेनों पर पैनी नजर रखेगा, जिससे किसी अप्रत्याशित धटना जैसे हाट एक्सिल (गरम धुरा), लटकती हुयी चेन, लटकता हुआ बैट्री बाक्स,किसी वाहन/वैगन/ट्रेन, बैट्री बाक्स में आग लगी हो, ब्रेक ब्लाक, ब्रेक बीम, सेफ्टी ब्रेकेट, वैक्यूम सिलिण्डर आदि का लटकना, गिरना, जिसके कारण ट्रेन की संरक्षा बाधित हो का पता लगाकर आवश्यक कार्यवाही करेगा ।

(v) गेटमैन गार्ड द्वारा ड्राइवर को वाकी–टाकी अथवा किसी अन्य माध्यम से दिये गये संकेतो को दुहराने के लिए तैयार रहेगा ।

(vi) समपार फाटक का बैरियर क्षतिग्रस्त या खराब होने की दशा में गेटमैन अतिरिक्त चेन डिस्क एवं तालों का प्रयोग कर सड़क यातायात बन्द करेगा।

(vii) गेटमैन अपने गेट की किसी भी खराबी के लिये यथाशीघ्र समीपस्थ स्टेशन मास्टर, गैगमेट अथवा रेलपथ निरीक्षक को सूचित करेगा।

(viii) जब गेटमैन कार्य पर रहेगा तो वह निर्धारित वर्दी एवं बैज धारण करेगा।

(ix) गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि डयूटी के समय उसके पास दक्षता प्रमाण पत्र उपलब्ध है।

(x) गेटमैन 'गेट संचालन नियमो' के अनुरुप कार्य करेगा तथा नियमों के बारे में पूर्णरुपेण जानकारी रखेगा।

(xi) गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि उसके गेट पर आपूर्ति कियें गये उपकरण अच्छी दशा में है तथा तत्काल उपयोग के लिये तैयार है।

(xii) गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि समपार पर चेक रेल गैप साफ है।

(xiii) गेटमैन समपार फाटक की सड़क को (कच्ची सड़क) पानी छिड़क कर एवं दुरमुट से कुटकर ठीक रखेगा।

(xiv) गेटमैन सड़क प्रयोगकर्ताओं की, गेट को बन्द रखने की स्थिति से उत्पन्न असुविधाओं के प्रति सतर्क रहेगा तथा ध्यान देगा की समपार फाटक कम से कम समय के लियें बन्द हो ।

(xv) विद्युतीय रेल प्रखण्ड पर गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि सड़क वाहन/पशु जो उस सड़क से गुजरते हैं, समपार के दोनो तरफ लगाये गये **"हाइट लोडिंग गेज"** के नीचे से गुजरे।

(xvi) जहॉ तक सम्भव हो गेटमैन मनुष्यों अथवा जानवरों के अवैध आवागमन पर रोक लगायेगा।

(4). <u>ट्रेन के असामान्य स्थिति में किया जाने वाला कार्य</u> :–

यदि गेट मैन गुजरने वाली ट्रेन में कोई असामान्य स्थिति देखता है तो वह निम्नलिखित कार्य करेगा :–

(i). वह तत्काल ही ड्राइवर/गार्ड को दिन में लाल झण्ड़ी तथा रात में लाल बत्ती दिखाकर सचेत करेगा।

(ii) साथ ही साथ ड्राइवर/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिए लगातार सीटी बजायेगा, चिल्लायेगा, असामान्य अभिनय करेगा तथा ब्रेकवान पर पत्थर फेंकेगा अथवा कोई अन्य साधन अपनायेगा।

(iii) यदि ड्राइवर/गार्ड उपरोक्त कार्यो के उपरान्त भी ध्यान नहीं देता है तो वह स्टेशन मास्टर/स्विच मैन/केबिन यदि टेलीफोन से सम्बद्व है को तदनुसार कार्यवाही करने हेतु प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुए सूचित करेगा।

(iv). किसी ट्रेन के पार्ट हो जाने की दशा में गेटमैन स्टाप हैण्ड सिगनल नही दिखायेगा बल्कि वह ट्रेन पार्टिंग के लिये निर्धारित संकेत करे।

क्रमशः पृष्ठ 11 पर

(v). वह ड्राइवर/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास लगातार सीटी बजाकर चिल्लाकर असामान्य अभिनय करते हुये दोनो हाथो को ऊपर उठाकर तुरन्त दोनो हाथो को अलग करके पुनः दोनो हाथों को सटाते हुये पुनः हाथो को बिल्कुल नीचे करते हुए करेगा।

(vi). ऐसा करने से यदि ट्रेन नही रुकती है तो गेटमैन तुरन्त यदि टेलीफोन पर स्टेशन मास्टर को उचित कार्यवाही करने हेतु प्राइवेट नम्बर के आदान प्रदान द्वारा इसकी सूचना देगा।

(5). <u>आपात कालीन स्थिति में समपार फाटक पर की जाने वाली कार्यवाही</u> :–

(i). समपार फाटक पर कोई अवरोध आ जाने पर वह लाइन पर दोनों तरफ दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लालबत्ती लगायेगा ।

(ii). इसके उपरान्त यदि गेटमैन अवरोध हटाने में सक्षम नहीं है तो वह स्टेशन मास्टर को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुये गेट की खराबी/अवरोध के बारे में तत्काल सूचित करेगा।

(iii). यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी स्टेशन मास्टर कोई प्रत्युत्तर नहीं देते है तो गेट मैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के बाद पुनः टेलीफोन से सूचित करेगा।

(6) <u>गेटमैन गेट की संरक्षा (बचाव) निम्नलिखित अनुसार करेगा</u> :

(अ) <u>इकहरी लाइन खण्ड़ पर</u>

(i) गेटमैन दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लालबत्ती 5 मीटर की दूर निर्धारित पोस्ट पर सर्वप्रथम उस तरफ लगा देगा जिधर से गाड़ी आने की सम्भावना है।

(ii) इसके पश्चात् उसी तरह दिन में दूसरा लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती लाइन की दूसरी ओर अवरोध से 5 मीटर की दूरी पर लगायेगा।

(iii) गेंटमैन तब पटाखा व दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल हाथ बत्ती के साथ गेट को संरक्षित करने के लिये आगेबढ़ेगा।

(iv) गेट मैन दिन में लाल झण्ड़ी दिखाते हुये तथा रात्रि में लाल हाथ बत्ती दिखाते हुये लाइन की तरफ बढ़ेगा जिस पर पहले ट्रेन आने की सम्भावना है । 600 मीटर पर एक पटाखा लगायेगा इसके बाद वह आगे बढ़कर समपार फाटक से 1200 मीटर की दूरी पर तीन पटाखा 10–10 मीटर की दूरी पर लगायेगा।
इस प्रकार लाइन को सुरक्षित करके के पश्चात वह गेट पर वापस लौटते हुये पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर लगाये गये पटाखे को उठा लेगा।

(v) तदोपरान्त वह दूसरी लाइन के तरफ दिन में लाल झण्डी दिखाते हुये तथा रात्रि में लाल हाथ बत्ती दिखाते हुये उसी तरह पटाखा क्रम सं0 (iv) में वर्णित निर्देश के अनुसार लगायेगा तथा अवरोध के स्थान पर लौटते हुये मध्य में लगे हुये पटाखे को उठा लेगा।

(vi) गेट पर लौटने के उपरान्त गेट मैन अवरोध हटाने का प्रयास एवं आती हुयी ट्रेन के ड्राइवर को संचेत करेगा।

क्रमशः पृष्ठ 12 पर

(vii) उस अवस्था में जब गेटमैन रास्ते में ही है और निर्दिष्ट स्थानों पर जंहा पटाखे लगाये जाते है, पहुंचने के पूर्व ही वह ट्रेन को आते देखता है या ट्रेन की आवाज सुनाई पड़ती है तो वह जहां तक पहुंच सकता है उसी स्थान पर पटाखा लगा देगा।

(viii) उसके उपरान्त गेट मैन आने वाली ट्रेन को दिन में लाल झण्ड़ी तथा रात्रि में लाल हाथ बत्ती दिखाकर ट्रेन को रोकेगा।

(ब) <u>गेटमैन द्वारा किये जाने वाली अन्य कार्यवाही</u> :–

(i) यदि समपार फाटक किसी वाहन द्वारा तोड़ दिया जाता है और वाहन ट्रैक को बाधित कर रहा है या बैरियर या गेट का अन्य कोई भाग ट्रेक को बाधित कर रहा है, या गेट पर अन्य कोई अवरोध है तो गेट मैन तुरन्त कार्यवाही करेगा ।

(ii) गेट मैन सड़क वाहन का विवरण लिखेगा जैसे–वाहन संख्या , ड्राइवर का नाम, मालिक का नाम और स्टेशन मास्टर अथवा रेल पथ निरीक्षक को किसी संदेश वाहक या अन्य उपलब्ध संसाधनों के द्वारा सूचित करेगा।

(iii) आउट आफ कोर्स रुकने वाली गाड़ियों की सूचना कार्यरत स्टेशन मास्टर से प्राप्त होने तथा स्टेशन पर

रुकने वाली गाड़ियों की दशा में गेटमैन टेल लैम्प/टेल बोर्ड के साथ पास होना और फाउलिंग मार्क साफ होना सुनिश्चित होने के बाद गाड़ी के पूर्ण आगमन की पुष्टि स्वरुप स्टेशन मास्टर को सहायक नियम 4.17(vii) के अनुसार प्राइवेट नम्बर देगा।

(7). **25000 वोल्ट विद्युतीकृत रेलवे लाइन के समपार फाटक पर कार्य करते समय ली जाने वाली विशेष सावधानियाँः–**

(i) 25000 वोल्ट पर चार्ज ओ.एच.ई. की तारों से हमेशा 2 मीटर दूर रहें।

(ii) ओ.एच.ई. की तारों की तरफ पानी की धार न छोड़ें।

(iii) यह सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति ओ.एच.ई. धातु की छड़ ऊपर सीधी खड़ी करके या कंधें पर रख कर रेलवे ट्रैक या फाटक पार न करे।

(iv) ओ.एच.ई. के तारों के समानान्तर 200 मीटर या इससे अधिक दूरी तक धातु की तारों को न खींचें अथवा दौड़ायें।

(v) ओ.एच.ई. की तारों से चिपके किसी भी व्यक्ति को न छुऐं जब तक कि तारों की सप्लाई बंद न कर दी जाए।

(vi) वर्षा ऋतु में धातु की छड़ वाली छतरी ऊपर रखते हुए ट्रैक पार न करें और दूसरों को भी ऐसा करने से मना करें।

(vii) रेलवे फाटक के पास यदि कोई असाधारण घटना दिखाई पड़ती है तोः–

5. गेट को तुरन्त बंद करें।

6. स्टेशन मास्टर को तुरन्त सूचित करें जैसे–

(क) ओ.एच.ई. की तारो से आग लगने पर।

(ख) तारों का टूटना एवं तारों से चिन्गारियों का निकलना।

क्रमशः पृष्ठ 13 पर

(ग) इंजन के पेंटो मे खराबी।

(घ) किसी व्यक्ति के तारों से चिपकने पर।

(ङ) तारों पर पेड़ का गिरना।

(च) टूटे या खुले बांड इत्यादि।

9. उपर्युक्त किसी भी घटना में से किसी भी हालत मे टूटी तारों एवं बांड को न छुऐं।

10. ओ.एच.ई. के तार टूटने की स्थिति में यातायात की दिशा मे सावधानीपूर्वक जाते हुए, तारों से 2 मी. की उचित दूरी बनाते हुए, सुरक्षा के नियमानुसार 600 मी. एवं 1200 मी. पर बैनर–फ्लैग एवं पटाखें लगायें।

11. दोहरी लाइन खण्ड में यदि दोनो लाइनों पर ओ.एच.ई के तारों के साथ कोई घटना घटित होती है जैसे कि दोनो तारों पर अप एवं डाउन लाइन मे पेड़ के गिर जाने पर तो दूसरे ट्रैक पर भी जाकर उपरोक्त के अनुसार ट्रैक को सुरक्षित करें।

(viii) हाईट गेज के टूटने पर तुरन्त गेट को बंद कर दें एवं इसकी सूचना स्टेशन मास्टर को दें, साथ मे आगे के आदेश के लिए टेलीफोन लाईन पर उपलब्ध रहें।

(ix) विद्युत आघात लगे व्यक्ति को तुरन्त कृत्रिम श्वास दें एवं स्टेशन मास्टर को तुरन्त सूचित करें।

(x) मालगाड़ी, यात्री गाड़ी या इंजन के ऊपर न चढ़ें। यदि यात्री चढ़े हैं तो उसे तुरन्त उतारने की कोशिश करें अथवा स्टेशन मास्टर को सूचित करें।

(xi) यदि किसी मालगाड़ी के दरवाजे अथवा टैंकर के ढक्कन खुले हों तों तुरन्त स्टेशन मास्टर को सुचित करें।

(xii) किसी पशु को झटका लगने एवं मरने पर इसकी सूचना तुरन्त स्टेशन मास्टर को दें साथ मे आगे के आदेश के लिए टेलीफोन लाईन पर उपलब्ध रहें।

(xiii) मास्ट(खम्भों) के ऊपर न चढ़े।

(xiv) जिस मास्ट(खम्भों) से अर्थ पत्ती खुली हो उस मास्ट को न छुऐं तथा उससे 2 मीटर दूर रहें।

परिशिष्ट ''ए''

भाग–2

पीपीगंज स्टेशन पर स्थित ''सी'' श्रेणी का ट्राफिक समपार संख्या 15 के संचालन हेतु अनुदेश।

1. विवरणः–

1.1 सामान्य :

1.	समपार फाटक की संख्या	15 ''सी'' श्रेणी
2.	इंजीनियंरिग / यातायात फाटक	यातायात फाटक
3.	किसके अधीन स्टेशन अधी0 / रे0प0 निरीक्षक	स्टेशन अधीक्षक / पीपीगंज
4.	किलोमीटर पर स्थित	22 / 7–8
5.	स्टेशन पर	पीपीगंज
6.	स्टेशन मध्य ––––––––– एवं	ihihxat ;kMZ
7.	बी जी / एमजी / एन0जी0	बी.जी.
8.	इकहरी लाइन / दोहरी / मिश्रित लाइन	इकहरी लाइन
9.	सामान्य स्थिति	सड़क यातायात के लिए खुला
10.	इण्टरलाक्ड़ / नान इण्टरलाक्ड	इण्टरलाक्ड़
11.	इण्टरलाकिंग का प्रकार	स्टेशन के सिगनलो से अन्तर्पाशित
12.	गेट सिगनलों का प्राविधान किलोमीटर	–
13.	संकेतक व्यवस्था	Ckgqladsrh; jaxhu flxuy
14.	संचार साधन टेलीफोन / घंटी इत्यादि	टेलीफोन
15.	समपार फाटक की चौड़ाई	7.50 मीटर
16.	सड़ककाप्रकार(एन0एच0 / एस0एच0 / अन्य)	अन्य
17.	सड़क का नाम	–
18.	पक्का / कच्चा	पक्का
19.	पहुंच मार्ग	पक्का
20.	सड़क की चौड़ाई	7.50 मीटर
21.	सड़क की क्रासिग कोण(इरक्यू गेट के लिये)	–

	पूर्व/उत्तर की तरफ	–
	पश्चिम/दक्षिण की तरफ	–
22.	सड़क की ढ़ाल यदि कोइ हो	समतल
i.	उत्तर की तरफ	–
ii.	दक्षिण की तरफ	–
23.	सड़क की सीधाई (सीधा/गोलाई)	सीधा
i.	उत्तर की तरफ	–
ii.	दक्षिण की तरफ	–
24.	'हाइट गेज' का प्रावधान	है
25.	बैरियर का प्रकार	लिफिटंग बैरियर/स्लाइडिंग बूम बैरियर
26	चेक रेलो की लम्बाई	9.50 मीटर

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

27.	समपार के मध्य सड़क का सतह	**समतल**
28.	रम्बल स्ट्रिप/गति अवरोध की लम्बाई	**उपलब्ध**
29.	रोड साइन	**उपलब्ध**
30.	**xfr vojks/kd cksMZ**	**उपलब्ध**
31.	टी0 वी0 यू0	**6825 सितम्बर 2019**
32.	अगली गणना की तिथि	**सितम्बर 2022**
33.	पटाखा सिगनल लगाने का निर्दिष्ट स्थान	**उपलब्ध है**
34.	गेट मैनों की संख्या	**दो**
35.	निकटतम रेलवे सहायता केन्द्र	**गोरखपुर रेलवे अस्पताल**
36.	निकटतम निजी चिकित्सा सहायता की उपलब्धता यदि कोई हो	**पीपीगंज**
37.	उपलब्ध उपकरणों की सूची हां/नहीं	**उपलब्ध**

1.2 <u>उपकरण</u> :–

क्र0सं0	विवरण	मात्रा
1.	ट्राई कलर टार्च/फ्लैशिंग टेल लैम्प	3
2.	हाथ हरी झण्डी	1 डण्डे में लगा हुआ
3.	हाथ लाल झण्डी	3 डण्डे में लगा हुआ
4.	बैनर फ्लैग लाल	3
5.	लाल बैनर फ्लैग लगाने हेतु पोस्ट	2
6.	तालों के साथ अतिरिक्त चेन (जंजीर)	2 स्टाप चिन्ह के साथ
7.	पटाखा सिगनल	10
8.	टामी बार	1
9.	मोर्टार पैन	1
10.	फावड़ा/बेल्चा	1
11.	दुरमुट	1(पक्की रोड सतह के लिये आवश्यक नही)
12.	पिक एक्स	1(पक्की रोड सतह के लिये आवश्यक नही)

13.	टिन केस झण्डी के लिये	1
14.	कैन मिट्टी तेल के लिए	1
15.	बाल्टी/पानी पीने का बर्तन	1
16.	मस्टर शीट के लिए बाक्स	1
17.	चश्मा लगाने वाले गेट मैनों के लिये अतिरिक्त चश्मा	1
18.	गेट पर अवरोध की दशा में समपार की सुरक्षा हेतु प्रदर्शित डायग्राम	1
19.	टोकरी	1
20.	सीटी	1
21.	दीवार घड़ी	1
22.	छोटी चेन ताला चाभीयुक्त	02

क्रमशः पृष्ठ 3 पर

1.3 <u>गेट लाज पर रखे जाने वाले अभिलेख :–</u>

क्रम संख्या	अभिलेख का विवरण
1.	गेट का कार्यकारी अनुदेश हिन्दी में
2.	गेट मैन नियम पुस्तिका हिन्दी भाषा में
3.	पुस्तकों एवं उपकरणों की सूची
4.	ड्यूटी रोस्टर
5.	गेट मैन का कार्य करने का प्रमाण – पत्र
6.	गेट मैन का वायोडाटा ,नेत्र जांच, प्रारभिक पुनश्चर्या, संरक्षा कैम्प इत्यादि
7.	दुर्धटना रजिस्टर
8.	समपार फाटक पर अतिम गणना का अभिलेख
9.	निरीक्षण पुस्तिका
10.	जन परिवाद पुस्तिका

1.4 (क) <u>समपार फाटक के संचालन हेतु विशेष अनुदेश</u> :–

समपार को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द करने के लिये एक जोड़ा लिफिटंग बैरियर की व्यवस्था है। लिफिटंग बैरियर की विफलता पर सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द करने के लिये एक जोड़ा स्लाइडिंग बूम बैरियर की व्यवस्था है। जिनकी कार्य पद्वति निम्न प्रकार से हैः–

(i) <u>लिफ्टिंग बैरियर की संचालन पद्वति</u> :–

समपार को सड़क यातायात के विरुद्व बंद करने के लिए एक जोड़ा लिफ्टिंग बैरियर की व्यवस्था है। लिफ्टिंग बैरियरों को संचालित करने के लिए एक बिन्च की व्यवस्था है। कार्यरत गेटमैन विन्च को तब तक संचालित करेगा जब तक कि बैरियर नीचे आकर समतल स्थिति में बूम पोस्ट पर स्थिर न हो जाये। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियरों के बीच में कोई सड़क वाहन फॅस न जाये । विन्च को इस स्थिति में लाक करने के लिए चाभी **पी–1** को घुमाकर निकाल लेगा तथा इसे बूम लाक लीवर पर लगे इसके ''ई'' प्रकार के ताले में चाभी **पी–1** लगाकर घुमायेगा जो लीवर को मुक्त करेगी । लीवर को विपरीत दिशा में खीचने पर बूमों को बंद दशा में लाक कर देगा । लीवर से चाभी **''पी''** निकालकर गेट लाज में लगे लीवर लाक में लगाकर घड़ी की दिशा में घुमायेगा

जिससे इस गेट के बन्द होने की पुष्टि स्वरुप स्टेशन मास्टर पैनल पर इण्डीकेशन मिल जायेगा ।

इण्डीकेशन मिलने पर कार्यरत स्टेशन मास्टर समपार नियंत्रण पुश बटन **जीबीएन** एवं **एलएन** को एक साथ दबायेगा। तब गाड़ी के लिए आवश्यक सिगनल आफ करेगा। सिगनल आफ करने पर गेट लाज में लगे लीवर लाक असेम्बली पर से लाक फ्री इंडीकेशन चला जायेगा।

गाड़ी के गुजरने के बाद कार्यरत स्टेशन मास्टर समपार नियंत्रण पुश बटन **जीबीएन** एवं **वाईएन** को एक साथ दबायेगा । जिससे गेट लाज में प्रदत्त लीवर लाक पर लाक फ्री इण्डीकेशन मिलने के बाद गेटमैन चाभी ''**पी**'' को लीवर लाक से घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाकर निकाल देगा । इस चाभी ''**पी** '' को बूम लाक लीवर पर लगे ताले में लगाकर घुमाकर लीवर को सामान्य दशा में करके इसके ताले से चाभी ''**पी–1**'' निकाल लेगा तथा विन्च पर लगे इसके ताले में डालकर घुमा देगा तथा विन्च को तब तक घुमायेगा जबतक कि लिफ्टिंग बैरियरों के बूम उपर उठकर लगभग उर्ध्वाधर न हो जाये ।

क्रमशः पृष्ठ 4 पर

(ii) <u>स्लाडिंग बूम बैरियर की संचालन पद्धति</u> :–

(अ) <u>समपार बन्द करने हेतुः–</u>

6. जब समपार फाटक को लिफ्टिंग बैरियर की विफलता या किसी अन्य कारण से लिफ्टिंग बैरियर द्वारा न बन्द किया जा सके तब समपार को स्लाइडिंग बूम बैरियर को खींचकर बन्द किया जायेगा।
7. स्लाइडिंग बूम बैरियर द्वारा समपार को बन्द करने से पहले स्टे. मा./गेटमैन के बीच प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान किया जायेगा ।
8. स्लाइडिंग बूम बैरियरों के लाकिंग पार्ट की तरफ संगत चाभी **बी1–बी2** वेल्ड है। 2वे लाक अप बाक्स के सम्बन्धित लाक में संगत चाभी **बी1–बी2** को लगाकर घुमाने से बूम लाक हो जायेंगे तथा क्रमशः चाभी **के1** एवं **के2** रिलीज हो जायेगी।
9. 2वें लाकअप बाक्स से रिलीज चाभी **के1** एवं **के2** को 3वे लाक अप बाक्स के सम्बन्धित लाक में लगाकर घुमाने पर चाभी ''**पी**'' रिलीज होगी तथा इस चाभी को गेटलाज में लगे के0एल0सी0आर0 में लगाकर घुमाएगा एवं गेट कंट्रोल स्विच को धुमाकर कार्यरत स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा।
10. समपार के बन्द होने की सूचना प्राप्त होने पर कार्यरत स्टेशन मास्टर समपार नियंत्रण पुश बटन सं0 **551** पर **जी बी एन** एवं **एल एन** को एक साथ दबायेगा जिससे समपार के बन्द होने की पुष्टि पैनल पर सफेद इंडीकेशन मिल जायेगा । इसके पश्चात कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी के लिये आवश्यक सिगनल 'आफ' करेगा।सिगनल 'आफ' हो जाने के पश्चात गेटलाज में लगे के0एल0सी0आर0 से चाभी ''**पी**'' को नहीं निकाला जा सकेगा।

(ब) <u>समपार खोलने हेतु</u> :–

समपार से गाड़ी पूर्णतया गुजर जाने के उपरान्त कार्यरत गेटमैन गेट कंट्रोल स्विच को 'नार्मल' पोजीशन में करेगा तथा चाभी ''**पी**'' के.एल.सी.आर. से निकालकर 3वे लाक अप बाक्स के सम्बन्धित लाक में में लगायेगा। चाभी ''**पी**'' 3वे लाक अप बाक्स में लगाने पर चाभी **के1** एवं **के2** मुक्त होगी। 3वे लाक अप बाक्स से रिलीज

चाभी **के1** एवं **के2** को 2वे लाक अप बाक्स के सम्बन्धित लाक में लगाकर घुमाकर संगत बूमों की चाभी **बी1** एवं **बी2** को रिलीज करेगा इसके उपरान्त कार्यरत गेटमैन इस चाभी की सहायता से स्लाइडिंग बूम बैरियर को खोलकर समापर को सड़क यातायात के लिये खोल देगा।

नोटः

I. <u>आपात कालीन स्विच</u> :

आपातकाल के समय गेट रक्षित सिगनलों को आन स्थिति में करने के लिये गेट लाज में एक स्विच का प्रावधान है । यह स्विच एक ग्लास लगे केस में लगा है । केस ताला बंद व सील रहता है। आपात स्थिति में गेट रक्षित सिगनलों को ''**आन**'' करने के लिए गेट मैन ग्लास केस के सामने लगे शीशे को तोड़कर स्विच को घुमायेगा, ऐसा करने पर सिगनल ''**आन**'' दशा में हो जायेगें । इसकी सूचना कार्यरत स्टेशन मास्टर को देगा तथा विस्तृत विवरण डायरी में लिखेगा। आपात स्थिति समाप्त हो जाने पर स्विच को नार्मल कर देगा व केस में नया शीशा लगा दिया जायेगा।

क्रमशः पृष्ठ 5 पर

II. <u>विद्युतीय नियंत्रण विफलता पर गेट को खोलें जाने हेतु</u> :

विद्युत नियंत्रण की विफलता के समय स्टेशन मास्टर द्वारा भेजी गयी आपात कालीन चाभी **''पीई''** को बूम लाक लीवर पर लगे ताले में लगाकर धुमाने पर बूम लाक लीवर रिलीज हो जाता है तथा लिफिटंग बैरियर को खोला जा सकता है ।

(ख) <u>गेटमैन को सूचना</u> :–

(i) **डाउन** गाड़ियों के आगमन एवं **अप** गाड़ियों का लाइन सं0 1/2/3 पर मेन लाइन बनाकर आगमन तथा **अप** गाड़ियों के प्रस्थान के लिये समपार को सड़क यातायात के विरुद्ध बंद करके लाक करने के लिए कार्यरत स्टेशन मास्टर, कार्यरत गेटमैन को गाड़ी संख्या तथा विवरण के साथ सूचित करेगा। स्टेशन मास्टर/गेटमैन निम्न प्रारूप में आवश्यकतानुसार रजिस्टर भरेगा :–

तिथि	गाड़ी संख्या व विवरण	सूचना का समय	कार्यरत गेटमैन द्वारा गेट बंद करके इंडीकेशन देने का समय	समपार से गाड़ी पास होने का समय	गेटमैन द्वारा गाड़ी के पूर्ण आगमन हेतु दिया गया प्राइवेट नम्बर	स्टेशन मास्टर/ गेटमैन का हस्ताक्षर	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8

(ii) गेटमैन गेट को बंद व लाक करके गेट बंद चाभी लीवर लाक में लगाकर धुमा देगा ऐसा करने पर कार्यरत स्टेशन मास्टर पैनल पर गेट बंद होने का इण्डीकेशन मिल जायेगा ।

(iii) इण्डिकेशन मिलने पर कार्यरत स्टेशन मास्टर समपार नियंत्रण पुश बटन **जीबीएन** एवं **एलएन** को एक साथ दबायेगा । तब गाड़ी के लिए आवश्यक सिगनल **आफ** करेगा । सिगनल आफ करने पर गेट लाज में लीवर लाक असेम्बली पर से लाक फ्री इण्डिकेशन चला जायेगा ।

(iv) स्टे.मास्टर का दायित्व है कि गेटमैन को सूचित करने से पूर्व सुनिश्चित कर ले कि गाड़ी प्रस्थान के लिए तैयार है क्योकि सड़क यातायात अधिक देर तक समपार पर रुका न रहे।

(v) जब किसी गाड़ी को स्टेशन से/को यार्ड को/से पायलट करना हो अथवा कोई शंटिंग मूवमेन्ट इस समपार के आर–पार करना हो तो गाड़ी पायलट करने अथवा शंटिंग कार्य के लिए नियुक्त कर्मचारी फाटक को सड़क यातायात के लिए बंद व लाक होना सुनिश्चित करेगा तथा उसके पश्चात ही समपार फाटक को पार करेगा ।

(ग) <u>टेलीफोन संचार की विफलता</u> –

जब टेलीफोन संचार विफल हो जाये अथवा दो या तीन प्रयास के बाद भी गेटमैन की तरफ से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त न हो तो स्टेशन मास्टर निम्न कार्यवाही करेगाः–

(i) कार्यरत स्टेशन मास्टर कांटावाला द्वारा गेटमैन को लिखित रुप से पूर्ण विवरण, संख्या एवं गाड़ी की दिशा में बारे में सूचित करेगा।

(ii) कार्यरत गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर से लिखित सूचना प्राप्त होने के उपरान्त गेट को सड़क यातायात के विरुद्ध बंद व लाक करेगा तथा इण्डीकेशन कार्यरत स्टेशन मास्टर को ट्रान्समिट करेगा।

क्रमशः पृष्ठ 6 पर

इण्डीकेशन मिलने पर स्टेशन मास्टर समपार नियंत्रण पुश बटन **जीबीएन** एवं **एलएन** को एक साथ दबायेगा। तत्पश्चात गाड़ी के लिए आवश्यक सिगनल ''आफ'' करेगा।

(iii) ट्रेनों की अधिकता के कारण कार्यरत स्टेशन मास्टर गेटमैन को सूचित करना संभव न हो सके तो स्टेशन मास्टर गाड़ी के ड्राइवर को सिगनल **''आन''** स्थिति में पार करने हेतु लिखित आदेश देगा।

(iv) इसके अतिरिक्त स्टेशन मास्टर ड्राइवर को लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कतापूर्वक आगे बढ़ने हेतु तथा गेटमैन के हाथ सिगनल के अनुसार समपार पार करने का सतर्कता आदेश जारी करेगा।

(v) गाड़ी के आगमन के मामले में कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी भेजने वाले स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुये सूचित करेगा कि गेट का टेलीफोन खराब है।

(vi) तब गाड़ी प्रस्थान कराने वाला स्टेशन मास्टर ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करने के उपरान्त ही गाड़ी भेजेगा।

(vii) कार्यरत स्टेशन मास्टर संकेत एवं दूरसंचार विभाग का कर्मचारी जो टेलीफोन अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है अतिशीध्र टेलीफोन ठीक करने के लिए सूचना देगा ।

(viii) सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब संकेत एवं दूरसंचार विभाग का कर्मचारी टेलीफोन ठीक करके संयोजन मेमो देगा ।

(घ) <u>लिफ्टिंग बैरियर/स्लाइडिंग बूम बैरियर की विफलता</u> –

(i) जब लिफ्टिंग बैरियर/स्लाइडिंग बूम बैरियर के खराब हो जाने के कारण गेट को बंद न किया जा सके तो गेटमैन तुरन्त प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुए कार्यरत स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि लिफिटंग बैरियर रेल पथ को बाधित न करता हो।

(ii) गेटमैन को निर्धारित पोस्ट पर सर्वप्रथम जिस तरफ से ट्रेन की आने की संभावना हो, दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात में लाल बत्ती लगायेगा तदुपरान्त समपार के दूसरी तरफ लगायेगा।

(iii) गेटमैन समपार पर सड़क यातायात को रोकने के लिए समपार की सुरक्षा चेन व तालों द्वारा बंद करेगा ।

(iv) सड़क यातायात को सुरक्षित करने के उपरान्त गेटमैन दिन में हरी हाथ झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती आने वाली ट्रेन के ड्राइवर को दिखायेगा।

(v) कार्यरत स्टेशन मास्टर अपने स्टेशन से इस समपार की ओर जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा।

(vi) कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी भेजने वाले स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुये सूचित करेगा कि वह अपनी तरफ से ब्लाक खण्ड में ट्रेन भेजने के पूर्व ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करे कि वह लगातार सीटी बजाते हुये सतर्कतापूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।

(vii) कार्यरत स्टेशन मास्टर उत्तरदायी अनुरक्षण कर्मचारी को लिफिटंग बैरियर/स्लाइडिंग बूम बैरियर के शीघ्र मरम्मत हेतु सूचित करेगा।

(viii) सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब अनुरक्षण कर्मचारी मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो दे दे।

क्रमशः पृष्ठ 7 पर

(ड.) **<u>गेट की चाभी' का गेट की बंद स्थिति में विफल हो जाना जब ''गेट की चाभी '' खोलने के लिए न निकाली जा सके</u>** :

(i) यदि गेट की चाभी विन्च, बूम लाक लीवर, के.एल.सी.आर. से निकाली न जा सके तो कार्यरत गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुए टेलीफोन से सूचित करेगा ।

(ii) कार्यरत स्टेशन मास्टर आपातकालीन चाभी **''पीई''**, जो स्टेशन मास्टर कार्यालय में लगे सील्ड एवं ताला बंद केस में लगी एच0के0टी0 में लाक रहती है, की सील को तोड़कर कार्यरत कर्मचारी के द्वारा गेट पर भिजवायेगा तथा इसकी प्रविष्टि स्टेशन मास्टर अभिलेख में कारण सहित उल्लेख करते हुए हस्ताक्षर करेगा।

(iii) इस परिस्थिति में गेट को नान इण्टरलाक गेट माना जायेगा तथा गाड़ियों का आगमन/प्रस्थान नान–इण्टरलाक गेट की कार्य प्रणाली के अनुसार किया जायेगा ।

(iv) कार्यरत स्टेशन मास्टर इस गेट की तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों को सतर्कता आदेश जारी करेगा ।

(v) कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी भेजने वाले स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि वह अपनी तरफ से ब्लाक खण्ड में ट्रेन भेजने के पूर्व ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कतापूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े ।

(vi) कार्यरत स्टेशन मास्टर उत्तरदायी अनुंरक्षण कर्मचारी को जो विन्च, बूम लाकिंग लीवर, के.एल.सी.आर. की मरम्मत करते है को शीघ्र मरम्मत हेतु सूचित करेगा ।

(vii) सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब अनुरक्षण कर्मचारी मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो दे दे।

(viii) मरम्मत के बाद आपात कालीन चाभी दूरसंचार कर्मचारियों द्वारा आपात कालीन बाक्स में रखकर पुनः सील कर दिया जायेगा ।

(च) **<u>समपार फाटक की खुली दशा में ''गेट चाभी'' की विफलता</u>** :

(i) यदि विन्च, बूम लाक लीवर, या के.एल.सी.आर. से गेट की चाभी निकाली न जा सके तो गेटमैन तुरन्त टेलीफोन द्वारा कार्यरत

स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान के साथ सूचित करेगा।

(ii) इस परिस्थिति में गेट को नान इण्टरलाक मानकर गाड़ियों के आगमन तथा प्रस्थान नान–इण्टरलाक गेट की प्रक्रिया में निहित निर्देशों के अनुसार किया जायेगा ।

(iii) गेटमैन गेट को सड़क यातायात के विरुद्ध संरक्षा चेन एवं ताले से संरक्षित करेगा तथा गाड़ी को हाथ संकेत द्वारा पास करेगा।

(iv) कार्यरत स्टेशन मास्टर इस गेट की तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों को सतर्कता आदेश जारी करेगा।

(v) कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी भेजने वाले स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुए गाड़ियों को ब्लाक खंड में प्रवेश कराने के पूर्व ''गेट खुली दशा में खराब है'' के लिए सतर्कता आदेश जारी करने के लिए सूचित करेगा।

क्रमशः पृष्ठ 8 पर

(vi) कार्यरत स्टेशन मास्टर उत्तरदायी अनुरक्षण कर्मचारी को जो विन्च, बूम लाकिंग लीवर, के.एल.सी.आर. की मरम्मत करते है को शीघ्र मरम्मत हेतु सूचित करेगा ।

(vii) सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब अनुरक्षण कर्मचारी मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो दे दे।

(viii) मरम्मत के बाद आपात कालीन चाभी दूरसंचार कर्मचारियों द्वारा आपात कालीन बाक्स में रखकर पुनः सील कर दिया जायेगा ।

(छ) <u>समपार फाटक पर अवरोध</u> :

(i) यदि कोई सड़क वाहन गेट को तोड़कर रेल पथ बाधित कर रहा है या लिफिटंग बैरियर या गेट का अन्य भाग रेल पथ को बाधित कर रहा है या अन्य कोई बाधा गेट पर है, तो गेटमैन तुरन्त समपार के दोनों छोरों के ट्रैक पर आवश्यकता हेंतु लगाये गये निर्धारित पोस्ट पर दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती लगायेगा ।

(ii) इसके तुरन्त बाद ही गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुए अवरोध के बारे में सूचित करेगा।

(iii) गेटमैन, आगमन/प्रस्थान सिगनल यदि किसी ट्रेन के लिए **''आफ''** किया गया हो तो उसको ''आन'' करने के लिए स्टे.मा0 को सूचित करेगा।

(iv) यदि दो या तीन प्रयासों के पश्चात भी स्टेशन मास्टर द्वारा प्रत्युत्तर नहीं प्राप्त होता है तो गेटमैन सर्वप्रथम गेट को संरक्षित करने के उपरान्त टेलीफोन द्वारा सूचित करेगा ।

(v) गेटमैन, पटाखा व दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल बत्ती लेकर तेजी से पहले उस तरफ जायेगा जिस तरफ से गाड़ी आने की संभावना है तथा गेटमैन आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक पर की जाने वाली कार्यवाही के अनुसार गेट को संरक्षित करेगा ।

(vi) इसके पश्चात गेटमैन दूसरी ओर गेट को संरक्षित करेगा ।

(vii) गेटमैन सड़क वाहन का विवरण, चालक व वाहन मालिक का नाम नोट कर स्टे.मा0 को बतायेगा। स्टे.मा0 तब तक गाड़ी नहीं चलायेगा जब तक कि गेटमैन सुनिश्चित नहीं कर लेता है कि सड़क वाहन, लिफ्टिग बैरियर या अन्य कोई अवरोध द्वारा रेलपथ बाधित नहीं है।

(viii) कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी भेजने वाले स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि वह अपनी तरफ से कोई भी गाड़ी को ब्लाक खण्ड में तब तक न भेजे जब तक कि रेलपथ पर से सभी अवरोध हटा न दिये गये हो ।

(ix) रेलपथ से बाधा हटा दिये जाने के बाद इसकी सूचना गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर के आदान–प्रदान से सूचित करेगा।

(x) स्टेशन मास्टर यदि गेट टूटा हो परन्तु गेट पर कोई अवरोध न हो सभी ट्रेन के चालकों को काशन जारी करेगा कि सतर्कतापूर्वक आगे बढ़ते हुए समपार को गेटमैन द्वारा हरा संकेत देने पर सावधानी पूर्वक पास करें।

(xi) यदि समपार फाटक बाधित नहीं है तब गेटमैन समपार को संरक्षा चेनो तथा तालों द्वारा सड़क यातायात के लिये संरक्षित करेगा तथा उसके बाद गेटमैन दिन के समय हरी झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती गुजरती हुई गाड़ियों को दिखायेगा ।

क्रमशः पृष्ठ 9 पर

(xii) स्टेशन मास्टर अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी कर्मचारी को लिफ्टिंग बैरियर को अविलम्ब ठीक कराने हेतु सूचित करेगा।

(xiii) समपार फाटक पर सामान्य कार्य प्रणाली तब प्रारम्भ की जायेगी जब लिफ्टिंग बैरियर को मरम्मत के उपरान्त संयोजन मेमो प्राप्त हो जाये ।

(ज) <u>समपार फाटक के समीप रेलपथ पर अवरोध</u> :

यदि किसी रेल का टूटना, रेलपथ किसी पेड़ इत्यादि के गिरने के कारण अवरुद्ध होना, सड़क वाहन द्वारा अवरुद्व अथवा गाड़ी का अवपथन होना जो गेटमैन को दिखाई दे रहा है, तो गेटमैन और स्टेशन मास्टर **''समपार फाटक पर अवरोध''** में ऊपर वर्णित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही करेगा। यदि अवरोध समपार गेट को बाधित कर रहा है तो गेटमैन को सड़क यातायात के लिए गेट को उस समय तक बंद रखेगा जब तक रेलपथ से अवरोध हटा न लिया जाये।

1.6 <u>गेटमैन के कर्तव्य</u> :

(1) <u>सावधानी</u> :

गेटमैन सदैव किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिये की जाने वाली त्वरित कार्यवाही के प्रति सावधान रहेगा।

(2) <u>ट्रेन के समपार फाटक से गुजरते समय फाटक वाले की स्थिति</u> :

Vªsu ds xqtjus dh fLFkfr esa xsVeSu crk;h x;h fuEu fLFkfr esa [kM+k jgsxk%&

(i) गेटमैन सतर्कतापूर्वक गेटलाज के सामने आती हुई ट्रेन की तरफ मुँह करके खड़ा रहेगा ।

(ii) दिन में गेटमैन दाये हाथ में लाल झण्डी तथा बाये हाथ में हरी झण्डी डण्डे में लगी हुई मोड़कर लिये रहेगा ।

(iii) रात्रि समय में गेटमैन जलती हुई सफेद हाथ बतती लाइन की तरफ दिखाता हुआ खड़ा रहेगा ।

(iv) गेटमैन गले में धागे में बाधकर सीटी लटकाये रहेगा ।

(3) <u>गेटमैन की नियमित ड्यूटी</u> :–

(i) गेटमैन रोड यूजर सिगनल को लगातार जलती हुयी स्थिति में रखना सुनिश्चित करेगा।

(ii) गेटमैन अपनी ड्यूटी निश्चित रुप से डयूटी रोस्टर के अनुसार करेगा और जब तक कार्यमुक्त करने हेतु साथी आ न जाये और

वह गेट का कार्यभार ग्रहण न कर ले, तब तक गेटमैन गेट छोड़कर नहीं जायेगा। गेटमैन को यदि आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक से हटना अनिवार्य हो तो वह गेट छोड़ने से पूर्व गेट को सड़क यातायात के लिये बंद करके ताला लगायेगा।

(iii) इन निर्देशो के अतिरिक्त गेट मैन गुजरती हुयी ट्रेन को देखता रहेगा और ट्रेन की संरक्षा हेतु कार्य करने के लिए तत्पर रहेगा।

(iv) गेटमैन गुजरती हुयी सभी ट्रेनों पर पैनी नजर रखेगा, जिससे किसी अप्रत्याशित धटना जैसे हाट एक्सिल (गरम धुरा) ,लटकती हुयी चेन,लटकता हुआ बैट्री बाक्स,किसी वाहन/वैगन/ट्रेन, बैट्री बाक्स में आग लगी हो, ब्रेक ब्लाक ,ब्रेक बीम, सेफ्टी ब्रेकेट, वैक्यूम सिलिण्डर आदि का लटकना ,गिरना, जिसके कारण ट्रेन की संरक्षा बाधित हो का पता लगाकर आवश्यक कार्यवाही करेगा ।

क्रमशः पृष्ठ 10 पर

(v) गेटमैन गार्ड द्वारा ड्राइवर को वाकी–टाकी अथवा किसी अन्य माध्यम से दिये गये संकेतो को दुहराने के लिए तैयार रहेगा ।

(vi) समपार फाटक का बैरियर क्षतिग्रस्त या खराब होने की दशा में गेटमैन अतिरिक्त चेन डिस्क एवं तालों का प्रयोग कर सड़क यातायात बन्द करेगा।

(vii) गेटमैन अपने गेट की किसी भी खराबी के लिये यथाशीध्र समीपस्थ स्टेशन मास्टर, गैग मैट अथवा रेलपथ निरीक्षक को सूचित करेगा।

(viii) जब गेटमैन कार्य पर रहेगा तो वह निर्धारित वर्दी एवं बैज धारण करेगा।

(ix) गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि डयूटी के समय उसके पास दक्षता प्रमाण पत्र उपलब्ध है।

(x) गेटमैन 'गेट संचालन नियमो' के अनुरुप कार्य करेगा तथा नियमों के बारे में पूर्णरुपेण जानकारी रखेगा।

(xi) गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि उसके गेट पर आपूर्ति कियें गये उपकरण अच्छी दशा में है तथा तत्काल उपयोग के लिये तैयार है।

(xii) गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि समपार पर चेक रेल गैप साफ है।

(xiii) गेटमैन समपार फाटक की सड़क को (कच्ची सड़क) पानी छिड़क कर एवं दुरमुट से कुटकर ठीक रखेगा।

(xiv) गेटमैन सड़क प्रयोगकर्ताओं की, गेट को बन्द रखने की स्थिति से उत्पन्न असुविधाओं के प्रति सतर्क रहेगा तथा ध्यान देगा की समपार फाटक कम से कम समय के लियें बन्द हो ।

(xv) विद्युतीय रेल प्रखण्ड पर गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि सड़क वाहन/पशु जो उस सड़क से गुजरते हैं, समपार के दोनो तरफ लगाये गये **"हाइट लोडिंग गेज"** के नीचे से गुजरे।

(xvi) जहॉ तक सम्भव हो गेटमैन मनुष्यों अथवा जानवरों के अवैध आवागमन पर रोक लगायेगा।

(4). <u>ट्रेन के असामान्य स्थिति में किया जाने वाला कार्य</u> :–

यदि गेट मैन गुजरने वाली ट्रेन में कोई असामान्य स्थिति देखता है तो वह निम्नलिखित कार्य करेगा :–

(i). वह तत्काल ही ड्राइवर/गार्ड को दिन में लाल झण्ड़ी तथा रात में लाल बत्ती दिखाकर सचेत करेगा।

(ii) साथ ही साथ ड्राइवर/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिए लगातार सीटी बजायेगा, चिल्लायेगा, असामान्य अभिनय करेगा तथा ब्रेकवान पर पत्थर फेंकेगा अथवा कोई अन्य साधन अपनायेगा।

(iii) यदि ड्राइवर/गार्ड उपरोक्त कार्यो के उपरान्त भी ध्यान नहीं देता है तो वह स्टेशन मास्टर/स्विच मैन/केबिन यदि टेलीफोन से सम्बद्व है को तदनुसार कार्यवाही करने हेतु प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुए सूचित करेगा।

(iv). किसी ट्रेन के पार्ट हो जाने की दशा में गेटमैन स्टाप हैण्ड सिगनल नही दिखायेगा बल्कि वह ट्रेन पार्टिंग के लिये निर्धारित संकेत करे।

(v). वह ड्राइवर/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास लगातार सीटी बजाकर चिल्लाकर असामान्य अभिनय करते हुये दोनो हाथो को ऊपर उठाकर तुरन्त दोनो हाथो को अलग करके पुनः दोनो हाथों को सटाते हुये पुनः हाथो को बिल्कुल नीचे करते हुए करेगा।

(vi). ऐसा करने से यदि ट्रेन नही रुकती है तो गेटमैन तुरन्त यदि टेलीफोन पर स्टेशन मास्टर को उचित कार्यवाही करने हेतु प्राइवेट नम्बर के आदान प्रदान द्वारा इसकी सूचना देगा।

क्रमशः पृष्ठ 11 पर

(5). <u>आपात कालीन स्थिति में समपार फाटक पर की जाने वाली कार्यवाही</u> :–

(i). समपार फाटक पर कोई अवरोध आ जाने पर वह लाइन पर दोनों तरफ दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लालबत्ती लगायेगा ।

(ii). इसके उपरान्त यदि गेटमैन अवरोध हटाने में सक्षम नहीं है तो वह स्टेशन मास्टर को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुये गेट की खराबी/अवरोध के बारे में तत्काल सूचित करेगा।

(iii). यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी स्टेशन मास्टर कोई प्रत्युत्तर नहीं देते है तो गेट मैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के बाद पुनः टेलीफोन से सूचित करेगा।

(6) <u>गेटमैन गेट की संरक्षा (बचाव) निम्नलिखित अनुसार करेगा</u> :

(अ) <u>इकहरी लाइन खण्ड़ पर</u>

(i) गेटमैन दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लालबत्ती 5 मीटर की दूर निर्धारित पोस्ट पर सर्वप्रथम उस तरफ लगा देगा जिधर से गाड़ी आने की सम्भावना है।

(ii) इसके पश्चात् उसी तरह दिन में दूसरा लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती लाइन की दूसरी ओर अवरोध से 5 मीटर की दूरी पर लगायेगा।

(iii) गेंटमैन तब पटाखा व दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल हाथ बत्ती के साथ गेट को संरक्षित करने के लिये आगेबढ़ेगा।

(iv) गेट मैन दिन में लाल झण्ड़ी दिखाते हुये तथा रात्रि में लाल हाथ बत्ती दिखाते हुये लाइन की तरफ बढ़ेगा जिस पर पहले ट्रेन आने की सम्भावना है । 600 मीटर पर एक पटाखा लगायेगा इसके बाद वह आगे बढ़कर समपार फाटक से 1200 मीटर की दूरी पर तीन पटाखा 10–10 मीटर की दूरी पर लगायेगा।

इस प्रकार लाइन को सुरक्षित करके के पश्चात वह गेट पर वापस लौटते हुये पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर लगाये गये पटाखे को उठा लेगा।

(v) तदोपरान्त वह दूसरी लाइन के तरफ दिन में लाल झण्डी दिखाते हुये तथा रात्रि में लाल हाथ बत्ती दिखाते हुये उसी तरह पटाखा क्रम सं0 (iv) में वर्णित निर्देश के

अनुसार लगायेगा तथा अवरोध के स्थान पर लौटते हुये मध्य में लगे हुये पटाखे को उठा लेगा।

(vi) गेट पर लौटने के उपरान्त गेट मैन अवरोध हटाने का प्रयास एवं आती हुयी ट्रेन के ड्राइवर को संचेत करेगा।

(vii) उस अवस्था में जब गेटमैन रास्ते में ही है और निर्दिष्ट स्थानों पर जंहा पटाखे लगाये जाते है, पहुंचने के पूर्व ही वह ट्रेन को आते देखता है या ट्रेन की आवाज सुनाई पड़ती है तो वह जहां तक पहुंच सकता है उसी स्थान पर पटाखा लगा देगा।

(viii) उसके उपरान्त गेट मैन आने वाली ट्रेन को दिन में लाल झण्ड़ी तथा रात्रि में लाल हाथ बत्ती दिखाकर ट्रेन को रोकेगा।

क्रमशः पृष्ठ 12 पर

(ब) <u>गेटमैन द्वारा किये जाने वाली अन्य कार्यवाही</u> :–

(i) यदि समपार फाटक किसी वाहन द्वारा तोड़ दिया जाता है और वाहन ट्रैक को बाधित कर रहा है या बैरियर या गेट का अन्य कोई भाग ट्रेक को बाधित कर रहा है, या गेट पर अन्य कोई अवरोध है तो गेट मैन तुरन्त कार्यवाही करेगा ।

(ii) गेटमैन सड़क वाहन का विवरण लिखेगा जैसे–वाहन संख्या, ड्राइवर का नाम, मालिक का नाम और स्टेशन मास्टर अथवा रेल पथ निरीक्षक को किसी संदेश वाहक या अन्य उपलब्ध संसाधनों के द्वारा सूचित करेगा।

(iii) आउट आफ कोर्स रुकने वाली गाड़ियों की सूचना कार्यरत स्टेशन मास्टर से प्राप्त होने तथा स्टेशन पर रुकने वाली गाड़ियों की दशा में गेटमैन टेल लैम्प/टेल बोर्ड के साथ पास होना और फाउलिंग मार्क साफ होना सुनिश्चित होने के बाद गाड़ी के पूर्ण आगमन की पुष्टि स्वरुप स्टेशन मास्टर को सहायक नियम 4.17(vii) के अनुसार प्राइवेट नम्बर देगा।

(7). <u>25000 वोल्ट विद्युतीकृत रेलवे लाइन के समपार फाटक पर कार्य करते समय ली जाने वाली विशेष सावधानियाँः–</u>

(i) 25000 वोल्ट पर चार्ज ओ.एच.ई. की तारों से हमेशा 2 मीटर दूर रहें।

(ii) ओ.एच.ई. की तारों की तरफ पानी की धार न छोड़ें।

(iii) यह सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति ओ.एच.ई. धातु की छड़ ऊपर सीधी खड़ी करके या कंधें पर रख कर रेलवे ट्रैक या फाटक पार न करे।

(iv) ओ.एच.ई. के तारों के समानान्तर 200 मीटर या इससे अधिक दूरी तक धातु की तारों को न खींचें अथवा दौड़ायें।

(v) ओ.एच.ई. की तारों से चिपके किसी भी व्यक्ति को न छुऐं जब तक कि तारों की सप्लाई बंद न कर दी जाए।

(vi) वर्षा ऋतु में धातु की छड़ वाली छतरी ऊपर रखते हुए ट्रैक पार न करें और दूसरों को भी ऐसा करने से मना करें।

(vii) रेलवे फाटक के पास यदि कोई असाधारण घटना दिखाई पड़ती है तोः–

7. गेट को तुरन्त बंद करें।

8. स्टेशन मास्टर को तुरन्त सूचित करें जैसे–
(क) ओ.एच.ई. की तारो से आग लगने पर।
(ख) तारों का टूटना एवं तारों से चिन्गारियों का निकलना।
(ग) इंजन के पेंटो मे खराबी।
(घ) किसी व्यक्ति के तारों से चिपकने पर।
(ङ) तारों पर पेड़ का गिरना।
(च) टूटे या खुले बांड इत्यादि।

12. उपर्युक्त किसी भी घटना में से किसी भी हालत मे टूटी तारों एवं बांड को न छुऐं।

क्रमशः पृष्ठ 13 पर

13. ओ.एच.ई. के तार टूटने की स्थिति में यातायात की दिशा मे सावधानीपूर्वक जाते हुए, तारों से 2 मी. की उचित दूरी बनाते हुए, सुरक्षा के नियमानुसार 600 मी. एवं 1200 मी. पर बैनर–फ्लैग एवं पटाखें लगायें।

14. दोहरी लाइन खण्ड में यदि दोनो लाइनों पर ओ.एच.ई के तारों के साथ कोई घटना घटित होती है जैसे कि दोनो तारों पर अप एवं डाउन लाइन मे पेड़ के गिर जाने पर तो दूसरे ट्रैक पर भी जाकर उपरोक्त के अनुसार ट्रैक को सुरक्षित करें।

(viii) हाईट गेज के टूटने पर तुरन्त गेट को बंद कर दें एवं इसकी सूचना स्टेशन मास्टर को दें, साथ मे आगे के आदेश के लिए टेलीफोन लाईन पर उपलब्ध रहें।

(ix) विद्युत आघात लगे व्यक्ति को तुरन्त कृत्रिम श्वास दें एवं स्टेशन मास्टर को तुरन्त सूचित करें।

(x) मालगाड़ी, यात्री गाड़ी या इंजन के ऊपर न चढ़ें। यदि यात्री चढ़े हैं तो उसे तुरन्त उतारने की कोशिश करें अथवा स्टेशन मास्टर को सूचित करें।

(xi) यदि किसी मालगाड़ी के दरवाजे अथवा टैंकर के ढक्कन खुले हों तों तुरन्त स्टेशन मास्टर को सुचित करें।

(xii) किसी पशु को झटका लगने एवं मरने पर इसकी सूचना तुरन्त स्टेशन मास्टर को दें साथ मे आगे के आदेश के लिए टेलीफोन लाईन पर उपलब्ध रहें।

(xiii) मास्ट(खम्भों) के ऊपर न चढ़े।

(xiv) जिस मास्ट(खम्भों) से अर्थ पत्ती खुली हो उस मास्ट को न छुऐं तथा उससे 2 मीटर दूर रहें।

———————————

परिशिष्ट 'ए'

भाग – 4

पीपीगंज तथा कैम्पियरगंज स्टेशनो के मध्य स्थित ''सी'' श्रेणी के इन्जी0 समपार फाटक सं0 19 के संचालन हेतु अनुदेश

1. **विवरण**

1.5 **सामान्य** :–

1	समपार फाटक सं0	**19 ''सी''**
2	इंजीनियरिंग / यातायात फाटक	**इन्जीनियरिंग**
3	किसके अधीन स्टेशन अधी0 / रेलपथ निरीक्षक	**सेक्शन इन्जी0 / रेलपथ / आनन्दनगर**
4	किलोमीटर पर स्थित	**27 / 5–6**
5	स्टेशन पर	**पीपीगंज**
6	स्टेशनों के मध्य	**पीपीगंज – कैम्पियरगंज**
7	बी0जी0 / एम0जी0 / एन0जी0	**बी0जी0**
8	इकहरी लाइन / दोहरी / मिश्रित लाइन	**इकहरी लाइन**
9	सामान्य स्थिति	**सड़क यातायात के लिये बन्द**
10	इण्टरलाक्ड / नान–इण्टरलाक्ड	**नान–इण्टरलाक्ड**
11	इण्टरलाकिंग का प्रकार	**–**
12	गेट सिगनलों का प्रावधान का कि0मी0	
	अप दिशा–	**–**
	डाउन दिशा–	**–**
13	संकेतन व्यवस्था	**–**
14	संचार साधन टेलीफोन / घण्टी इत्यादि	**टेलीफोन**
15	समपार फाटक की चौड़ाई	**7.50 मीटर**
16	सड़क का प्रकार(एन0एच0 / एस0एच0 / अन्य)	**अन्य**
17	सड़क का नाम	**महावनखोर मेतवर बाजार**
18	पक्का / कच्चा	**पक्का**
19	पहुँच मार्ग	**पक्का**
20	सड़क की चौड़ाई	**7.50 मीटर**
21	सड़क की क्रासिंग कोण (इस्क्यू गेट के लिये)	**90°**
	पूर्व / उत्तर की तरफ	**90°**
	पश्चिम / दक्षिण की तरफ	**90°**
22	सड़क की ढाल यदि कोई हो	**1:20**
	पूर्व / उत्तर की तरफ	**1:20**
	पश्चिम / दक्षिण की तरफ	**1:20**
23	सड़क की सीधाई (सीधा / गोलाई)	**सीधा**
	पूर्व / उत्तर की तरफ	**सीधा**
	पश्चिम / दक्षिण की तरफ	**गोलाई**
24	हाईट गेज का प्रावधान	**है**
25	बैरियर का प्रकार	**लिफ्टिंग बैरियर**
26	चेक रेलो की लम्बाई	**9.50 मीटर**

SWR/Optg. शुद्धि पर्ची सं0 2 दि0 05.02.21 पीपीगंज

क्रमश : पृष्ठ 2 पर

27	समपार के मध्य सड़क की सतह	हैक्सागोनल ब्लाक
28	रम्बल स्ट्रिप/गति अवरोध की लम्बाई	उपलब्ध
29	रोड साइन	उपलब्ध
30	गति अवरोधक बोर्ड	उपलब्ध
31	टी0वी0यू0	11644 दिसम्बर/2019
32	अगली गणना की तिथि	दिसम्बर/2022
33	पटाखा सिगनल लगाने का निर्दिष्ट स्थान	उपलब्ध
34	गेटमैनों की संख्या	02
35	निकटतम रेलवे चिकित्सा सहायता केन्द्र	आनन्दनगर
36	निकटतम निजी चिकित्सा सहायता की उपलब्धता यदि कोई हो।	कैम्पियरगंज
37	उपलब्ध उपकरणों की सूची हॉ/नही	उपलब्ध

उपमुसिदूइं
रे.वि./लखनऊ

मंसिदूइं
पूर्वोत्तर रेलवे/लखनऊ

वमंपरिप्र/सा0
पूर्वोत्तर रेलवे/लखनऊ

1.6 उपकरण :–

कम सं0	विवरण	मात्रा
1	ट्राई कलर टार्च / फ्लैशिंग टेल लैम्प	03
2	हरी हाथ झण्डी	01 (डण्डे में लगा हुआ)
3	लाल हाथ झण्डी	03 (डण्डे में लगा हुआ)
4	बैनर फ्लैग लाल	03
5	लाल बैनर फ्लैग लगाने हेतु पोस्ट	02
6	तालों के साथ अतिरिक्त चेन(जंजीर)	02 अदद 'स्टाप चिन्ह' के साथ
7	पटाखा सिगनल	10
8	गेट लैम्प	02
9	टामी बार	01
10	मोर्टार पैन (तसला)	01
11	फावड़ा / बेल्चा	01
12	दुरमुट	01 (पक्की रोड सतह के लिये आवश्यक नही)
13	पिक एक्स	01 (पक्की रोड सतह के लिये आवश्यक नही)
14	टिन केस झण्डी के लिये	01
15	कैन मिटटी के तेल हेतु	01
16	बाल्टी / पानी पीने का बर्तन	01
17	टिन केस मस्टर शीट के लिये	01
18	चश्मों का अतिरिक्त सेट जो चश्मा लगाते है (दृष्टि वाला)	01
19	गेट पर अवरोध की दशा में समपार की संरक्षा हेतु प्रदर्शित डायग्राम	01
20	टोकरी	01
21	सीटी	01
22	दीवार घड़ी	01
23	छोटी चेन ताला चाभीयुक्त	02

कमशः पृष्ठ 3 पर

1.7 गेट लाज पर रखे जाने वाले अभिलेख :–

20. गेट का कार्यकारी अनुदेश हिन्दी में।
21. गेटमैन नियम पुस्तिका हिन्दी भाषा में।
22. पुस्तकों एवं उपकरणों की सूची।
23. ड्यूटी रोस्टर।
24. गेटमैन का कार्य करने का प्रमाण–पत्र।
25. गेटमैन का बायोडाटा, नेत्र जॉच, प्रारम्भिक पुनश्चर्या, संरक्षा कैम्प इत्यादि।
26. दुर्घटना रजिस्टर।
27. समपार फाटक पर अन्तिम गणना का अभिलेख।
28. आश्वासन व निरीक्षण पुस्तिका।
29. जन परिवाद पुस्तिका।

1.4. समपार फाटक के संचालन हेतु विशेष अनुदेश :–

(क) संचालन पद्वति :–

इस समपार फाटक को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द करके लाक करने के लिये एक जोड़ा लिफ्टिंग बैरियरों की व्यवस्था है। लिफ्टिंग बैरियरों को चलाने के लिए एक विन्च की व्यवस्था है जिसमें में एक **''ई''** प्रकार का ताला लगा है इस ताले में **''पी–1''** चाभी लगी है। लिफ्टिंग बैरियरों के बूमों को लाक करने के लिये एक बूम लाकिंग लीवर की व्यवस्था है जिसमे दो ई प्रकार के ताले लगे है। एक ताले

मे **'पी'** चाभी लगी है तथा दूसरे मे **'पी–1'** चाभी लगाने के लिये जगह है ।

इस समपार फाटक को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द करके लाक करने के लिये कार्यरत गेटमैन विंच को तब तक संचालित करेगा जब तक कि बैरियर नीचे आकर समतल स्थिति में बूम पोस्ट पर स्थिर न हो जाये। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर के बीच में कोई सड़क वाहन न फॅस जाये। विन्च को इस स्थिति में लाक करने के लिये इसके **'ई'** प्रकार के ताले से चाभी **'पी–1'** को निकाल लेगा। बूमों को लाक करने के लिये एक बूम लाकिंग लीवर की व्यवस्था है जिसमें दो ई प्रकार के ताले लगे हैं जिसके एक ताले में चाभी **'पी'** लगी है तथा दूसरे ताले में चाभी **'पी–1'** लगाने की जगह है। विन्च से निकली चाभी **'पी–1'** को इसके अपने ताले में लगाकर घुमायेगा तथा बूम लाकिंग लीवर को विपरीत दिशा में खींचेगा जिससे बूम ताला बन्द हो जायेंगें तथा रोड सिगनलों में स्थिर पीला संकेत के स्थान पर स्थिर लाल संकेत जलने लगेगा तब चाभी **'पी'** को निकालकर अपनी निजी अभिरक्षा में रखेगा।

जब गेटमैन समपार फाटक को सड़क यातायात के लिये खोलेगा तो गेटमैन विन्च को तब तक संचालित करेगा जबतक कि लिफ्टिंग बैरियरों के बूम ऊपर उठकर लगभग उर्ध्वाधर न हो जाये।

(ख) **प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान** :–

(i) **सड़क यातायात पास करना** :–

सड़क यातायात को पास करने के लिये कार्यरत गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि उसके समपार से गाड़ी पूर्णरूप से पास हो गयी है तत्पश्चात् कार्यरत स्टेशन मास्टर को अपना प्राइवेट नम्बर देगा। इसके पश्चात् कार्यरत स्टेशन मास्टर, कार्यरत गेटमैन को अपना प्राइवेट नम्बर देकर समपार को सड़क यातायात के लिये खोलने हेतु अनुमति देगा तथा इसकी प्रविष्टि कार्यरत स्टेशन मास्टर **लाल स्याही** से टी0एस0आर0, प्राइवेट नम्बर पुस्तिका एवं गेट लाग रजिस्टर में करेगा।

क्रमशः पृष्ठ 4 पर

कार्यरत स्टेशन मास्टर/गेटमैन निम्नलिखित प्रोफार्मा पर अपनी–अपनी पंजिका में सम्बन्धित प्रविष्टियॉ अंकित करेंगें। तत्पश्चात् गेटमैन ट्रैक के दोनो तरफ लाल बैनर फ्लैग/लाल बत्ती लगाकर निम्नलिखित विधि से समपार फाटक को सड़क यातायात के लिये खोलेगा। सड़क यातायात को निकालने के बाद समपार फाटक को सड़क यातायात के विरुद्ध पुनः बन्द व लाक करके इसकी पुष्टि हेतु कार्यरत स्टेशन मास्टर से प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करेगा :–

तिथि	गेटमैन द्वारा गेट खोलने की अनुमति मॉगने का समय व प्राइवेट नम्बर	स्टेशन मास्टर द्वारा गेट खोलने की अनुमति देने का समय	स्टेशन मास्टर का प्राइवेट नम्बर	गेटमैन द्वारा पुनः गेट बन्द व लाक करने का समय	गेटमैन का गेट बन्द व लाक होने का प्राइवेट नम्बर	स्टेशन मास्टर का गेट बन्द होने का प्राइवेट नम्बर	स्टेशन मास्टर/ गेटमैन का हस्ताक्षर	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(ii) **गाड़ियों का पास करना** :–

कार्यरत स्टेशन मास्टर **डाउन** गाड़ी का लाइन क्लियर देने से पहले अथवा **अप** गाड़ियों का प्रस्थान प्राधिकार देने से पहले टेलीफोन द्वारा कार्यरत गेटमैन को गाड़ी का नम्बर व विवरण की सूचना तथा गेट से पास होने का सम्भावित समय अपने प्राइवेट नम्बर के साथ देगा। कार्यरत गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर से सूचना प्राप्त होने पर समपार फाटक को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द व लाक होना व पैड लाक की चाभी का अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में होना सुनिश्चित करके कार्यरत स्टेशन मास्टर को अपना प्राइवेट नम्बर देगा तथा स्वयं गेट लाज के

बगल में निर्धारित विधि से दिन में सिमटी हुई हाथ सिगनल झण्डियों तथा रात में रेलपथ की ओर सफेद रोशनी दिखाती हुई हाथ सिगनल बत्ती लेकर खड़ा होगा और समपार से गाड़ी का सुरक्षित गुजरना देखेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर/गेटमैन निम्नलिखित प्रारूप में एक लाग रजिस्टर का आवश्यकतानुसार अनुरक्षण करेगा :–

तिथि	गाड़ी का नम्बर एवं विवरण	गेट से पास होने का सम्भावित समय	सूचना मिलने का समय	कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा दिया गया प्राइवेट नम्बर	कार्यरत गेटमैन द्वारा गेट बन्द व लाक होने का दिया गया प्राइवेट नम्बर	कार्यरत गेटमैन द्वारा प्राइवेट नम्बर देने का समय	गाड़ी पास होने का समय	कार्यरत स्टेशन मास्टर/गेटमैन का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(ग) <u>टेलीफोन संचार की विफलता</u> :–

जब कभी टेलीफोन संचार माध्यम विफल हो जाये अथवा दो या तीन प्रयास के बाद भी गेटमैन की तरफ से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त न हो तो कार्यरत स्टेशन मास्टर निम्नलिखित कार्यवाही करेगा :–

(i) कार्यरत स्टेशन मास्टर प्रस्थान करने वाली सभी **अप** गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा।

क्रमशः पृष्ठ 5 पर

(ii) जारी किये गये सतर्कता आदेश में ड्राइवर को समपार फाटक की तरफ लगातार सीटी बजाते हुये सावधानीपूर्वक आगे बढ़ने हेतु निर्देश दिया जायेगा।

(iii) ड्राइवर को कार्यरत गेटमैन द्वारा हाथ सिगनल संकेत मिलने पर समपार फाटक को सतर्कतापूर्वक पास करने का निर्देश दिया जायेगा। यदि हाथ सिगनल संकेत नही दिखाई देता है तो ड्राइवर गाड़ी को समपार के पहले रोककर अपने सहायक ड्राइवर को समपार की स्थिति जानने के लिये भेजेगा। यदि समपार फाटक बन्द है तो सहायक ड्राइवर 'सभी ठीक है' सिगनल देगा और यदि समपार फाटक बन्द नही है तो सहायक ड्राइवर समपार फाटक को बन्द करके 'सभी ठीक है' सिगनल देगा। सहायक ड्राइवर की अनुपस्थिति में ड्राइवर, गार्ड की सहायता लेगा।

(iv) गाड़ी आगमन के मामले में कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी भेजने वाले स्टेशन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुये सूचित करेगा कि गेट का टेलीफोन खराब है।

(v) तब स्टेशन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करने के उपरान्त ही गाड़ी भेजेगा।

(vi) कार्यरत स्टेशन मास्टर कार्यरत गेटमैन को भी गैंगमैन/पेट्रोलमैन या प्रथम गाड़ी के ड्राइवर द्वारा टेलीफोन खराब होने की सूचना देगा।

(vii) कार्यरत स्टेशन मास्टर संकेत एवं दूरसंचार विभाग का कर्मचारी जो अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी है अतिशीघ्र टेलीफोन ठीक करने के लिये सूचना देगा।

(viii) सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब संकेत एवं दूरसंचार विभाग का कर्मचारी टेलीफोन ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

(घ) <u>लिफ्टिंग बैरियर की विफलता</u> :–

(i) जब लिफ्टिंग बैरियर के खराब हो जाने के कारण गेट को बन्द न किया जा सके तो गेटमैन तुरन्त प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुये कार्यरत स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर रेलपथ को बाधित न करता हो।

(ii) गेटमैन को निर्धारित पोस्ट पर सर्वप्रथम जिस तरफ से ट्रेन की आने की सम्भावना हो, दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात में लाल बत्ती लगायेगा। तदुपरान्त समपार के दूसरी तरफ लगायेगा।

(iii) गेटमैन समपार पर सड़क यातायात को रोकने के लिये समपार को सुरक्षा चेन तथा तालो द्वारा बन्द करेगा।

(iv) समपार फाटक को सड़क यातायात के लिये सुरक्षित करने के उपरान्त गेटमैन दिन में हरी हाथ झण्डी संकेत तथा रात्रि में हरी बत्ती आने वाली ट्रेन के ड्राइवर को दिखायेगा।

(v) कार्यरत स्टेशन मास्टर अपने स्टेशन से इस समपार की ओर जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुये सतर्कतापूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।

क्रमशः पृष्ठ 6 पर

(vi) कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी भेजने वाले स्टेशन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुये सूचित करेगा कि वह अपनी तरफ से ब्लाक खण्ड में ट्रेन भेजने के पूर्व ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुये सतर्कतापूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।

(vii) कार्यरत स्टेशन मास्टर उत्तरदायी अनुरक्षण कर्मचारी को लिफ्टिंग बैरियर के शीघ्र मरम्मत हेतु सूचित करेगा।

(viii) सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब अनुरक्षण कर्मचारी मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो दे दे।

(ड.) **<u>समपार फाटक पर अवरोध</u>** :–

(i) यदि कोई सड़क वाहन गेट को तोड़कर रेलपथ को बाधित कर रहा है या लिफ्टिंग बैरियर या गेट का अन्य भाग रेलपथ को बाधित कर रहा है या अन्य कोई बाधा गेट पर है, तो गेटमैन तुरन्त समपार के दोनो छोरों के ट्रैक पर आवश्यकता हेतु लगाये गये निर्धारित पोस्ट पर दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती लगायेगा।

(ii) इसके तुरन्त बाद ही गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुये अवरोध के बारे में सूचित करेगा।

(iii) कार्यरत गेटमैन, कार्यरत स्टेशन मास्टर को आगमन/प्रस्थान सिगनल यदि किसी ट्रेन के लिये 'आफ' किया गया हो तो उसको '**आन**' करने के लिये सूचित करेगा।

(iv) यदि दो या तीन प्रयासों के पश्चात् भी कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा प्रत्युत्तर नही प्राप्त होता है तो गेटमैन सर्वप्रथम गेट को संरक्षित करने के उपरान्त टेलीफोन द्वारा सूचित करेगा।

(v) गेटमैन पटाखा व दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल बत्ती लेकर तेजी से पहले उस तरफ जायेगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना है तथा आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक पर की जाने वाली कार्यवाही के अनुसार गेट को संरक्षित करेगा।

(vi) इसके पश्चात् गेटमैन गेट के दूसरी तरफ को भी संरक्षित करेगा।

(vii) गेटमैन सड़क वाहन का विवरण, चालक का नाम, वाहन मालिक का नाम नोट कर कार्यरत स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर समपार की ओर तब तक कोई गाड़ी नही चलायेगा जब तक कि गेटमैन सुनिश्चित नही कर लेता है कि सड़क वाहन, लिफ्टिंग बैरियर या अन्य कोई अवरोध रेलपथ को बाधित नही कर रहा है।

(viii) कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी भेजने वाले स्टेशन पर कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुये सूचित करेगा कि वह अपनी तरफ से कोई भी गाड़ी ब्लाक खण्ड में तब तक न भेजे जब तक कि रेलपथ पर से सभी अवरोध हटा न दिये जाये।

(ix) रेलपथ से बाधा हटा दिये जाने के बाद इसकी सूचना गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर के आदान–प्रदान से सूचित करेगा।

(x) तब कार्यरत स्टेशन मास्टर यदि गेट टूटा हो परन्तु गेट पर कोई बाधा न हो सभी ट्रेन के चालकों को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि गेटमैन द्वारा हरा झण्डी/बत्ती संकेत देने पर सावधानीपूर्वक पास करें।

क्रमशः पृष्ठ 7 पर

(xi) गेटमैन समपार को संरक्षा चेनो तथा तालो द्वारा सड़क यातायात के लिये संरक्षित करेगा तथा उसके बाद यदि समपार फाटक पर कोई बाधा नही है तो गेटमैन दिन के समय हरी हाथ झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती गुजरती हुई गाड़ियों को दिखायेगा।

(xii) स्टेशन मास्टर अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी कर्मचारी को लिफ्टिंग बैरियर को अविलम्ब ठीक कराने हेतु सूचित करेगा।

(xiii) समपार फाटक पर सामान्य कार्यप्रणाली उसी समय से प्रारम्भ की जायेगी जब लिफ्टिंग बैरियर को मरम्मत के उपरान्त संयोजन/फिट मेमो प्राप्त हो जाये।

(च) **समपार फाटक के समीप रेल पथ पर अवरोध :–**

यदि किसी रेल का टूटना, रेलपथ किसी पेड़ इत्यादि के गिरने के कारण अवरुद्ध होना, सड़क वाहन द्वारा अवरुद्ध अथवा गाड़ी का अवपथन होना जो गेटमैन को दिखाई दे रहा है, तो गेटमैन और स्टेशन मास्टर 'समपार फाटक पर अवरोध' में ऊपर वर्णित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही करेगा। यदि अवरोध समपार फाटक को बाधित कर रहा है तो गेटमैन को सड़क यातायात के लिये फाटक को उस समय तक बन्द रखेगा जब तक रेलपथ से अवरोध हटा न लिया जाये।

1.6 **गेटमैन के कर्तव्य** :–

(1) **सावधानी** :–

गेटमैन सदैव किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिये की जाने वाली त्वरित कार्यवाही के प्रति सावधान रहेगा। समपार फाटक की चाभी गेटमैन के व्यक्तिगत कब्जे में रहेगी।

(2) **ट्रेन के समपार फाटक से गुजरते समय फाटक वाले की स्थिति** :–

ट्रेन के गुजरने की स्थिति में गेटमैन बतायी गयी निम्नलिखित स्थिति में खड़ा रहेगाः–

(i) गेटमैन सतर्कतापूर्वक गेटलाज के सामने आती हुई ट्रेन की तरफ मुँह करके खड़ा रहेगा।

(ii) दिन में गेटमैन दॉये हाथ में लाल झण्डी तथा बॉये हाथ में हरी झण्डी डण्डे में लगी हुई मोड़कर लिये रहेगा।

(iii) रात्रि समय में गेटमैन जलती हुई सफेद हाथ बत्ती लाइन की तरफ दिखाता हुआ खड़ा रहेगा।

(iv) गेटमैन गले में सीटी धागे से बॉधकर लटकाये रहेगा।

(3) <u>गेटमैन की नियमित ड्यूटी</u> :–

(i) गेटमैन जब समपार फाटक सड़क यातायात के लिये खुला हुआ हो तो रेलपथ पर समपार के दोनो तरफ बैनर फ्लैग लगायेगा।

(ii) गेटमैन गेट लैम्प को सूर्यास्त से सूर्योदय तक लगातार जलती हुयी स्थिति में रखना सुनिश्चित करेगा।

(iii) गेटमैन अपनी ड्यूटी निश्चित रूप से ड्यूटी रोस्टर के अनुसार करेगा और जब तक कार्यमुक्त करने हेतु साथी आ न जाये और वह गेट का कार्यभार ग्रहण न कर लें, तब तक गेटमैन गेट छोड़कर नही जायेगा। गेटमैन को यदि आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक से हटना अपरिहार्य हो तो वह गेट छोड़ने से पूर्व गेट को सड़क यातायात के लिये बन्द करके ताला लगायेगा।

क्रमशः पृष्ठ 8 पर

(iv) इन निर्देशों के अतिरिक्त गेटमैन गुजरती हुई ट्रेन को देखता रहेगा और ट्रेन की संरक्षा हेतु कार्य करने के लिये तत्पर रहेगा।

(v) गेटमैन गुजरती हुई सभी ट्रेनों पर पैनी नजर रखेगा जिससे किसी अप्रत्याशित घटना जैसे हाट एक्सिल (गर्म धुरा), लटकती हुई चेन, लटकता हुआ बैटरी बाक्स, किसी वाहन/वैगन/ट्रेन/बैटरी बाक्स में आग लगी हो तथा ब्रेक ब्लाक, ब्रेक बीम, सेफ्टी ब्रेकेट, वैक्यूम सिलेण्डर आदि का लटकना, गिरना जिसके कारण ट्रेन की संरक्षा बाधित हो का पता लगाकर आवश्यक कार्यवाही करेगा।

(vi) गेटमैन गार्ड द्वारा ड्राइवर को वाकी–टाकी अथवा किसी अन्य माध्यम से दिये गये संकेतों को दोहराने के लिये तैयार रहेगा।

(vii) समपार का बैरियर गेट क्षतिग्रस्त अथवा खराब होने की दशा में गेटमैन अतिरिक्त चेन डिस्क एवं तालों का प्रयोग कर सड़क यातायात बन्द करेगा।

(viii) गेटमैन अपने गेट की किसी भी खराबी के लिये यथाशीघ्र समीप वाले स्टेशन मास्टर, गैंग मेट अथवा रेलपथ निरीक्षक को सूचित करेगा।

(ix) जब गेटमैन कार्य पर रहेगा तो वह निर्धारित वर्दी एवं बैज धारण करेगा।

(x) गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि डयूटी के समय उसके पास दक्षता प्रमाण–पत्र उपलब्ध है।

(xi) गेटमैन, गेट संचालन नियमों के अनुरूप कार्य करेगा तथा नियमों के बारे में पूर्णरूपेण जानकारी रखेगा।

(xii) गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि उसके गेट पर आपूर्ति किये गये सभी उपकरण अच्छी स्थिति में है एवं तत्काल प्रयोग हेतु तैयार है।

(xiii) गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि समपार पर चेक रेल गैप साफ है।

(xiv) गेटमैन समपार फाटक की सड़क को (कच्ची सड़क) पानी छिड़ककर एवं दुरमुट से कूटकर ठीक रखेगा।

(xv) गेटमैन सड़क प्रयोगकर्ताओं के लिये गेट को बन्द रखने की स्थिति से उत्पन्न असुविधाओं के प्रति सतर्क रहेगा तथा ध्यान देगा कि समपार फाटक कम से कम समय के लिये बन्द हो।

(xvi) विद्युतीय रेल प्रखण्ड पर गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि सड़क वाहन/पशु जो उस सड़क से गुजरते हैं, समपार के दोनो तरफ लगाये गये **"हाइट लोडिंग गेज"** के नीचे से गुजरे।

(xvii) जहॉ तक सम्भव हो गेटमैन मनुष्यों अथवा जानवरों के अवैध आवागमन पर रोक लगायेगा।

(4) **ट्रेन की असामान्य स्थिति में किया जाने वाला कार्य** :–

यदि गेटमैन किसी पास हो रही गाड़ी में कोई असामान्य बात देखता है तो वह निम्न कार्य करेगा :–

(i) वह तत्काल ही ड्राइवर/गार्ड को दिन में लाल झण्डी तथा रात में लाल बत्ती दिखाकर सचेत करेगा।

(ii) साथ ही साथ ड्राइवर/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिये लगातार सीटी बजायेगा, चिल्लायेगा, असामान्य हाव–भाव प्रदर्शित करेगा तथा ब्रेकवान पर पत्थर फेकेंगा अथवा कोई अन्य साधन अपनायेगा।

(iii) यदि ड्राइवर/गार्ड उपरोक्त कार्यो के उपरान्त भी ध्यान नही देते है तो वह स्टेशन मास्टर को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुये तद्नुसार कार्यवाही करने हेतु सूचित करेगा।

(iv) किसी ट्रेन के विभक्त (पार्टिंग) हो जाने की दशा में गेटमैन रोक हैण्ड सिगनल (लाल) नही दिखायेगा बल्कि वह दिन में हरी झण्डी तथा रात में सफेद बत्ती ऊपर–नीचे करके निर्धारित संकेत करेगा।

क्रमशः पृष्ठ 9 पर

(v) वह ड्राइवर/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास लगातार सीटी बजाकर, चिल्लाकर, असामान्य हाव–भाव प्रदर्शित करते हुये दोनो हाथों को ऊपर उठाकर तुरन्त दोनो हाथों को अलग करके पुनः दोनो हाथों को सटाते हुये पुनः हाथों को बिल्कुल नीचे करेगा।

(vi) ऐसा करने से यदि ट्रेन नही रुकती है तो गेटमैन तुरन्त टेलीफोन पर स्टेशन मास्टर को उचित कार्यवाही करने हेतु प्राइवेट नम्बर के आदान–प्रदान के द्वारा इसकी सूचना देगा।

(5) **आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक पर की जाने वाली कार्यवाही** :–

(i) समपार फाटक पर कोई अवरोध आ जाने पर वह लाइन पर दोनो तरफ दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लालबत्ती लगायेगा।

(ii) इसके उपरान्त यदि गेटमैन अवरोध हटाने में सक्षम नही है तो वह स्टेशन मास्टर को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुये गेट की खराबी/अवरोध के बारे में तत्काल सूचित करेगा।

(iii) यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी स्टेशन मास्टर कोई प्रत्युत्तर नही देते है तो गेटमैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के बाद पुनः टेलीफोन से सूचित करेगा।

(6) **गेटमैन गेट की संरक्षा (बचाव) निम्नलिखित अनुसार करेगा** :–

(अ) **इकहरी लाइन पर** :–

(i) गेटमैन दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लालबत्ती 5 मीटर दूर निर्धारित पोस्ट पर सर्वप्रथम उस तरफ लगा देगा जिधर से गाड़ी आने की सम्भावना है।

(ii) इसके पश्चात् उसी तरह दिन में दूसरा लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती लाइन की दूसरी ओर अवरोध से 5 मीटर की दूरी पर लगायेगा।

(iii) गेटमैन तब पटाखा एवं दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल हाथ बत्ती के साथ गेट को संरक्षित करने के लिये आगे बढ़ेगा।

(iv) गेटमैन दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल बत्ती दिखाते हुये पहले लाइन पर उस दिशा में बढ़ेगा जिधर से ट्रेन के आने की सम्भावना है 600 मीटर पर एक पटाखा लगा देगा उसके पश्चात् वह समपार से 1200 मीटर की दूरी पर तीन पटाखे 10–10 मीटर की दूरी पर लगायेगा। इस प्रकार लाइन को संरक्षित करने के उपरान्त वह समपार पर लौटते हुये पूर्व में 600 मीटर पर लगाये गये पटाखा उठा लेगा।

(v) इसके बाद वह लाल झण्डी दिखाते हुये उसी प्रकार जैसा ऊपर क्रमांक (iv) में वर्णित है लाइन की दूसरी तरफ पटाखा लगायेगा तथा समपार की तरफ लौटते हुये बीच का पटाखा उठा लेगा।

(vi) समपार गेट पर लौटने के पश्चात् गेटमैन अवरोध को हटाने तथा आने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सचेत करने का प्रयास करेगा।

(vii) उन परिस्थितियों में जब गेटमैन रास्ते में ही है और निर्दिष्ट स्थानों पर जहॉ पटाखे लगाये जाते है, पहुँचने के पूर्व ही वह ट्रेन को आते देखता है अथवा ट्रेन की आवाज सुनाई पड़ती है तो वह जहॉ तक पहुँच सकता है उसी स्थान पर पटाखा लगा देगा।

(viii) उसके उपरान्त गेटमैन आने वाली ट्रेन को दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल हाथ बत्ती दिखाकर रोकेगा।

क्रमशः पृष्ठ 10 पर

(ब) **गेटमैन द्वारा किये जाने वाली अन्य कार्यवाही** :–

(i) यदि समपार गेट किसी वाहन द्वारा तोड़ दिया जाता है और वाहन ट्रैक को बाधित कर रहा है, या बैरियर या गेट का अन्य कोई भाग ट्रैक को बाधित कर रहा है या गेट पर अन्य कोई अवरोध है तो गेटमैन तुरन्त कार्यवाही करेगा।

(ii) गेटमैन सड़क यातायात का विवरण लिखेगा जैसे – वाहन संख्या, ड्राइवर का नाम, मालिक का नाम और स्टेशन मास्टर अथवा रेलपथ निरीक्षक को किसी संदेशवाहक या अन्य उपलब्ध संसाधनों के द्वारा सूचित करेगा।

(iii) गाड़ी के आवागमन हेतु समपार फाटक को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द व लाक करने के पश्चात किसी भी अपरिहार्य परिस्थिति में बिना गाड़ी पास हुये गेटमैन समपार को सड़क यातायात हेतु तब तक नहीं खोलेगा जब तक कि कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा समपार फाटक को सड़क यातायात के लिए खोलने हेतु प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान कर उसे अधिकृत न कर दिया गया हो।

(7). **25000 वोल्ट विद्युतीकृत रेलवे लाइन के समपार फाटक पर कार्य करते समय ली जाने वाली विशेष सावधानियाँ:–**

(i) 25000 वोल्ट पर चार्ज ओ.एच.ई. की तारों से हमेशा 2 मीटर दूर रहें।

(ii) ओ.एच.ई. की तारों की तरफ पानी की धार न छोड़ें।

(iii) यह सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति ओ.एच.ई. धातु की छड़ ऊपर सीधी खड़ी करके या कंधें पर रख कर रेलवे ट्रैक या फाटक पार न करे।

(iv) ओ.एच.ई. के तारों के समानान्तर 200 मीटर या इससे अधिक दूरी तक धातु की तारों को न खींचें अथवा दौड़ायें।

(v) ओ.एच.ई. की तारों से चिपके किसी भी व्यक्ति को न छुऐं जब तक कि तारों की सप्लाई बंद न कर दी जाए।

(vi) वर्षा ऋतु में धातु की छड़ वाली छतरी ऊपर रखते हुए ट्रैक पार न करें और दूसरों को भी ऐसा करने से मना करें।

(vii) रेलवे फाटक के पास यदि कोई असाधारण घटना दिखाई पड़ती है तोः–

9. गेट को तुरन्त बंद करें।

10. स्टेशन मास्टर को तुरन्त सूचित करें जैसे–

(क) ओ.एच.ई. की तारो से आग लगने पर।

(ख) तारों का टूटना एवं तारों से चिन्गारियों का निकलना।

(ग) इंजन के पेंटो मे खराबी।

(घ) किसी व्यक्ति के तारों से चिपकने पर।

(ङ) तारों पर पेड़ का गिरना।

(च) टूटे या खुले बांड इत्यादि।

15. उपर्युक्त किसी भी घटना में से किसी भी हालत मे टूटी तारों एवं बांड को न छुऐं।

16. ओ.एच.ई. के तार टूटने की स्थिति में यातायात की दिशा मे सावधानीपूर्वक जाते हुए, तारों से 2 मी. की उचित दूरी बनाते हुए, सुरक्षा के नियमानुसार 600 मी. एवं 1200 मी. पर बैनर–फ्लैग एवं पटाखें लगायें।

17. दोहरी लाइन खण्ड में यदि दोनो लाइनों पर ओ.एच.ई के तारों के साथ कोई घटना घटित होती है जैसे कि दोनो तारों पर अप एवं डाउन लाइन मे पेड़ के गिर जाने पर तो दूसरे ट्रैक पर भी जाकर उपरोक्त के अनुसार ट्रैक को सुरक्षित करें।

क्रमशः पृष्ठ 11 पर

(viii) हाईट गेज के टूटने पर तुरन्त गेट को बंद कर दें एवं इसकी सूचना स्टेशन मास्टर को दें, साथ मे आगे के आदेश के लिए टेलीफोन लाईन पर उपलब्ध रहें।

(ix) विद्युत आघात लगे व्यक्ति को तुरन्त कृत्रिम श्वास दें एवं स्टेशन मास्टर को तुरन्त सूचित करें।

(x) मालगाड़ी, यात्री गाड़ी या इंजन के ऊपर न चढ़ें। यदि यात्री चढ़े हैं तो उसे तुरन्त उतारने की कोशिश करें अथवा स्टेशन मास्टर को सूचित करें।

(xi) यदि किसी मालगाड़ी के दरवाजे अथवा टैंकर के ढक्कन खुले हों तों तुरन्त स्टेशन मास्टर को सुचित करें।

(xii) किसी पशु को झटका लगने एवं मरने पर इसकी सूचना तुरन्त स्टेशन मास्टर को दें साथ मे आगे के आदेश के लिए टेलीफोन लाईन पर उपलब्ध रहें।

(xiii) मास्ट(खम्भों) के ऊपर न चढ़े।

(xiv) जिस मास्ट(खम्भों) से अर्थ पत्ती खुली हो उस मास्ट को न छुऐं तथा उससे 2 मीटर दूर रहें।

———————————

परिशिष्ट – सी

टक्कर रोधी उपकरण (रक्षा कवच)

.....कुछ नहीं .....

परिशिष्ट ''डी''

साधारण और सहायक नियमों और प्रशासन द्वारा समय–समय पर अनुदेशों में वर्णित कर्तव्यों के अतिरिक्त नित्यप्रति के परिचालन कार्यों से सम्बन्ध में स्टेशन कर्मचारियों का निम्नलिखित कर्तव्य शामिल होंगे :–

1. **स्टेशन अधीक्षक/स्टेशन मास्टर** :

स्टेशन अधीक्षक/स्टेशन मास्टर स्टेशन का सर्वोपरि पर्यवेक्षकीय प्रभारी है। संचालन एवं कुशलता के उच्च मानक की उपलब्धि एवं निर्वाह करने के लिए सुरक्षित संचालन के लिए सामान्यतया उत्तरदायी है। अतः उनका कर्तव्य है कि व सभी श्रेणियों के कर्मचारी को अपनी उपस्थिति का एहसास करायें। उसके कर्तव्यों में अन्य बातों के साथ–साथ यह भी शामिल है :

1.1 स्टेशन पर कार्यरत सभी कर्मचारियों का सामान्य पर्यवेक्षण।

1.2 यह सुनिश्चित करने के लिए आवधिक जांच करना कि सभी श्रेणी के कर्मचारी अपनी पाली रोस्टर के अनुरूप कार्य कर रहे हैं तथा उनके द्वारा सही व सुरक्षित कार्य पद्धति अपनायी जा रही है।

1.3 यह सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों को आवधिक परीक्षा एवं जांच कराना कि इन से सम्बन्धित कर्मचारियों के सम्बन्ध में सभी नियमों से वे पूर्णतः अवगत है।

1.4 दुर्घटना निवारण एवं संचालन को सही एवं संरक्षित विधि के प्रयोग सम्बन्धी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना।

1.5 यार्ड एवं यार्ड के साधनों का आवधिक निरीक्षण।

1.6 आश्वासन पुस्तिका, दुर्घटना पुस्तिका एवं स्टेशन संचालन नियमावली का रख–रखाव करना।

1.7 रात्रि में स्टेशन कार्यालय और गाड़ी संचालन के प्रयोजनार्थ निर्धारित नियम पुस्तिका, दैनिक गाड़ी सिगनल पुस्तिका, पेपर लाइन क्लियर पुस्तिकाओं, सतर्कता आदेश पुस्तिका टी/409 एवं टी/369(1)या(3बी) इत्यादि का आवधिक निरीक्षण करना।

1.8 सभी अनियमितताओं एवं नियम भंग के मामले का पता लगाना और रिपोर्ट करना।

1.9 सामान्य संचालन में सुधार लाने अथवा संरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए यार्ड में किसी आवश्यक संशोधन सम्बन्धित सुझाव सहित युक्ति भी सुझाना।

1.10 स्टेशन अधीक्षक/स्टेशन मास्टर निम्नलिखित पैरा (2) में स्टेशन मास्टर के लिए वर्णित कर्तव्यों के मदों के लिए भी उत्तरदायी होंगे।

2. **स्टेशन मास्टर** :

स्टेशन मास्टर जब कार्यरत हो तो वह स्टेशन का पूरा इन्चार्ज होगा तथा कार्य प्रणाली के अनुसार गाड़ियों के रिसेप्शन और डिस्पैच मूवमेन्ट के लिए उत्तरदायी होगा। गाड़ी संचालन

से सम्बन्धित सभी कर्मचारियों को उनके आदेशों एवं अनुदेशों के अनुरूप कार्य करना चाहिये। उनके कर्तव्यों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :–

2.1 कार्यमुक्त हो रहे स्टेशन मास्टर से सामान्य एवं असामान्य गाड़ी संचालन के लिए अपेक्षित यार्ड, कांटों, सिगनलों, क्रैंक हैण्डिल निजी संख्या पुस्तकों की स्थिति से आश्वस्त होना एवं यह सुनिश्चित करना कि अपूर्ण या खराब मदों का स्टेशन डायरी में विशेष उल्लेख किया गया है।

2.2 आगमन की अनुमति देना और प्राप्त करना एवं अन्तिम रोक सिगनल को ''आफ'' कर प्रस्थान प्राधिकार देना।

2.3 ब्लाक यंत्रों का संचालन एवं नियंत्रक कन्ट्रोल टेलीफोन पर स्वयं उपस्थित होकर बातचीत करना।

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

2.4 साधा0 एवं सहायक नियमों के अनुरूप सभी गाड़ियों का आगमन/प्रस्थान करना।

2.5 सिगनलों को '**आफ**' स्थिति में करने से पहले लाइन का साफ होना सुनिश्चित करना।

2.6 शंटिंग कार्यवाही का सामान्य पर्यवेक्षण।

2.7 जाने वाली गाड़ियों के लिए चालकों का यथापेक्षित सतर्कता आदेश (टी–409) एवं खराब सिगनलों को पार करने हेतु (टी–369) (1) या 3–बी जारी करना।

2.8 'शिफ्ट वाइज' कर्तव्य के दौरान स्टेशन डायरी का अनुरक्षण ।

2.9 निजी संख्या पुस्तिका, ब्लाक यंत्रों की कुजियों, स्टेशन पैनल एवं क्रैंक हैण्डिल के ताले, एसेम्बली के ताले की कुन्जियो को निजी अभिरक्षा में रखना।

2.10 अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों के कार्यो का पर्यवेक्षण।

2.11 स्टेशन मास्टर के कार्य पर नहीं रहने पर 'आफ आवर्स' के दौरान स्टेशन का सामान्य पर्यवेक्षण।

2.12 किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा आवंटित अन्य कर्तव्यों का पालन करना।

2.13 गाड़ियों के पूर्ण आगमन को सुनिश्चित करना।

2.14 मोटर चालित कांटों को संचालित करना।

टिप्पणी : उपर्युक्त कर्तव्यों के अतिरिक्त स्टेशन मास्टर प्रशासन द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट अन्य कर्तव्यों का पालन करेंगे।

3- **<u>कांटावाला :–</u>**

कॉटावाला, स्टेशन पर गाड़ियों के रिसेप्शन व डिस्पैच तथा शंटिंग के लिए कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा दिये गये आदेशों का पालन करने का उत्तरदायी है। उसे स्टेशन की सुरक्षा एवं त्वरित कार्य के लिए कार्यरत स्टेशन मास्टर के आदेशों का पालन करना हैं। इसके साथ–साथ उसकी ड्यूटी में नीचे लिखें कार्य भी शामिल हैं :–

3.1 पैनल से जो कांटे संचालित नहीं होते उनकी तथा आवश्यकता पड़ने पर पैनल संचालित कांटों की नान सिगनल मूवमेंट में सही सेटिंग सुनिश्चित कर क्लैम्पिंग व पैडलाकिंग करना तथा कार्यरत स्टेशन मास्टर के निर्देशानुसार गार्ड की देख–रेख में स्टेशन पर गाड़ियों की शंटिंग करना।

3.3 आवश्यकतानुसार गाड़ियों को पायलट करना तथा पेपर लाइन क्लियर टिकट और टी–369 (1) या 3–बी को हस्तांतरित करना।

3.4 जैसे और जब कार्यरत स्टेशन मास्टर आदेश दे कुहासा सिगनल को लगाना।

3.5 स्टेशन पर वाहनों को सुरक्षित रखने के लिए वुडेन स्प्रैग लगाना एवं सेफ्टी चेन बांधकर ताला लगाना।

3.6 अगर कोई सतर्कता आदेश हो तो सभी अप एवं डाउन गाड़ियों को सतर्कता आदेश देना।

3.7 पैसेन्जर गाड़ियों के लाइन क्लियर एवं पैसेन्जर गाड़ियों को जाने हेतु स्टेशन की घंटी बजाना।

3.8 आवश्यकता पड़ने पर रुकने वाली गाड़ियों के गार्ड से पूर्ण आगमन रिपोर्ट लेना।

3.9 आवश्यकता पड़ने पर पार्सलों को लादना तथा उतारना।

3.10 कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा दिये गये आदेशों का शीघ्रता एवं ईमानदारी से पालन करना।

क्रमशः पृष्ठ 3 पर

4. **फाटकवाला :–**

फाटकवाला उसके चार्ज मे दिये गये समपार फाटक के लिए उत्तरदायी है। प्रशासन द्वारा दिये गये उपकरणों को सुरक्षित रखना, उनके उचित प्रयोग और अनुरक्षण का उत्तरदायित्व उसी का है। उसे सड़क यातायात और रेलवे के लिए सदैव सतर्क रहना है और फाटक को निर्धारित तरीके से परिचालित करके रेल यातायात एव सड़क यातायात दोनों को सुरक्षित करना है। उसे शंटिंग मूवमेंट और गाड़ी गुजरने पर फाटक को समय से बंद करना तथा संचलन पूरा होने पर समय से फाटक खोलना है ताकि सड़क यातायात डिटेंशन की घटना न घटे। इसके अतिरिक्त उसके निम्नलिखित कर्तव्य हैं :–

4.1 गाड़ी को गुजरने के लिए समपार फाटक को बंद करके ताला लगाना तथा कार्यरत स्टेशन मास्टर को समपार फाटक के बंद होने की सूचना सम्बन्धित परिशिष्ट 'ए' के अनुसार देना।

4.2 दिन में गेंट लाज की तरफ सतर्कता के साथ दाहिने हाथ में लाल व बायें हाथ में हरी झण्डी लेकर तथा रात में हाथ बत्ती को ट्रैक की तरफ सफेद रोशनी करके खड़े होना चाहिये जिससे कि आपात स्थिति में वह आवश्यकता पड़ने पर शीघ्र हाथ बत्ती दिखा सके।

4.3 खतरे की आशंका में उसे सतर्क और तुरन्त कार्यवाही हेतु तैयार रखना चाहिये।

4.4 उसे देखना चाहिये कि समपार फाटक छोड़ना पड़ जाये तो सड़क यातायात को रोकने हेतु फाटक को बंद कर ताला लगा देना आवश्यक है।

4.5 फाटक की बत्तियां निरंतर प्रज्जवलित रहना चाहिये, इसे सुनिश्चित कर लें।

4.6 यदि आपात स्थिति में उसे फाटक छोड़ना पड़ जाय तो सड़क यातायात को रेाकने हेतु फाटक को बंद कर ताला लगा देना आवश्यक है।

4.7 इसे सुनिश्चित करना चाहिये कि पहियों के फलेन्ज के पैनल हमेशा साफ हों।

4.8 फाटक या उससे सम्बन्धित यंत्रों में यदि कोई खराबी दिखायी देती है तो शीघ्र से शीघ्र कार्यरत स्टेशन मास्टर को सूचित कर देना चाहिये।

4.9 यदि वह देखता है कि गाड़ी पार्ट हो गयी हैं, तो उसे शोर मचाकर या हाव–भाव से ड्राइवर एवं गार्ड का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिये।

(उसे खतरे का सिगनल कतई नहीं दिखाना चाहिये)

4.10 उसे अपने कार्यभार के घंटों में फाटक पर प्रत्येक दशा में उपस्थित रहना चाहिये। उसे समपार फाटक को तब तक नहीं छोड़ना चाहिये जब तक कि वह कार्यमुक्त न हो गया हो।

4.11 कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा दिये गये सभी वैध निर्देशों का पालन करना चाहिये।

क. गाड़ियों के आगमन एवं प्रस्थान के लिए फाटक को बंद करने के बाद गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर को फाटक बंद का इंडीकेशन देगा ।

ख. फाटक से होकर गाड़ियों के संरक्षित रूप से पास करने का ध्यान रखना और गाडियों के चालन (रन) के दौरान पायी गयी किसी खराबी के सम्बन्ध में चिल्लाकर अथवा अंग संचालन द्वारा चालक एवं गार्ड का ध्यान आकृष्ट करना।

ग. अपने कर्तव्य काल में चेक रेल को साफ रखना।

.....

परिशिष्ट –''ई''

स्टेशन पर उपलब्ध आवश्यक उपकरणों की सूची

क्रम सं0	उपकरण	संख्या
1	बटन कालर्स	6
2	पावर बटन कालर्स	6
3	फायर बाल्टिया	6
4	अग्निशामक यंत्र	2
5	हैण्ड सिगनल लैम्प (ट्राई कलर बैट्री आपरेटेड)	3
6	फाग सिगनल	50
7	प्राथमिक चिकित्सा बाक्स	1
8	सेफ्टी चेन	4
9	क्लैम्प	8
10	पैड लाक चाभी सहित	16
11	वुडेन स्प्रैग	8
12	वी.एच.एफ. सेट	1
13	हैण्ड सिगनल फ्लैग	
	लाल	4
	हरा	4
14	स्ट्रेचर	2
15	व्हील चेयर	1

परिशिष्ट ''एफ''

डी के स्टेशन, हाल्ट, आई.बी.एच. आई.बी.एस. और बाहरी साइडिगों के संचालन नियम :

.....कुछ नहीं.....

परिशिष्ट ''जी''

विद्युतीकृत खण्डों पर गाड़ियों के परिचालन हेतु नियम :

.....कुछ नहीं.....

उपमुसिदूइं
रे.वि./लखनऊ

मंसिदूइं
पूर्वोत्तर रेलवे/लखनऊ

वमंपरिप्र/सा0
पूर्वोत्तर रेलवे/लखनऊ

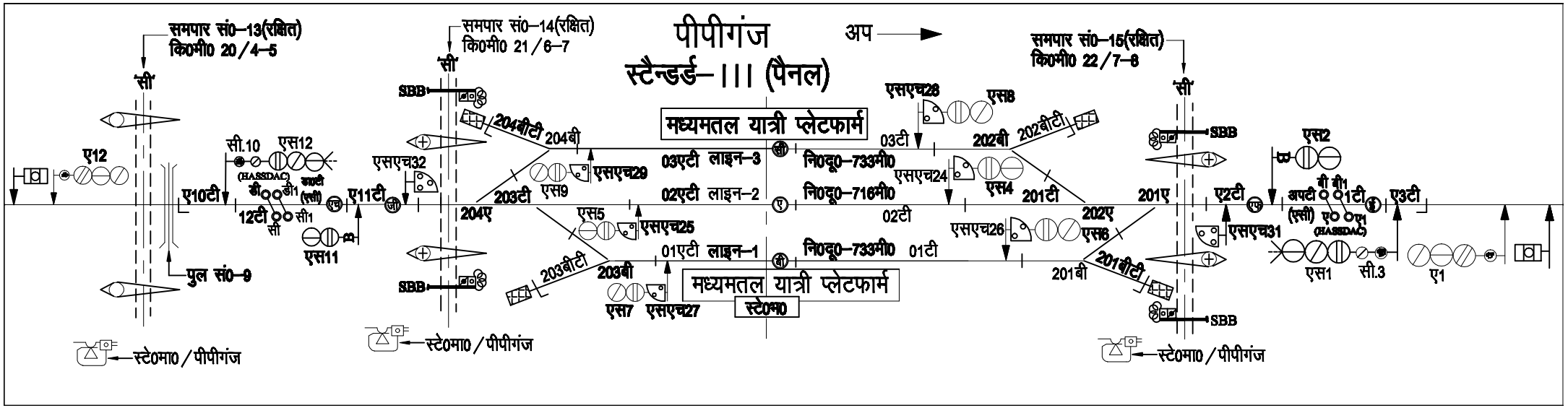
पीपीगंज
स्टैन्डर्ड–।।। (पैनल)
अप
समपार सं0–13(रक्षित)
कि0मी0 20/4–5
समपार सं0–14(रक्षित)
कि0मी0 21/6–7
समपार सं0–15(रक्षित)
कि0मी0 22/7–8
'सी'
SBB
मध्यमतल यात्री प्लेटफार्म
03एटी लाइन–3
02एटी लाइन–2
01एटी लाइन–1
नि0दू0–733मी0
नि0दू0–716मी0
नि0दू0–733मी0
ए12
सी.10
एस12
(HASSDAC)
बी
डी1
अपटी
(एसी)
12टी
सी
सी1
एस11
ए10टी
पुल सं0–9
ए11टी
एसएच32
204बीटी
204बी
204ए
203टी
एस9
एसएच29
एस5
एसएच25
203बीटी
203बी
एस7
एसएच27
एसएच28
एस8
03टी
202बी
202बीटी
एसएच24
एस4
201टी
02टी
एसएच26
एस6
201ए
202ए
201बी
201बीटी
01टी
ए2टी
एस2
बी बी1
अपटी
(एसी)
ए0
ए1
(HASSDAC)
1टी
ए3टी
एसएच31
एस1
सी.3
ए1
मध्यमतल यात्री प्लेटफार्म
स्टे0मा0
स्टे0मा0/पीपीगंज
स्टे0मा0/पीपीगंज
स्टे0मा0/पीपीगंज